खण्ड-502, अंक-07
शुक्रवार 01 पौष, शक संवत् 1939
(22 दिसम्बर, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2017)

(खण्ड 502 में 07 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति सदस्य	. .	1-6
प्रश्नोत्तर	. .	7-38
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	. .	38-43
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली के अतिरिक्त परगना अधिकारी/तहसीलदार एवं लेखपालों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	43
महानगर सहारनपुर के पुराने शहर में जर्जर सिवरेज व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	44
जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	44
जनपद गोण्डा के फाउण्टेन चौराहे से दयानन्द मार्ग (उतरौला रोड) तक के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	45
जनपद गाजीपुर के अतिप्राचीन पहाड़ खां पोखरा का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	45
जनपद फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	45-46
प्रान्तीय चिकित्सा सेवा चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल फेकल्टी में सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	46
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में भयहरणनाथ धाम तक मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	46-47
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में ट्रामा सेन्टर आधुनिक चीर घर व 100 बेड का अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	47
जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोंडर में बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	47
विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरामऊ में बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	48
जिला महराजगंज के ग्राम सभा बनरसिहा खुर्द में पुरातत्व द्वारा खुदाई करके पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	48
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी में जमथुआ बंधी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	. .	48-49

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा में उ0 प्र0 परिवहन के बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
जनपद शाहजहांपुर एवं सेवरही में गन्ना शोध परिषद् में कार्यरत 1999 के कार्मिकों को विनियमित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
जनपद अमरोहा के आनन्द धाम तालाब को सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
सोनभद्र के ऐतिहासिकता को देखते हुए सोनभद्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50-51
जनपद मथुरा के बलदेव में गंग नहर में एस0डी0ओ0 तथा जे0ई0 द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की जांच एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	51
जनपद अलीगढ़ के नगर निगम में सीमा विस्तार पंचायत राज विभाग द्वारा डिनोटीफिकेशन जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	51-52
जनपद बरेली शहर में एक आपदा सेन्टर फायर ब्रिगेड सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	52
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	52-53
जनपद चन्दौली दीनदयाल नगर (मुगलसराय) में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	53
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा बाजार में जल निकासी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	53
जनपद इटावा में उदी क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	54
आगरा क्षेत्र के धनौली गांव का नाला पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	54
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता में लाइन मैन एवं ट्रांसफार्मर की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	54-55
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	55

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला-मनकापुर से नवाबगंज-अयोध्या मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना. .	55
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में फायर स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	55-56
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बधरा के ग्राम बुढ़ौना कला में बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	56
जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के बहादुरगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत एवं विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	56
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पूर्वाजी के कतिपय स्थानों में शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना. .	56
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	56-57
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में महिला राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	57
प्रदेश के कृषि ऋण समितियों के प्रभारी/सचिवों के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	57
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम हड़ौली में हिंडन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	58
जनपद आगरा के सहकारी आवास समिति लिमिटेड, आगरा के सचिव के हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	58
जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नार्खी में विस्तृत सिंचाई एवं पेयजल योजना के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	58-59
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियान अन्तर्गत सिंचाई हेतु नुनौटी बंधी के लेफ्ट एवं राइट नहर की पक्की लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	59
जनपद बरेली के फरीदपुर नगर पालिका एवं नगर पंचायत में ओवरहेड टैंक एवं उससे जुड़ी पाइप लाइनों को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	59
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाइवे पर स्थित ग्राम निगोही में कैमुआ नाला पर बने पुल के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गोमती नदी पर नये पुल के स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	60
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की सई नदी पर पुराने जर्जर पुल के स्थान पर नया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	61
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र उत्तरी वाराणसी के अन्तर्गत हुकलगंज एवं ढेलवरिया के मध्य नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	61
जनपद रामपुर के मिलक शाहाबाद में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	61-62
आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर जाने के लिए रेल पटरी के नीचे अण्डर पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	62
जनपद हरदोई के ग्राम गेगलापुर के समीप शारदा नहर की ब्रांच सण्डीला पर पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	62
जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय के थानाध्यक्ष एवं पुलिसकर्मियों तथा प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	62-63
जनपद बदायूं के तहसील सहसवान के राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितता की जांच कराये जाने, दोषियों पर कार्यवाही कराये जाने एवं वितरण व्यवस्था बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	63
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं एवं आवासों में कफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	63
जनपद आजमगढ़ के कतिपय सब स्टेशनों पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	64
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	64
जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	64-65
जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर पुराने कमेले की रिक्त जगह पर 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	65
जनपद शामली में भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	65

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	65-66
जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में महिला अस्पताल एवं भावत पुल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	66
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के कतिपय मालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	66
जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड हाईवे साढामऊ में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	66-67
जनपद लखनऊ के अमीनाबाद इण्टर कालेज में तदर्थ रूप से कार्यरत प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	67
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन के अन्तर्गत पृथ्वीनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करके सम्पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	67-68
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत लोअर खण्ड आगरा नहर की पुर्नस्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	68
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय ब्लाकों, ग्रामों में पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	68
जनपद बस्ती के अमोढ़ा राज्य के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	68-69
जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल में सीवर लाइन चोक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	69
जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी, ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमहला की कथित नीलामी में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	69-70
जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना की ग्राम सभा गंधियांव के कब्रिस्तान में की गयी अवैध बाउंड्री के परिपेक्ष में जांच/कार्रवाई कराये जाने एवं कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	70
जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना की ग्राम सभा गंधियाँव एवं हर्रई के मध्य लगाये गये विद्युत पोलों से विद्युत तारों को कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	70-71

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबें में कतिपय स्थानों पर सिंचाई के साधन एवं अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	71
जनपद इलाहाबाद के ग्राम नगदिलपुर विधान सभा क्षेत्र सोराँव में नहर से ऊपर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	72
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के राजकीय डिग्री कालेज, गभाना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	72
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के कदौरा विकास खण्ड में ग्राम चतेला से नगवा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	72
विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	72-73
जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवारकाँ की कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क/खड़न्जा/तालाब का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	73
जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र हाटा में पानी की टंकियों से जलपूर्ति न होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	73
जनपद गाजीपुर की तहसील जखनिया के ग्राम सभा आगापुर में चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	73
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा में पुलिया एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	74
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के कतिपय पुलियों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	74-75
लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित मोहल्ला प्रातिनगर तथा भरतनगर में जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	75
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में हजौली व चोगड़ा में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	75-76
जनपद वाराणसी के बावतपुर रजवहा एवं अजगरा माइनर के टेल में पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	76
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लालगंज, प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	76-77

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में आयुष चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ को प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	77
जनपद लखनऊ में एल्डिको सौभाग्यम के आवंटियों का धनादोहन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	77-78
अपर निजी सचिव परीक्षा, 2010 के चयन में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं जांच हेतु शासन स्तर पर समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	78-79
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के सभी विकास खण्डों में सा0 स्वा0 केन्द्र में दवाओं एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	79-80
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम करोहा में नाले के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	80
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में चिकित्सालयों भवन, डाक्टर एवं स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	80
जनपद झांसी के नगर पालिका, गुरसरांय में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	81
जनपद सीतापुर के बिसवां में चीनी मिल में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	81
मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलाजी, जनपद सीतापुर की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	81-82
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	82
जनपद बिजनौर के सुजातपुर खास से छोइया नदी का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	83
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी के तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	83-85
जनपद लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित महमूदाबाद मेन्सन में नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	85
जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन चिकित्सालय में मानक के अनुरूप कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	85-86
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें . .	86

विषय	पृष्ठ-संख्या
सरकार के गठन के लगभग 9 माह पश्चात् भी लोक लेखा समिति का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . .	86-87
तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष द्वारा लिफ्ट का उद्घाटन तथा उनकी नेम प्लेट नदारद होने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न . .	87-88
पूर्व व्यवस्थानुसार नव निर्वाचित मा0 सदस्यों को भी लखनऊ शहर में कम कीमत वाले भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न . .	88-91
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या का0नि0-2-858/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0 1-2017 आदेश (25)-2017, दि0 30 जून, 2017 (सदन के पटल पर रखा गया) . .	91-92
लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या 12-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) . .	92
उ0 प्र0 विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . .	92
उ0 प्र0 पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . .	92
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . .	93
कर्मचारी प्रतिकर (उ0 प्र0 संशोधन) विधेयक, 2017 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . .	93
जनपद कानपुर नगर में घाटमपुर कस्बा में निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 86 व एन0एच0 46 पर भीषण जाम की समस्या एवं आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के निराकरण हेतु ओवर ब्रिज अथवा बाईपास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) . .	93
विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में वरूणा नदी व बसुही नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	93
विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में नदी पर चेक डैम के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	94
विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में डा0 लाल जी यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री अमृतलाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	94
विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर में नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री घनश्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	94
विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	94
एक्सप्रेस रोड कानपुर नगर में बी0ओ0टी0 पद्धति द्वारा निर्मित शौचालय को पूर्ण करने के सन्दर्भ में श्री दिनेश कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	95
नगर निगम, धनकुट्टी अस्पताल को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री अशोक केशरवानी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	95
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरैंचा व ग्राम रतूली के मध्य कैमुआ नाला पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	95
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम हमजापुर व ग्राम डींग के मध्य कैमुआ नाला पर बना जर्जर व छोटा पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राठौर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	95
जनपद गोण्डा के बभनान कस्बा स्थित चीनी मिल द्वारा फैलाये जा रहे व्यापक प्रदूषण से स्थानीय निवासियों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	95
जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत, पाभीपुर के अन्तर्गत दलित बस्ती को जोड़ने के लिए नहर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	96
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	96

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत छगडिहवा विधान सभा क्षेत्र इटवा, तहसील इटवा में बूढ़ी राप्ती नदी पर एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) . .	96
विशिष्ट बी0टी0सी0, 2004 में चयनित/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/समायोजन के सम्बन्ध में श्रीमती नीतू सिंह निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) . .	96
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर में योग एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवबहादुर लोधी आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) . .	96
जनपद लखनऊ के रायबरेली रोड पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु भूमि का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में श्री शाकिर अली व अन्य आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत) . .	97
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	97-98
दिनांक 24-7-2017 को सत्रहवीं विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री मथुरा प्रसाद पाल के निधन के निर्देश के समय विपक्षी दलों द्वारा सदन का बहिष्कार कर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में समानान्तर सदन चला कर शोक संवेदना व्यक्त कर सदन की अवमानना विषयक व्यवस्था का प्रश्न . .	98-104
प्रदेश में मिट्टी खनन हेतु सरकार की नीति . .	104-106
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (पुरःस्थापित) . .	106-107
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें . .	107-117
उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	117-124
उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 (पारित) . .	124-146
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	146-148
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	148-150
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	150-152
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (पारित) . .	152-155
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	155-157
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	157-163
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	163-170
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 (पारित) . .	170-171

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत) . .	171
जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) . .	172
वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) . .	172-173
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, चोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) . .	173
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें . .	174-179
जनपद भदोही के विकास खण्ड अमौली में राजस्व कर्मियों तथा भूमाफिया द्वारा सरकारी भूमि के उपयोग में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य . .	179-141
प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य . .	181
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में मण्डी परिषद् द्वारा सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री का वक्तव्य . .	181-182
सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी अपर निजी सचिव परीक्षा की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम आदेशों तक रोके जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य . .	182-183

विषय	पृष्ठ-संख्या
मदरसा/मकतब में तैनात शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान एवं मानदेय बढ़ोत्तरी एवं विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य . .	183-185
जनपद रामपुर में रामपुर डिस्टलरी के नाम से चल रही अवैध शराब फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में श्रीमती राजबाला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का वक्तव्य . .	185-186
जनपद लखनऊ में गिरते जलस्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	186-187
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश रावत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य . .	187
जनपद फिरोजाबाद में एस0टी0पी0 के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य . .	188
जनपद जौनपुर के थाना मुगराबादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर की बालिका के अपहरण के उपरान्त पुलिस द्वारा पीड़ितों को ही परेशान किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुषमा पटेल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	188-190
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा स्थित निर्माणाधीन विद्युत सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य . .	190-191
प्रदेश के क्षय रोग चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	191-192
महामाया राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में मेडिकल आफिसर की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य . .	192-194
जनपद खीरी के विकास खण्ड ईसानगर, धौरहरा एवं रमियाबेहड़ में राशन कार्ड बनाये जाने में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) . .	194

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कनहर सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य . .	194-195
जनपद सन्त कबीर नगर, थाना बखिरा में दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को दर्ज मुकदमा अपराध सं0 1465/17 में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	195-196
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	196
राष्ट्रगान . .	197

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-351

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
7. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
27. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
29. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
30. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
31. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
32. अवतार सिंह भड़ाना, श्री — मुजफ्फरनगर
33. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
37. असलम अली, श्री — हापुड़
38. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
39. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
40. आर0 के सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
41. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
42. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
44. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
45. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

46. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
47. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
52. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
53. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओमकुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
57. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
58. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
59. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
60. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
61. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
62. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
63. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
64. काली प्रसाद, श्री देवरिया
65. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केसर सिंह, श्री बरेली
69. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
70. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
71. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
72. गंगा, श्री कुशीनगर
73. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. जी0 एस0 धर्मेश, डा0 आगरा
76. गौरी शंकर, श्री जालौन
77. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
78. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
79. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
80. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
81. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
82. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
83. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
86. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
87. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
88. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
89. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
90. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
91. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92. जयमंगल, श्री महाराजगंज
93. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
94. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
95. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
96. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
97. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
98. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
99. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
100. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
101. दल बहादुर, श्री रायबरेली
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
104. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
105. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
106. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
107. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
110. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
112. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज

113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
119. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
121. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
122. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
123. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
124. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
127. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
128. नाहिद हसन, श्री शामली
129. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
130. निर्मला शंखवार, श्रीमती कानपुर देहात
131. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
132. नीलकण्ठ तिवारी, डा0 वाराणसी
133. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
134. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
135. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
136. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
137. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
138. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
139. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
140. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
141. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
142. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
143. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
144. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
145. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
146. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
147. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
148. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
149. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
150. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
151. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
152. फागू चौहान, श्री मऊ
153. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
154. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
155. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
156. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
157. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
158. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
159. बावन सिंह, श्री गोण्डा
160. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
161. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
162. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
163. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
164. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
165. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
166. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
167. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
168. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
169. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
170. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
171. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
172. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
173. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
174. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
175. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
176. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज

177. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
178. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
181. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
182. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
183. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
184. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
185. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
186. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
187. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
188. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
189. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
190. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
191. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
192. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मौ0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
195. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
196. याशर शाह, श्री बहराइच
197. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198. योगेश वर्मा, श्री खीरी
199. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
200. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
201. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
202. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
203. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
204. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
205. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
206. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
208. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
209. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
210. रवि शर्मा, श्री झांसी
211. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
212. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
213. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
214. आर0 के वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
215. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
216. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
217. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
218. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
219. राज करन कबीर, श्री बांदा
220. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
221. राजबाला, श्रीमती रामपुर
222. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
223. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
224. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
225. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
226. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
227. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
228. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
229. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
230. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
231. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
232. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
233. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
234. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
235. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
236. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
237. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
238. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
239. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
240. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली

241. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
242. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
243. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
244. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
245. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
246. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
247. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
248. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
249. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
250. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
251. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
252. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
253. लाखन सिंह, श्री औरैया
254. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
255. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
256. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
257. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
258. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
259. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
260. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
261. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
262. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
263. विजय मिश्र, श्री भदोही
264. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
265. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
266. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
267. विनय शाक्य, श्री औरैया
268. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
269. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
270. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
271. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
272. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
273. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
274. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
275. वीरेन्द्र, श्री एटा
276. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
277. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
278. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
279. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
280. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
281. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
282. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
283. शीतला पाण्डेय, श्री गोरखपुर
284. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
285. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
286. शैलेन्द्र कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
287. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
288. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
289. श्याम बिहारी लाल, डा0 बरेली
290. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
291. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
292. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
293. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
294. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
295. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
296. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
297. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
298. संजय, श्री बुलन्दशहर
299. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
300. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
301. संजीव कुमार, श्री सोनाभद्र
302. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
303. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
304. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
305. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
306. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
307. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
308. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
309. सत्य प्रकाश अग्रवाल, ''कैलाश डेरी वाले'' श्री मेरठ
310. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
311. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा

312. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
313. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
314. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
315. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
316. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
317. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
318. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
319. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
320. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
321. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
322. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
323. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
324. सुरेश कुमार, श्री शामली
325. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
326. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
327. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
328. सुरेश राही, श्री सीतापुर
329. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
330. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
331. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
332. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
333. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
334. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
335. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
336. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
337. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
338. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
339. सौरभ सिंह, श्री खीरी
340. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
341. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
342. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
343. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
344. हरिओम यादव, श्री फिरोजाबाद
345. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
346. हरीराम, श्री सोनभद्र
347. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
348. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
349. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
350. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
351. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00]-प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

नत्थी 'क'

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

***01-श्री संजय गर्ग-**

(अनुपस्थित)

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हॉं, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसके लिये अर्हता हेतु कौन-कौन सी शर्ते लागू हैं तथा उक्त बेरोजगारी भत्ते को सरकार कब से देगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन विभाग द्वारा सेवायोजन कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों के नाम नियोजकों को संप्रेषित किये जाते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है साथ ही कैरियर कांउन्सिलिंग का आयोजन का बेरोजगार अथ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवरों की जानकारी प्रदान की जाती है।

(श्री संजय गर्ग का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित होने पर।)

प्रदेश में हर गरीब परिवार को मुफ्त विद्युत कनेक्शन देने विषयक

***02-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हर गरीब परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने पर सरकार विचार कर रही है। यदि हां, तो इसे पूर्ण रूप से कब तक लागू कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

जी हां।

प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु सौभाग्य योजना प्रारम्भ की गयी है।

यह योजना 11 अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ हो गयी है एवं इसे मार्च, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने पहले ही बिजली दरों को बढ़ाकर खासतौर से प्रदेश के गरीब किसान दलित मजदूरों खासतौर से जो बिजली की अभूतपूर्ण वृद्धि की है उससे इस सरकार ने इन वर्गो की पहले ही कमर तोड़ दी है। और जो वायदा खिलाफी इस सरकार ने इस वर्गो की पहले ही कमर तोड़ दी है। और जो वायदा खिलाफी इस सरकार ने किसानों के साथ किया है शायद आने वाली पीढ़ियां सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि जो यह मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की बात कर रहे है क्या प्रदेश के सभी गरीब किसानों को मुफ्त बिजली देने को भी आज घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना है वह तो पहले ही बता चुके।

श्री नितिन अग्रवाल-

मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न में यह है ही नहीं।

श्री नितिन अग्रवाल-

तभी तो मैं अनुपूरक पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक तो जो माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे और आपका जो मूल प्रश्न है उससे पैदा होता है।

श्री नितिन अग्रवाल-

यह प्रश्न से ही सम्बंधित है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो मुफ्त कनेक्शन देने की योजना चल रही है उस योजना के तहत यह मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बंधित नहीं है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे इस प्रश्न का ही उत्तर मंत्री जी दे दें कि जो बी0पी0एल0 या अन्त्योदय के लोग है और जो किसान है क्या उनको मुफ्त बिजली देने की आज घोषणा करेंगे।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत विस्तार से जब से सरकार बनी है और माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी कैम्प लगाकर जो गरीब परिवार है उनको मुफ्त में बिजली के कनेक्शन देने का प्राविधान है जहां तक मुफ्त बिजली की बात कर रहे है मुफ्त बिजली का कोई प्राविधान हमारी सरकार में नही है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि योजना लागू हुई 11 अक्टूबर 2017 को अभी तक पूरे प्रदेश में आपने कितने लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिए है और मार्च 2019 तक पूरा करने का जो आपका लक्ष्य है संभावित कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कनेक्शन दिया जाना है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है ऐसा ही एक सवाल है अगर आपकी अनुमति हो तो उस सवाल के जवाब में दे दूं।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसका उत्तर दे दें।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है। अलग-अलग योजनाओं में जो लक्ष्य तय किए गए थे अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां बी0पी0एल0 है एक तो मैं अच्छी बात माननीय सदस्य को अवगत कराता हूं कि पूर्व की सरकारों में केवल ग्रामीण बी0पी0एल0 को शामिल किया गया था वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहर में रहने वाले बी0पी0एल0 परिवारों को भी शामिल किया है। अभी टोटल जो ग्रामीण परिवार है जिसकी संख्या लगभग तीन करोड़ 75 लाख है। उसमें से टोटल 1.93 करोड़ का विद्युतीकरण हुआ है और उसमें अभी जो शेष है वह 1.57 करोड़ का लक्ष्य है जो हमें अभी पूरा करना है जिसको हम मार्च, 2019 तक पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पारसनाथ जी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुपूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पारसनाथ जी वरिष्ठ सदस्य है। यह पहले खड़े हुये थे।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बड़ी नम्रता के साथ जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है और इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में बिजली की आवश्यकता कितनी थी और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन्होंने क्या कोई नया पावर प्लांट लगाया कि निजी स्रोतों के माध्यम से यह सबको बिजली उपलब्ध करा सकें? कठिनाई यह है कि अभी तक जो बिजली के कनेक्शन है उन उपभोक्ताओं को भी सही बिजली नही मिल पाती, क्योंकि कहीं लोड की अधिकता के कारण और कही ट्रांसफार्मरों की क्षमता की कमी के कारण यह बिजली के आपूर्ति पूरी नही कर पाये। इन्होंने गरीब के घर में बिजली का

कनेक्शन देने का वायदा तो कर दिया कि अक्टूबर से शुरू कर रहे है और 2019 तक पूरा कर देंगे। इनको बिजली कनेक्शन मिल जायेगा और बिल आना शुरू हो जायेगा, क्योंकि मुफ्त बिजली देने से यह भाग रहे है। अगर बिजली कनेक्शन दे रहे है तो बिजली भी मुफ्त दे दें तब तो बात समझ में आती है कि जिनको बिजली का कनेक्शन दिया गया है उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसा प्रैक्टिकली होता है, आप भी गांव के है और जानते है कि गरीब गांव में बसता है। गांव में बिजली के कनेक्शन देने से आप वोट की राजनीति तो कर ले रहे है, लेकिन यह आप सही नहीं कर रहे है, आप उनके हितैषी नही है। अगर आप वास्तव में उनके हितैषी है तो उनको मुफ्त में बिजली देने की घोषणा करें अन्यथा यह बता दे कि यह बिजली कहां से ला रहे है ? आप बजट इकट्ठा करके बिजली खरीद रहे है, लेकिन यह कैसे पूरा करेंगे। आप गरीबों के साथ धोखाधड़ी न करें। जैसे आपने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप अगर वास्तव में गरीब के हितैषी है, लोकप्रियता लेना चाहते है तो सरकार गरीबों को जो बिजली कनेक्शन दे रही है तो बिजली कनेक्शन देने के बाद यह सुनिश्चित करे कि उनका किसी प्रकार से भी उत्पीड़न नहीं होगा, उनसे कोई वसूली नहीं होगी और उनको मुफ्त बिजली दी जायेगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो अपनी शंका व्यक्त की है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि किसी भी उपभोक्ता का किसी भी प्रकार से कहीं कोई उत्पीड़न नही होगा। मुझे आज सदन को यह बात बताते हुए बहुत खुशी है कि हम केवल बी0पी0एल0 को ही नहीं दे रहे हैं, हम अन्य ग्रामीण जो बी0पी0एल0 की श्रेणी में नही आते है उनको भी केवल और केवल 50 रुपये में ही बिजली का कनेक्शन दे रहे है और उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वह 550 रुपये आती है। हम 50 रुपये पहले ले रहे है और 50-50 रुपये की 10 आसान किश्तों पर उस गरीब की झोपड़ी में रोशनी पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, नम्बर एक। मान्यवर, नम्बर दो कि माननीय सदस्य ने पूछा कि आप दे रहे है, आप लोकप्रियता बटोरना चाहते है, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते है। मान्यवर, निश्चित रूप से नही। इस देश के नागरिक, इस प्रदेश के नागरिक आजादी के 70 साल बाद भी बिजली का इंतजार कब तक करते रहेंगे ? इसलिये योगी जी की सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में चाहे वह बी0पी0एल0 हो या ए0पी0एल0 हो, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय सदस्य ने हमसे और भी प्रश्न मुझसे पूछे तो मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय नीति है जिसके तहत उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने में जो कॉस्ट आ रही है उसके पहले 30 यूनिट का 50 परसेन्ट उसे देना होगा। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम केवल 30 यूनिट नहीं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हम पहले 100 यूनिट, आधी से भी कम यानी कि 6.47 रूपये प्रति यूनिट की बिजली को हम 3.00 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पहली 100 यूनिट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देने का काम कर रहे है। एक और माननीय सदस्य ने पूछा। मैं आपकी अनुमति से, जैसा कि माननीय सदस्यों को जिज्ञासा भी है और मेरा यह दायित्व भी बनता है कि यह जानकारी मैं उनको दूं। मान्यवर,

2016-17 में जहां केवल 844741 बिजली के कनेक्शन हुये थे, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि योगी जी की सरकार ने केवल नौ महीने में 2204743 कनेक्शन देने का काम किया है।

(श्री लालजी वर्मा, श्री पारसनाथ यादव, श्री अमनमणि त्रिपाठी द्वारा एक साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न भी बिजली का है। आप लोग उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजियेगा।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 22 घण्टे, 23 घण्टे और 24 घण्टे पूरी बिजली मिल रही है। बहुत अच्छी बिजली की व्यवस्था चल रही है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से लघु और सीमान्त कृषकों को नलकूप और निजी नलकूप कनेक्शन के लिए 300 मीटर तक केबल कनेक्शन फ्री में देने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो 100 मीटर के दायरे में आते है वहां सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है। लगभग 64000 का अनुदान सरकार की तरफ से है। जहां तक आप कनेक्शन की बात कर रहे है तो कनेक्शन की व्यवस्था के बारे में मैने विस्तार से बताया है। हां, इतना जरूर कह सकते है कि 6.74 रुपये की जो बिजली है वह हम किसानों को 1.10 रुपये प्रति यूनिट की दर से मुहैया करा रहे है।

प्रदेश में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु नीति निर्धारित विषयक

***03-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु क्या रणनीति बनाई गयी है जिससे कि जला ट्रांसफार्मर बदल कर नया अथवा मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर शीघ्र लगे ? क्या सरकार बतायेगी कि जले हुए ट्रांसफार्मर को सम्बन्धित स्थल से ट्रांसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था है और यह व्यवस्था किस तिथि से लागू है तथा जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर मरम्मत वाला ट्रांसफार्मर कितने दिनों में बदला जाएगा एवं बदलने के बाद उस ट्रांसफार्मर के चलने की कितने दिनों की गारण्टी है ? यदि गारण्टी के मुताबिक ट्रांसफार्मर नहीं चलता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या सम्बन्धित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार कारवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु शहरी क्षेत्र से 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्र में 48 घण्टे में बदलने की नीति है तथा जले ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन विभाग द्वारा अपने खर्चे पर निःशुल्क किये जाने का प्रावधान है।

जले हुए ट्रांसफार्मर के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था विभागीय खर्चे पर की जा रही है। यह व्यवस्था 01 मई 2017 से प्रभावी है। जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर मरम्मतशुदा/नया ट्रांसफार्मर बदलने में सामान्यतः निर्धारित समय के अनुरूप, शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे में एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घण्टे में प्रतिस्थापन किया जा रहा है। मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर की गारण्टी अवधि 12 माह है।

गारण्टी के मुताबिक ट्रांसफार्मर न चलने पर सम्बंधित मरम्मतकर्ता जिम्मेदार है जिसके द्वारा गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मर की निःशुल्क मरम्मत कराये जाने का प्रावधान है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो उत्तर आया है उसी से सवाल करना चाहूंगा। चूंकि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के पहले अंश के जवाब में कहा है कि 24 घण्टे में शहरी क्षेत्र में और 48 घण्टे में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने की नीति है। माननीय मंत्री जी ने चूंकि ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर ट्रांसफार्मर जले तो उसमें लोग अपनी शिकायत आनलाइन दर्ज कराते है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अपना प्रश्न पूछ लीजिये। मैं चाहता हूं कि आज निर्धारित सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मात्र मेरा सवाल नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल है और इससे महत्वपूर्ण और कोई सवाल नही हो सकता है। इसलिये मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और इससे माननीय मंत्री जी को भी अपने विभाग में काम करने का बल मिलेगा और जो कमियां है उन्हें दूर करने में सहायता होगी। मैं सवाल पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर आप सवाल पर आईये। आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला सवाल है कि क्या उन्होंने अपने विभाग में इस तरह की मानीटरिंग की है कि जो हमारी कम्प्लेन्ट आती है गांवों से या शहरों से उसके निस्तारण के संबंध में इनकी जो पालिसी बनी है तो क्या उस पालिसी के अंतर्गत 24 घण्टे और 48 घण्टे में ही क्या यह ट्रांसफार्मर बदल दिये जाते है। अगर बदल दिये जाते है तो बताये कि क्या आपने शत प्रतिशत निर्धारित समय सीमा में बदले है और मान्यवर, अगर समय के अंतर्गत नहीं बदले जा रहे है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है मा0 मंत्री जी ने अभी कितने-कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किया है ? मान्यवर, दूसरा सवाल यह है कि जो

मा0 मंत्री जी ने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था का जिक्र किया है मा0 मंत्री जी आप फिर देख लीजिए कि विभाग ने जो उत्तर भेजा है कि यह व्यवस्था 01 मई, 2017 से प्रभावी है। मेरी जहां तक स्पष्ट जानकारी है कि कि यह ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पहले भी विभागीय स्तर पर ही जले हुए ट्रांसफार्मरों को ले जाने की बनाई गयी थी। हर जिले में कान्ट्रेक्ट बेस पर ही यह जानकारी दी गयी थी कि जो जला हुआ ट्रांसफार्मर है जब सूचना आएगी तो ठेंकेदार जाएगा उसको ले जाएगा और बदलवायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न नही कर रहे है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि इसमें विभाग ने जो जवाब दिया है मा0 मंत्री जी जरूर देखें कि यह जवाब गलत क्यों आया है कि यह व्यवस्था 01 मई, 2017 से प्रभावी है तो क्या मा0 मंत्री जी इसको सुनिश्चित करेंगे ? अगर उ0प्र0 से हमारे जो 403 मा0 सदस्य है अगर इस तरह की सूचना वह अपने गांवों और शहरों से दे रहे है कि हमारे यहां का ट्रांसफार्मर खुद हमारे गांव के जो लोग है चंदा इक्कठा करके अगर वह ट्रांसफार्मर ले गया हो और फिर अपने खर्चे से ले आया हो तो क्या मा0 मंत्री जी उसकी जांच कराएंगे कि क्या विभाग ने ठेकेदार का पेमेंट तो नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, सिर्फ चार अंश का इनका जवाब आया है। यह तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्नकर्ता है। मैं बार-बार कह रहा हूं आप कार्यवाही देख लीजिए आप प्रश्न नहीं कर रहे है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैने इनसे पूछा था कि जो ट्रांसफार्मर आज लगा है कल जल गया तो क्या जो ट्रांसफार्मर मरम्मत करके कम्पनी भेज रही है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ? इस पर मा0 मंत्री जी का जवाब आया है कि वह मरम्मत कर देगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने स्पष्ट प्रश्न किया है। इस पर मा0 मंत्री जी का उत्तर आया है कि 01 मई, 2017 से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है। मान्यवर, हम सभी गांव के रहने वाले लोग है। पहले से ही व्यवस्था है कि अगर ट्रांसफार्मर जलेगा तो विभाग उठाकर ले जाएगा और नया ले आएगा पुराना उतार कर ले जाएगा, लेकिन विभाग यह करता

नही है। पिछली सरकार में जो मा0 अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसको कान्ट्रेक्ट बेसिस पर कार्य दिया कि तुम ठेकेदार को दो जिससे वह जिम्मेदार समझेगा और जला हुआ ट्रांसफार्मर ले जाएगा और नया लाकर लगा देगा, लेकिन वास्तविक बात यह है कि गांवों में लोग चंदा लगाते है और तब जाकर ट्रांसफार्मर उतारकर वहां पहुचाने है और नया अपने साधन से लाकर लगाते है। दूसरा मै प्रश्न कर रहा हूं कि गांव में जो कनेक्शन दिया गया। पहले से कहीं 10 का ट्रांसफार्मर है, कही 25 का है, कहीं 32 का है 64 का है, 100 का है। जब शुरू-शुरू में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था थी उस समय उसमें कनेक्शन कम थे। अब कनेक्शन गांवों में लोगों ने बढ़ा दिया है। तो क्या मा0 मंत्री जी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए 10 का 25, 25 का 50, 63 का 100, 100 का 150 या 200 जो भी, 250 होता है। इसको तत्काल करने की व्यवस्था करेंगे ? क्षमतावृद्धि का प्रश्न है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हमारे कैम्प लग रहे है जो अभियान चल रहा है। वह सभी गांवों में हम कैम्प लगायेंगे। और उदाहरण के लिए अगर किसी सदस्य के किसी एक गांव में अगर 100 की संख्या में कनेक्शन है और सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हम कैम्प लगाकर हर घर को कनेक्शन देने की बात कह रहे है अगर वहां 300 कनेक्शन लगते है तो 300 कनेक्शन के आधार पर उस गांव के ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने की व्यवस्था हमारी योजना में है। और मान्यवर, अगर मैं पुरानी व्यवस्था की बात करूंगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए मैं पुरानी व्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैन्डेट हमको नया मिला है, जनता की अपेक्षा है। मा0 सदस्यों की भी अपेक्षा है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिनको कनेक्शन देंगे। लेकिन जो पहले से गांव के लोग कनेक्शन लिये हुये है। उस समय गांव में बहुत कम लोग कनेक्शन लेते थे। अब बिजली की मांग बढ़ गयी है। लोगों के समझ में आ गया है तो अधिक लोग कनेक्शन ले लिये है। लेकिन ट्रांसफार्मर वही है। यह मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूं। नये वाले की नही कर रहा हूं। कही 10 का शुरू में लगा है तो वह आज भी 10 का है। 25 का लगा है तो वह 25 का ही है। 63 का लगा है तो वह आज भी 63 का है। जहां 100 का लगा है वह आज भी 100 का है। और कनेक्शन बढ़ गये है। तो सौभाग्य योजना के अतिरिक्त जो पुराने कनेक्शन लिये हुए लोग है उनके ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने पुनः एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मान्यवर, मुझे जानकारी देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमने 12 हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की है। जहां-जहां शिकायत मिलती है उस पर अविलम्ब कार्रवाई करने का प्रयास करते है।

मान्यवर, सरकार सबकी है और बिजली सबको चाहिए। निश्चित रूप से अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' एडवोकेट-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत दिन के बाद आज आपने हमको बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से बहुत छोटा सवाल करना चाहता हूं। उससे पहले मै इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज इतनी भी मयस्सर नही इस पैमाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे मैखाने में।

श्री अध्यक्ष-

अब आप पीना छोड़ दीजिए।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' एडवोकेट-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 10 के0वी0 16 के0वी0 और 25 के0वी0 का छोटा ट्रांसफार्मर उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभाओं में दो हजार से लेकर तीन हजार की संख्या में लगे हुये है। जब वह ट्रासफार्मर जल जाते है तो अधिकारी और एस0डी0ओ0 यह कहकर पल्ला झाड़ लेते है कि यह जैक्शन कम्पनी आदि का अनुबन्ध है, जब वह देगा तब ट्रांसफार्मर बदला जायेगा। मेरे श्रावस्ती में विश्व रिकार्ड कायम हुआ है कि बेचुआ गांव, कठकुइयां गांव,, पटना खरगौरा गांव आदि गांव में 02 से 06 महीने के बाद ट्रांसफार्मर बदला गया है, क्या सरकार ऐसी कम्पनियों पर कार्रवाई करेगी और कब तक करेगी ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक और सवाल का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो यह रिपेयर कम्पनियां हैं जो ट्रान्सफार्मर को रिपेयर करती है तो क्या उनके खिलाफ यदि वह ट्रान्सफार्मर उस निर्धारित अवधि के अन्दर ही जल जाता है, 02 दिन में ही जल जाता है तो न केवल उनसे मरम्मत कराने बल्कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी करेंगे, तब उनके मन में डर आयेगा।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उमाशंकर सिंह जी के प्रश्न का भी जवाब दे देता हूं। मान्यवर, निजी नलकूपों में यह व्यवस्था जो हमने 01 मई वाली लागू किया है, यह निजी नलकूपों में 01 मई से यह व्यवस्था लागू है। बाकी पहले थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले यह व्यवस्था थी, पहले यह व्यवस्था थी, लेकिन पहले उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पाता था। अब हम सभी के सहयोग से प्रयास कर रहे है कि व्यवस्था का अनुपालन हो और अगर किसी किसान का ट्रान्सफार्मर फुंकता है और वह 1912 पर जानकारी देता है या अन्य सूचनाओं के माध्यम से उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है तो वह ट्रान्सफार्मर हम 48 घण्टे में अपने खर्चे पर लाकर उसको बदलने की हमारे यहां प्रक्रिया है। मान्यवर, आपके माध्यम से यह जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो हमारा टोल फ्री नम्बर है, 1912 उसमें दिसम्बर महीने के अन्दर मान्यवर जिन शिकायतों का निवारण हुआ, उनकी संख्या है 3083

और टोटल जो निस्तारण हुआ है, 4160 में से 3894 शिकायतों का निवारण समय के रहते किया गया है, शेष का भी मैं जिक्र कर दूंगा, मैं अपनी यहां पीठ नही थपथपाऊंगा, शेष 266 शिकायतें रही है, उनका भी निवारण हमने समय के अन्दर किया है। जहां तक उन्होंने ट्रान्सफार्मर की मरम्मत वाला जो प्रश्न पूछा, जो गारण्टी पीरियड में है, निश्चित रूप से उनको मौका दिया जाता है लेकिन बार-बार खराब होने पर ऐसी कम्पनियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की व्यवस्था भी हमने की है।

श्री मसूद अख्तर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही सिम्पल सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में जिसके लिए जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, आएदिन ट्रान्सफार्मर जलते रहते है, आएदिन क्षमता वृद्धि के मामले आते रहते है, लेकिन जब ट्रान्सफार्मर जलता है और अधिकारी को कहते है, उसको बदलवाने के लिए, बहुत मामले सामने आते है, अधिकारी कहते है कि 75 परसेण्ट जब तक बिल जमा नहीं होगा, तब तक हम ट्रान्सफार्मर नही बदलवायेंगे। आएदिन ये किस्से सुनने को मिलते है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्राविधान है, ऐसा कोई नियम है कि जहां 75 परसेण्ट बिल जमा नही होंगे, वहां ट्रान्सफार्मर नही दिया जायेगा। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जहां 50 परसेण्ट लोग ही बिल जमा किए है, क्या उनकी कोई खता है और उनको कोई अधिकार नही है, बिजली उपयोग करने का? तो क्या कोई ऐसा प्राविधान माननीय मंत्री जी करेंगे कि जहां 75 परसेण्ट से कम लोगों ने बिल जमा किया है, 50 परसेण्ट लोगों ने ही बिल जमा किया है, उनके ट्रान्सफार्मर भी समय से बदल जायें? माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा मेरा और प्रश्न है। आएदिन यह बातें देखने को मिलती है, हमारे किसान भाइयों पर एफ0आई0आर0 होने का काम हो रहा है, उन पर जो पेन्डिंग बिल है, किसी पर अगर 10 हजार रूपये भी पेन्डिंग बिल है, उस पर एफ0आई0आर0 हो रही है। और वह बिल तो वसूला ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ 12 हजार रुपये और समनशुल्क और पेनाल्टी लेने का काम हो रहा है, मा0 अध्यक्ष जी किसान पहले से ही परेशान है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करिये ?

श्री मसूद अख्तर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्राविधान करेंगे कि जो पेण्डिंग बिल है वह ले लिया जाय और उसकी पेनाल्टी खत्म कर दी जाय।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य के द्वारा पहला जो सवाल पूछा गया, हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे है मान्यवर कि जिस गांव में जितने भी उपभोक्ताओं ने कनेक्शन ले रखा है और जो रोस्टर है उसके अनुसार उस गांव में बिजली पहुंचे, किसी भी अधिकारी को उस गांव की अगर

उसका कलेक्शन ठीक से नही होता रहा है तो पूरे गांव की बिजली काटने का कोई अधिकारी हमारी सरकार की तरफ से नही है, अगर ऐसी शिकायत हमारे संज्ञान में आयेगी, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।

प्रदेश में विद्युत उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाने विषयक

***04-श्री अजय कुमार लल्लू, मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट) एवं सुभाष पासी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति हेतु जारी रोस्टर के हिसाब से वर्तमान में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई ठोस उपाय करके उसे लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नही, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20:00 घण्टे, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण/तहसील मुख्यालय को 20:00 घण्टे, जनपद मुख्यालय, मण्डल मुख्यालय एवं महानगरों को 24:00 घण्टे एवं ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किये जा रहे ठोस उपायों का विवरण निम्नवत् है:-

वितरण क्षेत्र में- विद्युत आपूर्ति हेतु 24×7 (पावर फॉर आल) योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वितरण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 479 नग 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से वर्तमान में 63 नग उपकेन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष उपकेन्द्रों को माह मार्च, 2019 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

पारेषण क्षेत्र में- वर्तमान में 132/33 के0वी0 विभव पर लगभग 39,400 एम0वी0ए0 परिवर्तकीय क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 24x7 पावर फॉर आल के अन्तर्गत उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 द्वारा कार्य योजना भी बना ली गयी है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक 132/33 के0वी0 विभव पर लगभग 45,363 एम0वी0ए0 की परिवर्तकीय क्षमता उपलब्ध हो जाने की अपेक्षा है।

उत्पादन क्षेत्र में-प्रदेश को वर्तमान समय में हो रही विद्युत कटौती से बचाने एवं समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत स्थापित विद्युत उत्पादन गृहों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता 5778 मे0वा0 के सापेक्ष औसतन 4000 मे0वा0 विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उ0नि0लि0 के अन्तर्गत राज्य/संयुक्त क्षेत्र में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 3960 मे0वा0 राज्य क्षेत्र में तथा 3300 मे0वा0 संयुक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने यह जो प्रश्नों का जवाब दिया है, यह केवल घोषणा मात्र ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, तहसील क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों में बिजली की क्या स्थिति है, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों ठीक से जानते है। अधिकतर गांवों में बिजली की आपूर्ति इसलिए नही हो पाती कि कही फीडर खराब, जो 7 से 8 घण्टे बिजली एक गांव में दे रहे है, उनकी यह दशा है, कहीं फीडर खराब और कही ट्रान्सफार्मर जलने की बहुत ढेर सारी सूचनायें आती है। महोदय मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ट्रान्सफार्मरों के डैमेज रेट में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है नम्बर एक और ट्रान्सफार्मर के बार-बार जलने के बाद सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाये है, अगर उठाये हैं तो उसका विवरण क्या है और जो ट्रान्सफार्मर गांवों में जल गयी है, वह मरम्मत में छोटी क्षमता के ट्रान्सफार्मर जो आते है, उनको बनाने में कितना समय लगता है और उसकी आपूर्ति का माध्यम क्या है।

अध्यक्ष जी, ये तीन सवाल का जवाब दे दे बस इसके बाद अन्तिम सवाल आपकी अनुमति से एक और पूछेंगे।

श्री श्रीकांत शर्मा-

वह सवाल भी पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है और इस सौभाग्य योजना में हर घर में 2019 तक बिजली पहुचाने का इन्होंने वादा किया है और सौभाग्य योजना में यह भी है कि जिन घरों में बिजली पहुचाना है, अगर वहां तक पोल नही गया है तो पोल, तार और खम्भा लगोकर यह बिजली देंगे, इसमें यह भी प्रोविजन है। महोदय इसके लिए जो अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी, उसकी आपूर्ति आप कहा से लायेंगे और क्या आपने गांव को चिन्हित कर लिया है किन-किन गांव में आज तक बिजली के खम्भे और तार नही लग पाये है और उसके लिए क्या आपने किसी कम्पनी से कोई अनुबन्ध भी कर लिया है कि नही ताकि उन गांव में विद्युतीकरण हो सके ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस औसत में जो ट्रान्सफार्मर है उनका रेशियों क्या है? मान्यवर, पश्चिमांचल में 1.94 का रेशियो है जो क्षतिग्रस्त है या जो फुकते है आगरा में 1.80 मध्यांचल में 2.03 है, पूर्वान्चल में 2.02 है और जो अन्य क्षेत्र आते है 1.95 है। दूसरा जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा मान्यवर, एक करोड़ बहत्तर हजार मजुरों को ऊर्जीकृत करना था। एक लाख एक हजार से ऊपर मजुरें ऊर्जीकृत हुए है। इस साल में 65 हजार मजुरों को ऊर्जीकृत करना था और हमने 45 हजार से ज्यादा मजुरों को अब तक हम लोग ऊर्जीकृत कर चुके है जो शेष है उनको हम 2018 तक कम्पलीट कर लेंगे और दूसरा आपको केवल जानकारी करा दें कि जो सौभाग्य योजना है जिन मजुरों का शत् प्रतिशत जहां ऊर्जीकृत हो गये है, वहां पर कैम्प लगाकर लोगों को बिजली देने का काम करेंगे और पैरेलल

सब काम चल रहे है, जिन मजुरों में अभी नहीं पहुंचे है वहां पहले विद्युतीकरण किया जायेगा और फिर लोगों को कनेक्शन दिये जायेंगे। निश्चित रूप से जब कनेक्शन दिया जाता है तो जब तक उनके यहां पोल नही पहुंचेगा तो कनेक्शन हवा में थोड़ी किया जाता है। यह तो स्वयं से सोचने की बात होती है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि मैने 65 हजार को विद्यृतीकरण करा दिया। ये सिर्फ यह बता दें कि यह योजना कब स्वीकृत हुई और वह तो राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हुआ और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के पोलों पर इन्होंने उस विभाग पर दबाव बनाकर दीन दयाल उपाध्याय योजना लिखकर केवल नाम प्राप्ति के लिए यह काम किया है। महोदय ये केवल यह बता दें कि ये जो राजीव गांधी बिजली योजना की जगह पर दीन दयाल उपाध्याय योजना का नाम लिखकर ये वाह-वाही लूट रहे है वह पैसा कब आया था और कब तक वह काम पूरा हुआ है अध्यक्ष जी यह आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक, वैसे आज ये बिजली की तरीके से चमक रहे है मान्यवर, आज आखिरी दिन है, अगर आपका आदेश हो तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी पर एक लाइन सुनाना चाहता हूं अगर आपका आदेश हो तो ?

श्री अध्यक्ष-

आप शेर सुनाना चाहते है, लेकिन हमारी परेशानी यह है कि शेर में भी सवाल होने चाहिए। अगर प्रश्न बनता है तो सवाल उससे ही करिये।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल मैं आपको, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की और माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं। कि आपने ऐसे माननीय सदस्य को ऊर्जा मंत्री बनाया है कि

इस खूबसूरत चेहरे को संवरने की जरूरत क्या है,
सादगी भी तो कयामत की अदा होती है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 22 घण्टा और 20 घण्टा बिजली गांव में देने का वादा इसी सदन में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की स्थिति मेरे जनपद श्रावस्ती के भिनगा विधान सभा क्षेत्र के गांवों की स्थिति के बराबर है। जहां से बिजली सप्लाई की जाती है जब लोड शहर से बढ़ता है तो ऊपर से फरमान जारी हो जाता है कि लोड कम करो तो जनपद के अधिशासी अभियन्ता और एस0डी0ओ0 तुरन्त गांवों की बिजली आपूर्ति बन्द करा देते है। जब गांव-देहात के लोगों की जिन्दगी शहर की जिन्दगी की अपेक्षा कम आंकी जाती है तो यह व्यवस्था केवल गांव और देहात में क्यों है, क्या मा0 मंत्री जी इसमें सुधार लाएंगे ? मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल यह है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी

कृपया इस सदन को बताने की कृपा करें कि उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में जो पुराने और जर्जर तार टूट रहे है, आए दिन कैजुअलटी हो रही है वो कितने दिनों में, कितने महीनों में और कितने वर्षो में उनको बदलवाने का काम करेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, राइनी जी जो सवाल पूछ रहे थे, इसके पहले इन्होंने एक सवाल किया था उसमें एक शेर पढ़ा था कि ''सादगी भी तो कयामत की अदा होती'' है और उसके पहले कहा था कि

आज इतनी भी मयस्सर नही मैखाने में
जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में।

अब मा0 नेता विरोधी दल से बता दीजिए कि यह कलयुग का असर तो नही है। (सदन में हंसी) हम यह कह रहे थे कि ये पैमाने और मैखाना सब कुछ कलयुग के कारण है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, हमको लगता है कि ये चाय पिलाना नहीं चाहते है।

श्री पारसनाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और बहुत छोटा सा सवाल है। वैसे तो सरकार की घोषणा है कि हम जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 20 घण्टे और ग्रामीण अंचलों में 18 घण्टे बिजली देंगे। अपने स्रोतों से बिजली का पूरा उत्पादन 4000 मेगावांट है। बिजली खरीद करके या वाहवाही करके ये चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा लें लेकिन यह हकीकत है बिजली आपूर्ति की और देहात में कहावत है कि कंगलई शान पुरउतै धान नहीं होता है। ये बिजली उत्पादन की बात नही कर रहे है। केवल बिजली आपूर्ति की बात कर रहे है। बरहाल हम उस पर बहुत नही जाना चाहते। केवल एक छोटा सा सवाल है। इन्होंने कहा कि वितरण के लिए 479 नग उप केन्द्रों का निर्माण निर्माणाधीन है और 63 नगर उप केन्द्र बन चुके है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि 33/11 का एक नग उपकेन्द्र बनाने में कितना समय लगता है, कितने समय में वह पूरा हो जाता है और कार्य शुरू कर देता है। ये इतना ही बता दें तब यह बात अपने आप साफ हो जाएगी कि 09 महीने की सरकार में इन्होंने कितने नग उप केन्द्रों का निर्माण कराना शुरू किया और कितना पूरा करेंगे ?

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में पूर्व की जो सरकार रही है उसमें 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन अर्द्ध निर्मित और मान्यवर, सरकार की यह योजना है कि 33/11 का सब स्टेशन हर 10 किलो मीटर पर होगा। ठूंठीबारी चौराहा, नौतनवां से लेकर ठूंठीबारी की दूरी 30 किलोमीटर है और मान्यवर, यह स्वीकृत है मेरा कहना इतना है कि 132 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर नौतनवा में और परसामलिक में 33/11 के0वी0ए का सबस्टेशन कब तक यह सरकार निर्मित कराकर नौतनवां विधान सभा को बिजली आपूर्ति करने का काम करेगी। एक प्रश्न हमारा माननीय अध्यक्ष जी और है। मान्यवर, हमारे यहां वन ग्राम है। वन

ग्राम मे आपने कहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाएंगे और उस वन ग्राम में आज तक बिजली का एक भी पोल नही गड़ा है।

श्री अध्यक्ष-

यह पत्रावली में नहीं होगा जो मूल सवाल है वह आप देखिए कितना बढ़िया और कितना व्यापक है।

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

वन ग्राम में कब तक बिजली के पोलों को गाड़कर अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी माननीय पारसनाथ जी, माननीय अजय जी और अन्य के मा0 सदस्यों के जो प्रश्न उठाए हैं उनके जवाब एक साथ कह दीजिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, माननीय हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य है जो 33/11 स्टेशन के संबंध में वह जानकारी मांग रहे हैं उसमें सामान्यतया 5-6 महीने में यह कार्य पूर्ण होता है और सदन को जानकारी देते हुए मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 479 में से करीब 61 सब स्टेशन का काम हम पूर्ण कर चुके है और ये 479 जो है, उसको अगस्त 2018 उसको कम्प्लीट कर देंगे और आपके माध्यम से मैं बहुत विनम्रता से यह पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिजली सबकी आवश्यकता है हम जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आए है सबके क्षेत्रों में बिजली पर्याप्त पहुंचे बिना किसी भेदभाव के इसकी चिंता भी सरकार करेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात रखने से व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग घड़ी देखिए। अब आप पांचों तय कर लीजिए कि कौन बोलेगा।

श्री सुषमा पटेल-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूं कि बहुत सारे गांव ऐसे है जो राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत है जिसका नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल योजना कर दिया गया है। इसमें बहुत से गांव ऐसे है जिसमें खंभे और तार लगाकर छोड़ दिये गए है और कई जगह तो तार, खंभे और ट्रान्सफार्मर भी लगा दिये लेकिन अभी तक उनमें सप्लाई नही दी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं क्या ऐसे गांवों और ऐसे मजरों को चिन्हित करके उसमें विद्युतीकरण कराने का काम सरकार करेगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

बिल्कुल, जो गांव बचे है सबमें हम लोग विद्युतीकरण का काम कर रहे है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

तो क्या विद्युत में एक घंटे का समय लगेगा? आप सब लोग खड़े है।

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी, अभी आपने जवाब में कहा कि आप महानगरों में 24 घंटे बिजली दे रहे है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे बिजली दे रहे है। हमें केवल इतना बता दें कि आपकी सरकार को बने हुए 9 महीने हो गए है, इन 9 महीनों में आपने कितना बिजली का उत्पादन बढ़ाया है जो रोस्टर आपने घोषित किया है उसको लागू करने में आपने कितना बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, केवल इन 9 महीनों में।

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नितिन जो, आप बैठे हम उत्तर दिला रहे है। आप उत्तर नही देने देते है, एक साथ 25-25 माननीय सदस्यों का खड़ा होना ठीक नही है। अगले वाले प्रश्न में हम आप लोगों को अनुमति देंगे। आप लोग बैठें। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को उत्तर देने का अवसर दें। आप लोग बैठिए।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। जैसा कि अभी कहा गया कि बहुत-से ऐसे गांव और मजरे है जहां पर विद्युतीकरण हो चुका है चूंकि आपके पेपर के उन आंकड़ों में तो है कि विद्युतीकरण उन गांवों में हो गया है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जिन जगहों पर विद्युतीकरण हो गया है जो आपके पेपर के माध्यम से हमें जानकारियां हुई हैं लेकिन पूरी तरह से वह गांव विद्युतीकृत नहीं किए गए हैं। कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे मोहल्ले उन गांवों में छोड़ दिए गए है जहां पर पोल पर बिजली नहीं पहुच पायी है, आपने कहा कि उसको योजना के अंतर्गत ले लिया जायेगा और जो किसान लोग हैं वह उससे लाभान्वित होंगे परन्तु जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है और फिर भी शेष ऐसे मजरों में गांव रह गए हैं, मोहल्ले रह गए है क्या उनमें भी विद्युतीकरण किया जायेगा या उन ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाएगी जिन्होने उन कार्यो को अधूरा छोड़ दिया है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सौभाग्य योजना के माध्यम से जितने भी घर हैं जिनमें बिजली नही पहुंची है, उन सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया जायेगा। मैं एक आंकड़ा आपको दे दूं जिसे मैं पुनः आपके सामने रिपीट कर रहा हूं और जिसे मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 करोड़ 57 लाख ऐसे आवास उत्तर प्रदेश के अंदर है जिन आवासों में बिजली अभी नहीं है। सौभाग्य योजना के माध्यम से मार्च, 2019 तक इन सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम योगी जी की सरकार करेगी।

प्रदेश में मौरंग बालू खनन हेतु मार्च, 2017 से 20 जून, 2017 तक जारी लाइसेंस के सम्बन्ध में जानकारी

***05-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'**

(अनुपस्थित)

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने मौरंग, बालू खनन के लाइसेंस मार्च, 2017 से 20 जून, 2017 तक जिलेवार जारी किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मार्च, 2017 से 22 जून, 2017 तक प्रदेश के 37 जनपदों में मौरंग, बालू के कुल 129 खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

जी नहीं।

खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में आरक्षण का प्राविधान नहीं है।

अध्यक्ष-

मा0 शैलेन्द्र यादव ललई जी नही हैं।

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने एवं उन्हें अधिक जन उपयोगी बनाने विषयक

***06-श्री संजीव राजा-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने एवं इन्हें अधिक जन उपयोगी बनाने हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत की गयी है। इन इस्पतालों में कथित भ्रष्टाचार रोकने के लिए निदेशालय स्तर पर शिकायत प्रकोष्ठ एवं सतर्कता प्रकोष्ठ पूर्व में गठित है एवं भ्रष्टाचार रोकने की व्यवस्थायें पूर्व से ही विद्यमान है।

श्री संजीव राजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन व्यवस्थाओं को और अधिक जन उपयोगी बनाने की ओर सरकार विचार कर रही है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि जो पूर्व से व्यवस्था है, वह सुचारू ढंग से काम कर रही है। जैसे 2015-16 में कुल इस प्रकार के 47 मामले आए थे और वह सब के सब निस्तारित कर

दिए गए। इसी प्रकार से 2016-17 में 27 थे सभी निस्तारित कर दिये गये। अभी 2017-18 में 30 मामले है उनमें से 28 निस्तारित हो गए।

प्रदेश में बैट्री एवं इलेक्ट्रानिक चलित वाहनों को प्रोत्साहन देने की कार्य योजना

***07-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल चलित वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों से जनमानस एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार बैट्री एवं इलेक्ट्रानिक चलित वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

बैट्री व इलेक्ट्रिक चलित गैर परिवहन वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये पहले से ही उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4(1) के परन्तुक में कर मुक्त करने का प्राविधान किया गया है।

(क) पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में वाहनों का उत्सर्जित प्रदूषण स्तर बी0एस0-4 मानक लागू है।

(ख) भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2636, दिनांक 13-09-2017 द्वारा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम (फेम इण्डिया स्कीम) के अंतर्गत अन्य वाहनों के अतिरिक्त एम-2 एवं एम-3 श्रेणी के वाहनों को भी 60 प्रतिशत क्रय मूल्य अथवा रु0 85 लाख (जो भी कम हो) तक की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त क्रम में प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 75 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

(ग) भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-2812(अ), दिनांक 30-08-2016 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-2(क) में यथा परिभाषित ऐसे ई-रिक्शा, जो यात्रियों के वाहन के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाते हैं, को उक्त अधिनियम की धारा-66 की उप धारा (1) के उपबंध के अनुसार परमिट से सशर्त मुक्त रखा गया है।

(घ) उक्त के अतिरिक्त बैट्री, सौर ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक चलित व्यवसायिक वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्तमान में प्रचलित टैक्स की दर में 50 प्रतिशत छूट की प्रदान किया जाना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल चलित जो गाड़ियां है उनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है यह हम सभी लोग

जानते है और इससे जो पी0एम02 और पी0एम0 10 पार्टिकल्स निकलते है, उनसे कैन्सर फैल रहा है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जो यहां पर दो पहिया और चार पहिया चलित वाहन है क्या इनके ऊपर टैक्स और बढ़ाकर, ताकि यह और मंहगे हो जायं और जो बैटरी चलित दो पहिया, चार पहिया और तीन पहिया गाड़ियां है उन पर टैक्स कम कर दिया जाय, जीरो अभी चल रहा है तो क्या उसे और प्रोत्साहन दिया जायेगा, यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि 75 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने भी बस डिपो हैं क्या उनको ई-बस डिपो बनाने हेतु आप कोई योजना लेकर आयेंगे। आज पूरी दुनिया में ऐसी बसें आ गयी हैं जो बैटरी से चलकर लम्बा सफर तय कर सकती है। तीसरा प्रश्न यह है कि हम सब जानते है कि हाईस्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का बहुत ज्यादा अनुभव इस सरकार को है यह बैटरी से चजती है तो क्या पूर्वाचंल में, जहां से सबसे ज्यादा जनता लखनऊ को आती है और उसके द्वारा इस्तेमाल वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है।

श्री अध्यक्ष-

ट्रेन का विभाग तो माननीय मंत्री जी के पास है नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय-

इनके पास ट्रांसपोर्ट विभाग है तो क्या जो हमारा बार्डर है, गोरखपुर और गाजीपुर यहां से ऐसी ट्रेनों की लाइन बिछेगी जहां से जनता बसें और गाड़ियां छोड़कर इनका इस्तेमाल करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। इनके दो प्रश्न हैं पहला यह कि क्या यहां इतना टैक्स लगा दें दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर कोई टैक्स बढ़ाने की योजना है।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रितेश पाण्डेय-

ई-बस डिपो बनाने के संबंध में अगर सरकार की कोई मंशा हो, कोई योजना हो, तो वह भी बतायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

उत्तर प्रदेश में चाहे पेट्रोल के वाहन हों या डीजल के वाहन हों उनके सड़क पर चलने की कोई समयावधि तय है। रजिस्ट्रेशन जो होता है वह 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का होता है। आज भी हमारी तमाम बसें व ट्रक 1970, 1975 के रजिस्टर्ड है, वह चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के सभी वाहनों की कोई जीवन अवधि तय है ? हमारा कहना यह है कि ट्रक, बस जीप कार जो भी है 2000 में खरीदी गयी और 2017

चल रहा है। सड़क पर 1950 की ट्रक भी चल रही है तो उससे प्रदूषण भी फैल रहा है और दुर्घटनाओं को भी संभावना है तो उनकी कोई उम्र तय है जैसे रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तय है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, कितने साल पुरानी बस को आप रिटायर कर देते हैं क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास है।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

इस उत्तर से क्वैश्चन का कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन आठ साल और दस साल हमारे निगम की बसों की क्षमता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अनिल सिंह जी, आप क्या पूछ रहे थे।

श्री अनिल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं यह पूछ रहा था कि मा0 मंत्री जी ने,

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

(बैठे हुए)

पहले यह बता दें कि पत्नी ने क्या कहा।

श्री अनिल सिंह-

मान्यवर, कह रहे हैं कि पहले यह बता दें कि पत्नी ने क्या कहा तो मैं यह बताना चाहता हूं कि पत्नी कल से बड़ी खुश है कि कम से कम जनता की बात तो होने लगी और मा0 अध्यक्ष जी जो बिजली पर चर्चा हो रही थी। यह प्रकाश की बात थी, अंधेरा दूर करने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं हो रही थी, प्रश्न हो रहा था। अब आप परिवहन के बारे में पूछ लें।

श्री अनिल सिंह-

मा0 मंत्री जी ने बता दिया, मैं जो पूछना चाह रहा था उसे बड़े भाई ने पूछ लिया और मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि परिवहन की बसों की 10 साल उम्र है आप दस साल गाड़ी चलने देंगे बाकी सीज कर देंगे तो मेरा इतना ही कहना है कि इस कानून का कड़ाई से पालन करें और गाड़ियों को बन्द कर दें।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)--

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा क्वैश्चन है, पिछड़े जिले से आता हूं।

प्रदेश की खनन नीति में परिवर्तन करते हुए बालू, मौरंग और गिट्टी खनन में लगी रोक के सम्बन्ध में

***08-श्री पारसनाथ यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू, मौरंग और गिट्टी के खनन में रोक लग जाने के कारण विकास का काम पूर्णतया ठप है जिसके कारण खनन से मिलने वाला राजस्व की हानि के साथ-साथ भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए है ? यदि हां, तो क्या सरकार खनन नीति में परिवर्तन करते हुए बालू, मौरंग और गिट्टी खनन में लगी रोक को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म, आबकारी, मद्यनिषेध राज्यमंत्री (श्रीमती अर्चना पाण्डेय)-

जी नहीं।

प्रदेश में उ0प्र0 खनन नीति, 2017 के अन्तर्गत वर्तमान में बालू, मौरंग और गिट्टी की खनन संक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पारसनाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सवाल मैंने इस मकसद से किया था कि व्यावहारिक रूप से आप भी जानते है कि जब बजट सत्र चल रहा था तभी यह सवाल उठे थे कि भारी संख्या में जांच के नाम पर गिट्टी और मौरंग और बालू की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी और उस पर रोक के कारण विकास के काम अवरूद्ध थे। केवल सरकारी काम ही अवरुद्ध नही थे बल्कि पब्लिक सेक्टर में भी जो निजी काम होते थे उन पर भी बालू और गिट्टी के दाम बेतहाशा चौगुना रेट बढ़ गये थे, हमने इस मकसद से प्रश्न पूछा था। लेकिन उत्तर जो आया है उस पर एक छोटा सा अनुपूरक में पूछूंगा कि प्रदेश में उ0प्र0 खनन नीति, 2017 के अन्तर्गत मौरंग और गिट्टी के खनन पर कोई रोक नहीं है और यह कार्य चल रहा है तो मैं यह मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह 2017 की जो खनन नीति है यह कब लागू हुई और जब से लागू हुई तब से अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ और पिछले वर्षों में जो राजस्व प्राप्त होता था, उसकी तुलना में कितना अन्तर राजस्व में है, उसको बताने का कष्ट करें।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

मान्यवर, सरकार बनी है 19 मार्च को, 13 अप्रैल तत्काल बाद इसको दूसरे प्रदेश से लाने की अनुमति के लिए हम लोगों ने काम किया है और जो राजस्व की बात मा0 सदस्य जानना चाहते हैं तो उसमें मैं बताना चाहती हूं कि पिछले वर्ष जून तक 42.10 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान जून तक 184.45 करोड़ प्राप्त किया गया जो 438.12 परसेन्ट अधिक है। कुल राजस्व गत वर्ष से 402.70 के सापेक्ष 606.25 है, 150.55 परसेंट अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई हैं।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, मैने जो सवाल किया था उस सवाल का उत्तर नहीं आया मैंने यह जानना चाहा कि 9 महीने की यह सरकार बनी, सरकार बनने के तत्काल बाद गिट्टी, बालू और मौरंग पर रोक लगा दी गई, यह व्यावहारिक पक्ष आप भी जानते हैं जिसके कारण निर्माण कार्य ही नहीं रुके, विकास कार्य ही नहीं रुके। बल्कि बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए लेकिन केवल राजस्व की हानि जो होती थी वह 9 महीने में कितना राजस्व आपने प्राप्त किया और पिछले वर्षों से राजस्व से कितना अन्तर है ? केवल इतना ही मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी तुलनात्मक रूप से बताया था।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर यह नहीं बताया। यह हमारे समय का जून माह से बताया कि जून तक इतना प्राप्त हुआ। सरकार बनने के तीन महीने के बाद जून आ गया और जून, 2017 के बाद अभी जून आया ही नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि बल्कि बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए लेकिन केवल राजस्व की हानि जो होती थी वह 9 महीने में कितना राजस्व आपने प्राप्त किया और पिछले वर्षो से राजस्व से कितना अन्तर है? केवल इतना ही मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी तुलनात्मक रूप से बताया था।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, यह नहीं बताया। यह हमारे समय का जून माह से बताया कि जून तक इतना प्राप्त हुआ। सरकार बनने के तीन महीने के बाद जून आ गया और जून, 2017 के बाद अभी जून आया ही नही। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद 9 महीने में कितना राजस्व प्राप्त किया वह बताने का कष्ट करें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बनी 19 मार्च, 2017 को और अप्रैल, मई में नहीं पालिसी आयी। हाईकोर्ट के परमीशन से 6 महीने के लिए हम लोगों ने एक शार्ट टर्म परमिट की व्यवस्था की ताकि लोगों को वैधानिक तरीके से मौरंग और बालू उपलब्ध हो जाये इसलिए एक शार्ट टर्म प्लानिंग के तहत यह किया गया और उसमें जब आपकी सरकार थी, इस पीरियड में नवम्बर तक का मैं बताये दे रहा हूं। नवम्बर तक जो रेवेन्यु प्राप्त हुआ है वह 424..41 लाख रुपया प्राप्त हुआ है और आपकी सरकार में 2016-17 मैं नवम्बर तक, 47.71 करोड़ रुपया था। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) मान्यवर, जो सवाल आपने किया, जो आपकी मंशा थी आज सभी लोगों को बालू और मौरंग आसानी से उपलब्ध हो रही है और यह परमिट व्यवस्था के तहत इन जनपदों में हमने यह व्यवस्था की है ताकि लोगों को असुविधा न हो।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आज गांवों में शौचालय, सड़क-खण्ड़जा बनाने हेतु या छोटे-मोटे काम हेतु या हम लोगों को

विधायक निधि के उपयोग हेतु अगर मिट्टी, बालू की आवश्यकता है तो दिक्कत हो रही है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि किसान आसानी से मिट्टी काट कर ट्राली से ले जा सकता है और 10-15 ट्राली वह बालू भी उपयोग कर सकता है और इसमें एस0डी0एम से परमीशन लेनी पड़ेगी। मेरे क्षेत्र में कल ही एक किसान मिट्टी काटकर ट्राली पर लादकर अपने घर की नींव की भराई करने के लिए ले जा रहा था और विशुनपुरा के एस0ओ0 ने उसकी गाड़ी सीज कर दी।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी आप प्रश्न करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, इस तरह के तमाम काम गांव के विकास के रुके हुए है दूसरी तरफ आप कह रहे है कि खनन के नाते कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास प्रश्न नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हजारों बेरोजगार रोज मजदूरी, काम की तलाश में चौक पर आते है और मौरंग, बालू और मिट्टी न होने के नाते उनको कार्य नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास प्रश्न है ही नहीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आपके माध्यम से मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन छोटे किसान जो अपने खेत की मिट्टी काटकर नीव भराई के लिए या बालू शौचालय बनाने या ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिए ले जाते हैं, उसको छूट देने पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी एक मिनट रुक जाईये। माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का प्रश्न सुन लीजिए और एक साथ ही उत्तर दे दीजिएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति है कि किसान अपने प्रयोग के लिए, अपने खेत से अगर एस0डी0एम0 के माध्यम से 10 ट्राली मिट्टी खोदने की अनुमति मांगेगा तो उसको मिलेगी। क्या इस पर आप पूरे प्रदेश में जांच करायेगे। जैसे उदाहरण मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र का दे दूं, हमारे यहां गुड़ैचा में एक महिला को प्रधानमंत्री आवास मिला, वह लगातार एस0डी0एस0 से अपने खेत से मिट्टी निकालने की अनुमति मांग रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया। वर्मा जी, आपका प्रश्न अपने आप में परिपूर्ण है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पूरे प्रदेश में जिन किसानों ने 10 ट्राली मिट्टी खोदने की अनुमति मांगी है, उनको अनुमति दे दी गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने एक बार फिर से सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए और जितना इस बारे में प्रचार हुआ उसकी स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए 2 नवम्बर, 2017 को एक शासनादेश जारी किया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 ट्राली मिट्टी किसी अपने काम के लिये चाहिए हो तो (टोका-टाकी होने पर) पूरी बात सुन लें उसके बाद आप कुछ कीजिये। 10 ट्राली मिट्टी के लिए केवल सूचना दे दें और उस सूचना के आधार पर 10 ट्राली मिट्टी एक कैलेन्डर ईयर में अपने लिये इस्तेमाल करने के लिये मिट्टी ली जा सकती है। और उसके बाद परमीशन के साथ 30 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, एक ट्राली में लगभग 3 क्यूबिक मोटर मिट्टी आती है तो वह लगभग 90 रुपये ट्राली का खर्चा मान्यवर आता है। यह रॉयल्टी जमा करने के बाद इसको लिया जा सकता है। मान्यवर, बिल्कुल क्लीयर शासनादेश है 2 नवम्बर, 2017 का और उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार पारस उपस्थित नही थे, प्रश्न संख्या 10 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री उज्जवल रमण सिंह उपस्थित नहीं थे, प्रश्न संख्या 11 पर भी माननीय सदस्या सुश्री अदिति सिंह उपस्थित नहीं थी।)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको नियम 49 पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप सीनियर सदस्य है बैठें। आप सूचना भिजवा दीजिये हम विचार कर लेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसान विरोधी है, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' और उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं। अब यह हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको याद होगा कि आपकी अध्यक्षता में एक दिन कार्य मंत्रणा समिति में भी, सर्वदलीय समिति की बैठक थी उसमें भी मैने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया था। बालू तो ठीक है लेकिन किसानों को हर क्षेत्र से उसने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बालू पहले किसान अपने क्षेत्र से निकालता था उसका पैसा वसूल करता था अपना। अपना पेड़ काटता था किसी योजना से, अब मिट्टी का जो मामला है, मैंने आपके माध्यम से उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मिट्टी अगर किसान अपने खेत से अपने घर ले आ रहा है तो माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया कि शासनादेश चला गया। अब वह अपने खेत से मिट्टी अपने घर ले आने के लिये, अपनी नींव बनाने के लिये, पैखाना में यूज करने के लिये ले आ रहा है तो उसको पुलिस पकड़कर के थाने में बंद कर दे रही है। कोई इनके आदेश का उस पर असर नही है। क्या किसान को धीरे-धीरे किसानी करने से वंचित करने की कोई योजना है सरकार की। सरकार की गलत नितियां कि किसान अपने खेत से मिट्टी भी नही निकाल सकता, अपने काम के लिये अपने खेत से बालू भी नही निकाल सकता। किसान को दिन प्रतिदिन अपने अधिकारों से वंचित यह सरकार कर रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी व समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य सदन का बहिष्कार कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनके समय में भी व्यवस्था यही थी और हमने उस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है। इसको प्रभावी तरीके से लागू किया है और किसी भी किसान का किसी तरह से उत्पीड़न नहीं हो रहा है। जहां कहीं इक्का-दुक्का अगर शिकायतें मिली तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी मान्यवर की गई। मान्यवर, हम आज भी कार्यवाही करने को तैयार है अगर कहीं कोई शिकायत आती है। यह संज्ञान में लाये तो हम कार्यवाही करने को तैयार है। इनको केवल अखबार में फोटो छपवाना है और शाम को टी0वी पर बयान देना है, इसलिये आये है यहां पर इनका जनहित से कोई मतलब नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

आप फोटो नहीं खिंचवाते क्या ? साधु सन्यासी हो गये है क्या ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इब्राहिम थाना है गोवामकरन्द गांव है मिट्टी में, पकड़कर कर ले गया और सात हजार लेकर छोड़ा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप नाम बतायें शाम तक उसका अंजाम देखिए।

श्री लाल जी वर्मा-

बसन्तपुर गांव की प्रधान है वह स्वयं अपने खेत से दस ट्राली मिट्टी ले गई थी उसको पकड़ लिया और सात हजार रुपया लेकर छोड़ा, थाना इब्राहिमपुर है और जिला अम्बेडकर नगर।

श्री अध्यक्ष-

आप वर्मा जी एक स्लिप बनाकर पूरा विवरण मंत्री जी को भिजवा दीजिएगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

यह जनता की बड़ी समस्या है हम सत्ता में है ऐसा नही है सत्ता में रहने वाले लोगों की भी बड़ी परेशानी है जो मिट्टी की समस्या के बारे में हमारे विपक्ष के साथी ने मामला उठाया है वास्तव में गरीब लोगों को सब पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं हम इसके पक्षधर है व्यक्तिगत रूप से इससे पीड़ित है। मिट्टी कोई अधिक नहीं रखता है कूड़ा कोई नही रखेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

यह बहुत ही गम्भीर समस्या है हम तो सबसे कहेंगे अपने माननीय मंत्री जी से भी कि यह बहुत बड़ी समस्या है इसका समाधान होना चाहिए इसको गम्भीरता से लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

प्रदेश के किसानों को अपने इस्तेमाल के लिये अपने ही खेतों से मिट्टी उठाने की अनुमति

***09-श्री मनोज कुमार पारस-**

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को निजी प्रयोग हेतु अपने ही खेतों से मिट्टी उठाने की अनुमति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को अपने इस्तेमाल के लिए अपने खेतों से मिट्टी उठाने की अनुमति प्रदान करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अनुमति है।

किसानों को अपने निजी उपयोग हेतु अपने खेत से बिना रायल्टी के 10 ट्राली मिट्टी उठाये जाने हेतु छूट प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर 2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में धान एव गेहूं के भण्डारण क्षमता में वृद्धि विषयक

***10-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पास वर्तमान समय में कितना धान एवं गेहूं के स्टोरेज की व्यवसा है तथा क्या सरकार इसे बढ़ती मांग के दृष्टिगत बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में गेहूं व चावल केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारित कराया जाता है। भारतीय खाद्य निगम ये खाद्यान्न अपने स्वयं के तथा संग्रह एजेन्सी उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम व केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों में भण्डारित कराता है। भारतीय खाद्य निगम के पास वर्तमान में कुल क्षमता 13.37 लाख मी0 टन है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय भण्डारण निगम की 4.73 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम की 14.43 लाख मी0टन व निजी उद्यमी गारन्टी योजना, 2008 की 12.24 लाख मी0टन क्षमता का भी उपभोग करता है। अनको शामिल करते हुए वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 44.77 लाख मी0टन क्षमता धान एवं गेहूं के भण्डारण हेतु उपलब्ध है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उ0 प्र0 में 1.73 लाख मी0टन क्षमता निजी उद्यमी गारन्टी योजना, 2008 एवं 12 लाख मी0टन साइलो भण्डारण क्षमता का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 5 लाख मी0टन के स्टील साइलो बनाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

***11-सुश्री अदिति सिंह-**

[माननीय सदस्य के अनुरोध पर तीसरे शुक्रवार हेतु स्थापित]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दरों में वृद्धि के दृष्टिगत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने की कार्य योजना

***12-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या उर्ज़ा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दर वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है? क्या सरकार बताएगी कि विद्युत दर बढ़ जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिए टैरिफ का निर्धारण मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश दिनांक 30-11-2017 द्वारा लागू कर दिया गया है, जो कि दिनांक 09-12-2017 से लागू हो चुका है।

विद्युत दरें विद्युत उत्पादन में आ रही लागत एवं विद्युत क्रय मूल्य के आधार पर प्रस्ताव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा मा0 नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके उपरान्त मा0 आयोग द्वारा विद्युत दरें जनता से व्यापक विचार विमर्श कर निर्धारित की जाती है।

प्रदेश में 'पावर फार आल' योजना लागू की जा रही है।

माह अक्टूबर 2018 से ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की योजना है जहां लाइन हानियां मानक के अनुसार घट जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण सारे प्रदूषण आपने रोक दिए लेकिन यह ध्वनि प्रदूषण है इसको नही रोक रहे है। इतना शोर हो रहा है कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है हाउस में लोग इतना बोल रहे है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें।

श्री सुखदेव राजभर-

हमने प्रश्न पूछा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दर वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है ? इसमें नियामक आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया। मेरा जो अन्तिम प्रश्न का हिस्सा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराने की व्यवस्था सरकार करेगी ? आपने कहा कि पावर फार आंल योजना लागू की जा रही है। यह लगभग हर प्रश्न में कहा जा रहा है। मंत्री जी यह बता दें कि पावर फार आंल का मतलब क्या है क्या 24 घंटा बिजली मिलेगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पावर फार आंल का मतलब है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्वाध बिजली, यह पावर फार आंल का मतलब है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने अपनी जिज्ञासा रखी, 2018 का लक्ष्य रखा है जैसे मार्च 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 15 परसेन्ट से कम लाइन लांस होगा से कम लाइनलास होगा वहां पर हमने 24 घण्टे बिजली का प्राविधान किया है और शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत का है अगर 2018 में जिन फीडरों पर लाइन लास 10 प्रतिशत से कम है उन फीडरों को समय से पूर्व 24 घण्टे बिजली देने की हमारी योजना है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लास 15 प्रतिशत से कम है उन क्षेत्रों में समय से पूर्व सबको बिजली देने की हमारी योजना है। एक बात में और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

जब इतना आप प्रवचन देते है तो जो आप सौभाग्य योजना बार-बार बोल रहे है गांव में एक दुर्भाग्य योजना आपके इंजीनियर चला रहे है और उस दुर्भाग्य योजना का इतना बड़ा असर है दोनों तरफ के सदस्य बताएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

ट्रांसफार्मर लगेगा तो पैसा दो ट्रांसफार्मर चेंज होगा तो पैसा दो क्षमता बढ़ाना है तो पैसा दो।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा नही-नहीं कहने पर)

श्री सुखदेव राजभर-

मैं भुक्तभोगी हूं। मैं 15 उदाहरण दे दूंगा लिखकर आगे पहुंचा दूंगा।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, योगी सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था नही है अगर ऐसा हो तो लिखकर दे दें हम उन अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगे।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी इतना बता दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।† अब 12.21 हो गया राजभर जी हम आपके लिए पहले कहे नहीं थे।

श्री सुखदेव राजभर-

ठीक है मैं बैठ जाता हूं।

प्रदेश के विद्युत लाइनमैनों के रिक्त पदों को भरने की जानकारी

***13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत लाइनमैनों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार लाइनमैंनों के रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सभी विद्युत वितरण निगमों तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर में लाईनमैनों के रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है-

1-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में लाईनमैनों के 1419 पद रिक्त हैं।

2-पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 में लाईनमैनों के 1155 पद रिक्त हैं।

3-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में लाईनमैनों के (टी0जी0-2) के 659 पद रिक्त हैं।

4-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में लाईनमैनों के 924 पद रिक्त हैं।

5-कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर में लाईनमैनों के 55 पद रिक्त हैं।

जी हां। लाईनमैन का पद शत् प्रतिशत पदोन्नति का पद है और इन पदों पर कुशल श्रमिक से पदोन्नति की जाती है।

यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य के अन्तर को कम करने के सम्बन्ध में कार्य योजना

***14-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दवाओं के लागत मूल्यों एवं बिक्री मूल्यों में अन्तर को क्रम करने हेतु कोई नीति सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† नोटः-तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध निर्माण विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ड्रग प्राइस कन्ट्रोल आर्डर, 2013 के अन्तर्गत औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित एवं नियंत्रित किया जाता है, जो औषधियों के लागत मूल्यों एवं बिक्री मूल्यों के अन्तर को नियंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में बगैर फार्मासिस्टों के चल रहे मेडिकल स्टोरों को ट्रेड करके मेडिकल स्टोर के लाइसेन्स का नवीनीकरण करने की जानकारी

***15-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं, व कितने लाइसेन्सी मेडिकल स्टोर हैं ? क्या मेडिकल स्टोर की अपेक्षाकृत फार्मासिस्टों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार बगैर फार्मासिस्टों के चल रहे मेडिकल स्टोर्स को ट्रेड करके मेडिकल स्टोर के लाइसेन्सों का नवीनीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत फार्मासिस्टों की संख्या 75800 है। प्रदेश में कुल मेडिकल विक्रय लाइसेंन्सों की संख्या 117773 है, जिनमें से होलसेल लाइसेंन्स की संख्या 41079, निर्बन्धित लाइसेन्सों की संख्या 5151 एवं कार्यरत फुटकर औषधि विक्रय लाइसेन्सों की संख्या-71543 है। उपरोक्त में से केवल फुटकर औषधि विक्रय लाइसेन्सों में औषधि विक्रय हेतु पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनिवार्यता रहती है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

बगैर फार्मासिस्टों के चल रहे मेडिकल स्टोर को ट्रेन्ड (प्रशिक्षित) करके मेडिकल के लाइसेन्स का नवीनीकरण किये जाने का कोई भी प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अन्तर्गत नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

शुक्लागंज, जनपद उन्नाव से जनपद लखनऊ के मध्य उप नगरीय बस सेवा चालू कराने की मांग

01-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुक्लागंज, जनपद उन्नाव से जनपद लखनऊ के मध्य कोई उपनगरीय बस सेवा न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर उपनगरीय बस सेवा चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्रशासन द्वारा उन्नाव बस स्टेशन से गांधीनगर चौराहा के मध्य अत्यन्त संकीर्ण मार्ग तथा आबादी क्षेत्र एवं भारी भीड़ के दृष्टिगत भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाये जाने के कारण संचालन कराया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न शहरों में वाहनों को प्रदूषण के मानक प्राप्त न करने के कारण प्रतिबन्धित किये जाने का विवरण

02-श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में कितने वाहनों को प्रदूषण के मानक प्राप्त न करने के कारण प्रतिबन्धित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदूषण के मानक न प्राप्त करने के कारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आलोच्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में (01-04-2017 से 30-11-2017 तक) कुल 39576 वाहनों का चालान किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-04-2015 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल चालित वाहन तथा 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, जिनका अनुपालन न करने वाले वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

एन0सी0आर0 क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के आदेशों के अनुपालन में 15 वर्ष पुराने पेट्रोल चालित वाहन तथा 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के विरुद्ध दिनांक 10-11-2017 से 30-11-2017 तक चलाये गये विशेष चेंकिंग अभियान में 753 वाहनों के चालान किये गये तथा 500 वाहन निरुद्ध किये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत लक्ष्मीनगर ग्रन्ट में विद्युत आपूर्ति बहाल किये जाने की मांग विषयक

03-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की ग्राम पंचायत लक्ष्मीनगर ग्रन्ट में लगभग 7-8 माह से खम्भे टूटे होने के कारण विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खम्भे ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत, लक्ष्मीनगर, ग्राम पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना) में चयनित है, जिसके विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। संदर्भित ग्राम की लाइन के पोल टूट जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी थी। पोल बदलने का कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

उक्त कार्य दिनांक 30-12-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का आवंटन कम कर दिये जाने से उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाई के तेल आवंटन में वृद्धि की मांग विषयक

04-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का आवंटन कम कर दिये जाने से उपभोक्ताओं को मात्र 1 लीटर तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 2 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह दिये जाने से घर में दीपक जलाना भी मुश्किल हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिट्टी के तेल का आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। भारत सरकार से प्राप्त हो रहे मिट्टी के तेल की मात्रा में निरंतर कमी हो रही है। भारत सरकार से प्राप्त हो रहे मिट्टी के तेल की मात्रा के दृष्टिगत वर्तमान में अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को 3.5 लीटर एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 2 लीटर प्रतिमाह मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार से प्राप्त हो रहे मिट्टी के तेल की मात्रा के दृष्टिगत की उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल का आवंटन किया जाता है।

[12:20 बजे] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 97 सूचनायें प्राप्त हुई। सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री ममतेश शाकय की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली में अतिरिक्त परगनाधिकारी/तहसीलदार एवं लेखपालों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की महानगर सहारनपुर के पुराने शहर में जर्जर सीवरेज व्यवस्था के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री आशीष कुमार सिंह, 'आशू' की जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावाँ को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रतीक भूषण

सिंह की जनपद गोण्डा के फाउन्टेन चौराहे से दयानन्द मार्ग (उतरौला रोड) तक के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवी सूचना डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के अति प्राचीन पहाड़ खां पोखरा का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में चिकित्साधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल फैकल्टी में सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में भयहरणनाथ धाम तक मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवमी सूचना श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में ट्रामा सेन्टर, आधुनिक चीर घर व 100 बेड का अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोंडर में बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा राऊ में बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जिला महराजगंज के ग्राम सभा बनरसिंहा खुर्द में पुरातत्व द्वारा खुदाई करके पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाडी में जमथुआ बंधी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के बरखेडा में उ0प्र0 परिवहन की बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद शाहजहाँपुर एवं सेवरही में गन्ना शोध परिषद् में कार्यरत 1999 के कार्मिकों को विनियमित करने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री शरद कुमार अवस्थी की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राजीव तरारा जनपद अमरोहा के आनन्द धाम तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठारहवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की सोनभद्र की ऐतिहासिकता को देखते हुए सोनभद्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के बल्देव में गंग नहर में एस0डी0ओ0 तथा जे0ई0 द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की जाँच एवं टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ के नगर निगम में सीमा विस्तार पंचायत राज विभाग द्वारा डिनोटीफिकेशन जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली शहर में एक आपदा सेन्टर (फायर बिग्रेड सेन्टर) बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री सूर्य भान सिंह की उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 में सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद दीन दयाल नगर (मुगलसरॉय) में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना डा अवधेश सिंह की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा में जल निकासी के सम्बन्ध में है, पचीसवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा में उदी क्षेत्र में टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की आगरा क्षेत्र के धनौली गांव का नाला पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र

सेवता में लाइन मैन एवं ट्रान्सफार्मर की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के रा0 सं0 चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, उन्नतीसवीं सूचना श्री राम प्रताप वर्मा की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला मकनपुर से नवाबगंज अयोध्या मार्ग मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचनाश्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में फायर स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्कतीसवीं सूचना श्री विजय कुमार कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के ग्राम बुड़ीन कला में बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री कमल सिंह मलिक की जनपद हापुड के विधान सभा क्षेत्र गढमुक्तेश्वर के बहादुरगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत एवं विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल बाल्मीकि की जनपद मु0 नगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के कतिपय स्थानों में शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में महिला राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्रदेश की कृषि ऋण समितियों के प्रभारी/सचिवों के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम होडौली में हिण्डन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना डा0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के सहकारी आवास समिति लि0 आगरा के सचिव को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में विस्तृत सिंचाई एवं पेयजल योजना के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री रमाशंकर पटेल की जनपद मिर्जापुर के विधान क्षेत्र मड़िहान अन्तर्गत सिंचाई हेतु नुनौटी बंधी के लेफ्ट एवं राइट नहर की पक्की लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर नगर पालिका एवं नगर पंचायत में ओवहैड टैंक एवं उससे जुडी पाइप लाइनों को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत शाहजहाँपुर बीसलपुर स्टेट हाइवे पर स्थित ग्राम निगोही में कैमुआ नाला पर बने पुल के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गोमती नदी पर नये पुल की स्थापना के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार रावत की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की सई नदी पर पुराने जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवी सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र उत्तरी वाराणसी के अन्तर्गत हुकुलगंज एवं ढेलवरिया के मध्य नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के मिलख साहाबाद में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा में ट्रान्सपोर्ट नगर जाने के लिये रेल पटरी के नीचे अण्डर पास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की

जनपद हरदोई के ग्राम गेगलापुर के समीप शारदा नहर की ब्रान्च सण्डीला पर पुल/पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय के थानाध्यक्ष एवं पुलिस कर्मियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री ओम कार सिंह यादव की जनपद बदायूँ की तहसील सहसवान में रासन वितरण व्यवस्था में अनियमितता की जाँच कराये जाने, दोषियों पर कार्यवाही कराये जाने एवं वितरण व्यवस्था बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं एवं आवासों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के कतिपय सब स्टेशनों पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 में सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ में हापुड रोड पर पुराने कमेले की रिक्त जगह पर 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली में भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में है, सन्तावनवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना इंजीनियर बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में महिला अस्पताल एवं भावत पुल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री अविनाश त्रिवेदी की जनपद लखनऊ से सीतापुर रोड हाइवे साढ़ामऊ में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद लखनऊ के अमीनाबाद इण्टर कालेज में तदर्थ रूप से कार्यरत प्रवक्ता/सहा0 अध्यापकों का स्थायीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री विनय कुमार द्विवेदी की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन के अन्तर्गत पृथ्वीनाथ मन्दिर को पर्यटक स्थल घोषित करके सम्पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना चौ0 उदय भान सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत लोअर खण्ड आगरा नहर की पुर्नस्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय ब्लाकों/ग्रामों में पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह अजय सिंह की जनपद बस्ती के अमौडा राज के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की मिर्जापुर के विन्ध्याचल में सीवर लाइन चोक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री छत्रपाल सिंह गंगवार की जनपद बरेली के तहसील बहेडी ग्राम सैदपुर बुजुर्ग परगना चौमहला की कथित नीलामी में हुई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना की ग्राम सभा गंधियाँव के कब्रिस्तान में की गयी अवैध बाउन्ड्री के परिपेक्ष में

जाँच/कार्यवाही कराये जाने एवं कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हत्तरवीं सूचना श्री हरिराम की जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना की ग्राम सभा गंधियाँव एवं हर्रई के मध्य लगाये गये विद्युत पोलों से विद्युत तारों का कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे में कतिपय स्थानों पर सिंचाई के साधन एवं अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना डा0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद इलाहाबाद के ग्राम नगदिलपुर विधान सभा क्षेत्र सोरावं में नहर के ऊपर पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के राजकीय डिग्री कालेज गभाना को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री नरेन्द्र पाल सिंह जादौन की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के कदौरा विकास खण्ड में ग्राम चेतला से नगवा मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्रीमती जय देवी की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद को विकास खण्ड माल में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवारकाँ की कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क/खण्डंजा/तालाब का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री पवन कुमार की जनपद कुशीनगर की विधान सभा हाटा में पानी की टंकियों से जलापूर्ति न होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद गाजीपुर की तहसील जखहनया के ग्राम सभा आगापुर में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा में पुलिया एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नासवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के कतिपय पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित मो0 प्रीतीनगर तथा भरतनगर में जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री उमा शंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में हजौली व चोगडा में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के बाबतपुर रजबाहा एवं अजगरा माइनर के टेल में पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लालगंज, प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री रामनरेश रावत की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बच्छरावां में अयुष चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ को प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात न किये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री लोकन्द्र सिंह की जनपद लखनऊ में एल्डिको सौभाग्यम के आवंटियों का धनादोहन किये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की अपर निजी सचिव परीक्षा 2010 के चयन में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं जांच हेतु शासन स्तर पर समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के सभी विकास खण्डों में सा0 स्वा0 केन्द्र/प्रा0 स्वा0 केन्द्र में दवाओं एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम करोहा

में नाले के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में चिकित्सालयों को भवन, डाक्टर एवं स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के नगर पालिका गुरसरायं में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में है, इक्यानवें सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के बिसवां में चीनी मिल में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानवेवीं सूचना श्री राम गोविद चौधरी की मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलाजी जनपद सीतापुर की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर के सुजातपुर खास से छोइया नदी का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी के तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना कुँ0 अजय प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित महमूदाबाद मेन्सन में नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सन्तानबेवीं सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन चिकित्सालय में मानक के अनुरूप कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी।)

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली के अतिरिक्त परगना अधिकारी/तहसीलदार एवं लेखपालों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय, नियम 301 के अन्तर्गत जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली में गंगा नदी के साथ में लगी हुई भूमि के सीमांकन के सम्बन्ध में आये दिन हो रही फौजदारी की घटनाओं को आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि उक्त भूमि का सीमांकन/हदबन्दी/मेडबन्दी न होने के कारण किसानों व स्थानीय निवासियों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। पूर्व में उक्त को लेकर कई हत्यायें तक हो चुकी है।

अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की भूमि के स्थायी सीमांकन हेतु मौजूदा तैनाती के अलावा अलग से राजस्वकर्मियों जिसमें अतिरिक्त परगनाधिकारी/तहसीलदार व लगभग 10 लेखपालों की नियुक्ति किया जाना अति आवश्यक है। जिससे सीमांकन की एवं अतिरिक्त सैकड़ों बीघा भूमि की पैमाइश कराकर स्थाई समाधान निकाला जा सके तथा क्षेत्र में व्याप्त उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

अतः उक्त समस्या के स्थायी निराकरण हेतु अलग से पटियाली तहसील में मौजूदा तैनाती के अलावा अलग से अतिरिक्त राजस्वकर्मियों जिसमें परगनाधिकारी/तहसीलदार व 10 लेखपालों की नियुक्ति किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महानगर सहारनपुर के पुराने शहर में जर्जर सीवरेज व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महानगर जनपद सहारनपुर के पुराने शहर के हिस्से में सीवरेज व्यवस्था बहुत ही जर्जर व्यवस्था में पहुँच गयी है जिसके कारण सीवरेज अधिकतर चोक अथवा ओवर फ्लो होता रहता है। कई जगह पीने का पानी के पाइप के सम्पर्क में आने के कारण घरों में टंकियों से सीवरेज का गन्दा व बदबूदार पानी पहुँचता है। इस कारण महामारी फैलने का खतरा लगातार बना रहता है एवं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। शहर की मलिन बस्तियों एवं कई इलाकों में सीवरेज की व्यवस्था भी नहीं है। जिस कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेल एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत पूरे शहर के सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा सके।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[मान्यवर, नियम 301 के माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सादर अवगत कराना है कि जनपद हरदोई की विधान सभा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है इसका तहसील मुख्यालय क्षेत्र एक सिरे पर बिलग्राम में है तथा क्षेत्र में बहुत बड़े भाग के निवासियों को अपनी तहसील सम्बन्धी समस्याओं के लिये लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है परिणाम स्वरूप आम जन मानस परेशानियों के साथ-साथ अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। चूँकि आजादी के पूर्व मल्लावां जिला क्षेत्र के रूप में विकसित था और जिसे की सम्पूर्ण गतिविधियाँ यहाँ से संचालित होती थी। उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जनपद की समस्याओं को देखते हुए जनपद के भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा जी ने जिले में दो नई तहसीलों के गठन का प्रस्ताव किया था।

आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां को तहसील बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के फाउन्टेन चौराहे से दयानन्द मार्ग (उतरौला रोड) तक के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रतीक भूषण सिंह-

[मान्यवर, विषय जनपद गोण्डा (उ0 प्र0) में शहर में फाउन्टेन चौराहे से दायीं ओर के मुख्य मार्ग, वी मार्ट काम्पलेक्स होते हुए दयानन्द मार्ग (उतरौला रोड) तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

महोदय, निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित मार्ग गोंडा शहर का मुख्य मार्ग है यहाँ पर बाजार है। यहाँ पर काफी आवागमन बना रहता है। यहाँ का लगभग एक किलोमीटर का मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है, जगह-जगह पर गड्ढे हैं जिससे वाहनों को क्षति पहुँचती है तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त उल्लिखित शहर के मुख्य मार्ग को समुचित ढंग से बनवाये जाने हेतु मा0 नगर विकास मंत्री, उ0प्र0 सरकार से अनुरोध किया जाना अपेक्षित है।]

जनपद गाजीपुर के अति प्राचीन पहाड़ खाँ पोखरा का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवन्त-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 375 सदर, जनपद गाजीपुर नगर पालिका के अन्तर्गत अति प्राचीन पहाड़ खाँ का पोखरा है। यह क्षेत्र जनता की आस्था एवं विश्वास से जुड़ा हुआ है। पारम्परिक पर्व दशहरे के अवसर पर रामलीला मंचन के दौरान नदी के प्रतीक के रूप में इस पोखरे का राम, सीता और लक्ष्मण द्वारा नदी पार का मंचन कराया जाता है। ऐसे कार्य हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। वर्तमान में यह पोखरा काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं इसमें नाले का पानी व कूड़ा इत्यादि फेंका जाता है। जनहित में पहाड़ खाँ के पोखरा का जीर्णोद्धार कराया जाना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पोखरे का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद फतेहपुर के कतिपय ग्रामों में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल-

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड हथगाम के अन्तर्गत ग्राम चक गाजीपुर मजरे मकदूमपुर कला एवं विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत ग्राम माँझेपुर, पोस्ट जाफरगंज में ग्राम वासियों को शादी समारोह में बारात ठहराव की उचित व्यवस्था न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह समस्या बारिश व सर्दी के मौसम में और बढ़ जाती है आस-पास के कई गांवों में कोई भी सरकारी भवन/बारात घर नहीं है जिससे गरीब परिवारों को शादी एवं अन्य प्रयोजनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चक गाजीपुर तथा माँझेपुर में बारात घर बन जाने से मजरे के कई गांवों को इसका लाभ होगा।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त बारात घर की स्थापना हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा चिकित्साधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल फैकल्टी में सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, डा0 राजेश जैन प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में चिकित्सा अधिकारी के पद से वर्ष 1998 से प्रतिनियुक्ति पर मेडिकल फैकल्टी में सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किये गये थे। डा0 जैन द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने प्रभाव के बल पर प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष बढ़ाकर अपना मर्जर प्रान्तीय सेवा से स्टेट मेडिकल फैकल्टी में करा लिया जिस पर आज तक कार्यरत है।

ज्ञात हो कि विभागीय नियमानुसार स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति उ0प्र0 शासन करती है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सदस्य के प्रस्ताव पर नहीं की जाती। इसका उदाहरण तत्कालीन मेडिकल फैकल्टी के सचिव/रजिस्टार की सेवा को उ0 प्र0 सरकार ने निरस्त कर दिया था। इस पर मा0 उच्च न्यायालय ने भी सरकार के फैसले पर मोहर लगाई थी। उ0 प्र0 सरकार के द्वारा डा0 जैन को कोई भी सेवा विस्तार नहीं दिया गया है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सेवा नियमावली, 66, दिनांक 07-09-1995 को संशोधित किया गया है, जिसमें सचिव/रजिस्टार के नियुक्ति का अधिकार उ0 प्र0 शासन के पास है। श्री जैन द्वारा नियमावली के विरुद्ध बिना शासन के अनुमति के अपना कार्यकाल बढ़ाया गया है।

ज्ञात हो कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ0 प्र0 नियम 39(ए) शासनादेश, 1933 के अनुसार मेडिकल फैकल्टी की गवर्निंग बाडी के बैठक की कार्यवाही/प्रस्ताव एक महीने के अन्दर शासन को प्रेषित किया जाना चाहिये, जो डा0 जैन के द्वारा आज तक नहीं किया गया है। श्री जैन पद पर रहते हुए अपने चहेतों को फैकल्टी के सदस्य के रूप में नामित करते रहे हैं। लगभग 20 वर्षों से मेडिकल फैकल्टी में कोई भी निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया। जबकि नियमानुसार तीन वर्षों में मेडिकल फैकल्टी का चुनाव होना चाहिये।

उपरोक्त प्रकरण में डा0 जैन की नियम विरुद्ध नियुक्ति एवं क्रिया कलापों की जांच कराकर विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में भयहरणनाथ धाम तक मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि उपरोक्त भयहरणनाथ धाम प्रतापगढ़ के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तिम दक्षिणी सीमा पर बकुलाही नदी के तट पर स्थित है। यह धार्मिक स्थल जनपद प्रतापगढ़ व जनपद इलाहाबाद के मध्य होने के कारण दोनों जनपदों के निवासियों की धार्मिक आस्था का केन्द्र होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस धाम पर प्रत्येक मंगलवार हजारों दर्शनार्थियों के द्वारा मन्दिर में देवी-देवताओं का जलाभिषेक करके निशान चढ़ाया जाता है। किन्तु कटरा गुलाब सिंह बाजार बहुत सघन होने के नाते दर्शनार्थियों को चार पहिया वाहन व ट्रैक्टर आदि ले जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है व बाजार में जाम से आये दिन विवाद होता रहता है। धाम को जाने हेतु एक अच्छा मार्ग सरायभूपति कटरा गुलाब सिंह, बकुलाही नदी के पुल से नदी की पटरी होते हुए भयहरणनाथ धाम तक का निर्माण कराया जा सकता है। जिसका पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग के द्वारा एक बार आगणन भी तैयार किया जा चुका था। किन्तु विभागीय उदासीनता की वजह से अब तक कोई भी प्रगति नहीं हो सकी। जिससे जनता में भारी आक्रोश है।

अतः माननीय महोदय जनहित को देखते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में ट्राम सेन्टर आधुनिक चीरघर व 100 बेड का अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नितिन अग्रवाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद हरदोई के सदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार ने ट्रामा सेन्टर, आधुनिक चीरघर व 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कराया गया था जिसमें विगत 9 माह के अन्दर न किसी डाक्टर न किसी पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति एवं उपकरणों को नहीं लगाया जा सका है। जिससे जनपद के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनमानस में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोंडर में बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री सतीश चन्द्र शर्मा-

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेहीघाट, विकास खण्ड बनीकोंडर में भिरिया चौराहा जो कि तहसील मुख्यालय के साथ हाइवे पर स्थित है। बस स्टाफ न होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में बस अड्डे हेतु जमीन भी उपलब्ध है। जनहित में भिटरिया में बस अड्डा बनाया जाना आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए भिटरिया में बस अड्डा बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरामऊ में बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

[मान्यवर, जनपद हाथरस में सिकन्दरामऊ विधान सभा जिसकी कुल आबादी 10 लाख है और इसके केन्द्र सिकन्दरामऊ में बस स्टैण्ड नहीं है। एटा से दिल्ली जाने वाली सभी बसें बिना रूके निकल जाती है। जिससे यात्रियों को कहीं भी आने-जाने में बड़ी ही असुविधा होती है। सिकन्दरामऊ में एक बस अड्डा विकसित किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है। जिससे क्षेत्र के लोगों का यात्रा करने में असुविधा न हो।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जिला महराजगंज के ग्राम सभा बनरसिहां खुर्द में पुरातत्व द्वारा खुदाई करके पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र नौतनवां, जिला महराजगंज के ग्रामसभा बनरसिहां जो पुरातत्व विभाग के लिये संरक्षित है। इस पर उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग एवं भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन किया जिससे यह बात प्रमाणित पायी गयी कि यह भगवान गौतमबुद्ध का ननिहाल एवं सुसराल देवदह था। इस अति महत्वपूर्ण स्थल को 20 वर्ष उत्खनन के बीत जाने के बाद भी आज तक उ0प्र0 पर्यटन विभाग एवं उ0प्र0 पुरातत्व संरक्षण विभाग पर्यटन स्थल के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जिससे अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पर आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण आज तक जो विदेशी पर्यटन आते उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता, जो स्वदेशी पर्यटन आते उनका भी मार्गदर्शन नहीं हो पाता। जबकि देवदह का महत्व सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, गया से भी अधिक महत्व का स्थल है। ऐतिहासिक तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भगवान बुद्ध पूर्ण अस्थि कलश दुनियां में कहीं है तो यहीं है। सरकार यदि उस तरफ ध्यान आकृष्ट करें और उत्खनन को बढ़ाये तो यह दुनियां का यह अनोखा स्थल दुनियां के सामने आ सकता है।]

जनपद मिर्जापुर के विधान खण्ड पहाड़ी जमथुआ बंधी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत पहाड़ी विकास खण्ड जमथुआ बंधी का कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। उक्त बंधी का निर्माण पूर्ण न होने के कारण नहरों में पानी नहीं जा रहा है और किसानों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। सन् 1989 में उक्त बंधी का शिलान्यास किया गया था, किन्तु पूर्ववर्ती सरकारों की अकर्मण्यता के कारण अभी तक बंधी का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। क्षेत्र के किसानों में उक्त विषय को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त बंधी का निर्माण पूर्ण कराना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की माँग करती हूँ।]

जनपद पीलीभीत के बरखेड़ा में उ0प्र0 परिवहन की बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशनलाल राजपूत-

[मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध करते हुये निवेदन करना है कि जनपद पीलीभीत की 128, बरखेड़ा विधानसभा के कुछ मुख्य मार्गों पर उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों का संचालन नहीं होता है। जिस कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही प्राइवेट यात्री वाहनों की ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर सड़क दुर्घटनायें होती रहती है। जनहित में नयी बसों के संचालन आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैं-

1-पीलीभीत से शाहजहांपुर वाया बरखेड़ा, बीसलपुर, निगोही

2-पीलीभीत से लखीमपुर वाया गजरौला, पूरनपुर

3-पीलीभीत से पूरनपुर वाया माधौटांडा

4-पीलीभीत से सितारगंज वाया जहानाबाद

5-पीलीभीत से बहेड़ी वाया जहानाबाद

अतः नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर एवं सेवरही में गन्ना शोध परिषद् में कार्यरत 1999 के कार्मिकों को विनियमित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुराग सिंह-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा जनपद शाहजहाँपुर एवं सेवरही में वर्ष 1993 और 1999 में कुछ कार्मिकों की नियमित नियुक्तियाँ की गयी थी। वर्ष 1993 में नियुक्त कार्मिकों को उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा विनियमित कर दिया गया, किन्तु वर्ष 1999 में नियुक्त किसी भी कार्मिक का विनियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है। वर्ष 1999 में नियुक्त किये गये कार्मिकों का विनियमितीकरण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी विभाग को निर्देश दिये जाने के बाद भी विनियमितीकरण नहीं किया गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् द्वारा शाहजहाँपुर एवं सेवरही में वर्ष 1999 में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शरद कुमार अवस्थी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामनगर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड सूरतगंज जो कि विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। विकास खण्ड सूरत के अन्तर्गत गोडियनपुरवा बबुरिहा मार्ग तक कुटवा पंचमुखी बाला जी मन्दिर मार्ग, लालपुर-भैरमपुर मार्ग से मोहडिया-नया पुरवा मन्दिर मार्ग तथा कड़ाकापुर-भैरमपुर मार्ग से मोल्हेपुरवा-मल्लाहापुरवा सम्पर्क मार्ग जो कि कच्चा मार्ग है। इन मार्गों का पक्का निर्माण न होने के कारण मार्ग में जगह-जगह बड़े गड्ढे होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है और आये दिन दुर्घटनावश लोग चोटिल भी होते रहते हैं। बरसात के दिनों मार्ग के कच्चा होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छात्र-छात्राओं को स्कूलों में जाने में काफी कठिनाई होती है। जनहित में इन मार्गों का पक्का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का डामरीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के आनन्दधाम तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 39 धनौरा जनपद अमरोहा के अन्तर्गत धनौरा स्थित आनन्द धाम तालाब के सौन्दर्यीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि नगरवासियों व क्षेत्रवासियों की धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। यह तालाब मन्दिरों के बीच में स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त तालाब का सौन्दर्यकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त तालाब का सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

सोनभद्र की ऐतिहासिकता को देखते हुए सोनभद्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[मान्यवर, मेरे जनपद सानेभद्र में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं। जनपद सोनभद्र चार राज्यों बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। साथ ही साथ पांचवा राज्य उ0प्र0 का स्वयं हिस्सा है। विश्व की प्राचीनतम नगर काशी जो भारत के प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में जाना जाता है। हमारे जनपद से 50 किमी0 दूरी पर स्थित है। यहाँ विश्व का प्राचीनतम फॉसिल्स पार्क (सलथन) है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी पर स्थित बाबा मंगेश्वर नाथ मन्दिर है। विजयगढ़ का किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। शिव द्वार का प्रसिद्ध शिव मन्दिर अपने आप में बहुत प्रसिद्धि रखता है। जब सम्पूर्ण देश में पर्यटन में गिरावट आती है उस समय सोनभद्र अपनी प्राकृतिक विपुलता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सोनभद्र में एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के बलदेव में गंग नहर में एस0डी0ओ0 तथा जे0ई0 द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की जांच एवं टोल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'-

[मान्यवर, जनपद मथुरा के बलदेव विधान सभा में किसानों की सिंचाई का एकमात्र साधन राया एवं बलदेव ब्लाक (मथुरा) में मॉट ब्रान्च गंग नहर है। इसमें से बलदेव रजवाहा, कुरसंडा राजवाह व अन्य कई माइनरे निकलती हैं। इसी प्रकार से फरह ब्लाक (मथुरा) के किसानों की सिंचाई के एकमात्र साधन अपर आगरा कैनाल मथुरा तथा लोअर आगरा कैनाल मथुरा है। इसमें से बरारी राजवहा, फरह राजवहा, महुअन रजवाहा, परखम रजवाह, फतेहपुर सीकरी राजवहा आदि अन्य माइनरें निकलती हैं। मौजूदा समय में मॉट ब्रान्च गंग नहर से निकलने वाली और राया एवं बलदेव ब्लाक में लगभग 4 लाख ग्रामीण आंचल में किसानों को मॉट ब्रान्च गंग नहर की बढ़े राजवाहा से बलदेव व राया राजवहा से जितनी भी आगे माइनर निकलती हैं सभी सूखी पड़ी हैं। इस समय मथुरा जनपद व आस-पास के जनपदों में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है जिससे किसान अभी धान एवं आलू की फसलों को पर्याप्त सिंचाई, पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं मॉट ब्रान्च के अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व एस0डी0ओ0 तथा जे0 ई0 व अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्र के किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसी प्रकार से फरहा में अपर आगरा कैनाल (मथुरा) का हाल है। दो दिन पूर्व ही क्षेत्रीय किसानों के साथ मॉट ब्रान्च गंग नहर के सिंचाई विभाग के अधिकारियों व इंजीनियरों की अकर्मण्यता के कारण कार्यालय व नहर पर प्रदर्शन किया गया तथा जिलाधिकारी मथुरा द्वारा भी पिछले पखवाड़े सिंचाई विभाग की गैर जिम्मेदाराना कृत्य के कारण शासन को उपरोक्त क्षेत्रों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिये शासकीय पत्र भी भेजा गया है। जनहित में शीघ्र ही क्षेत्रीय किसानों को आखिरी छोर (टेल) तक सिंचाई का पानी जनहित में उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही मॉट ब्रान्च गंग नहर मथुरा में गाँव नगला रतिया में तथा इसके आस-पास के ग्रामों के दबंग किसानों ने विभाग की मिलीभगत से अवैध कुलावे नहर में लगा रखे हैं।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के नगर निगम में सीमा विस्तार पंचायती राज विभाग द्वारा डीनोटिफिकेशन जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल पाराशर-

[मान्यवर, अलीगढ़ नगर निगम के सीमा विस्तार का नोटीफिकेशन (संख्या 3330/9-7-17-20(ए0क्यू0)/2013), दिनांक 31 अगस्त, 2017 को लखनऊ नगर विकास अनुभाग-7 द्वारा जारी हुआ था। उसका डीनोटिफिकेशन पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और अभी भी विस्तार वाला क्षेत्र ग्राम प्रधानों के अधिकार क्षेत्र में है। जिसके कारण नगर निगम अलीगढ़ उस विस्तार हुए क्षेत्र में विकास कराने में नहीं करा है जिससे सीमा विस्तार होने के बाद भी क्षेत्र की जनता आज भी नगर निगम की सुविधाओं से वंचित है। जनहित में विकास हेतु पंचायत राज विभाग द्वारा डीनोटिफिकेशन जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये पंचायत राज विभाग द्वारा अविलम्ब डीनोटिफिकेशन जारी कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली शहर में एक आपदा सेन्टर फायर बिग्रेड सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, बरेली उ0 प्र0 के बड़े नगरों में से एक है। महानगर की आबादी लगभग 10 लाख से ऊपर है तथा काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में। पूरे महानगर में एक ही फायर बिग्रेड स्टेशन है जो दक्षिणी भाग में स्थित है। उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग को जोड़ने वाली तीन सड़कें हैं जो कम चौड़ी सड़कें हैं जिन पर जाम बहुत रहता है। दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में आने में काफी समय लग जाता है। किसी भी आपदा या आग लगने की स्थिति में फायर बिग्रेड को पहुँचने में आधा घंटा लग जाना मामूली बात है।

इन परिस्थितियों को देखते हुये महानगर के उत्तरी भाग में मिनी बाईपास पर जेल की भूमि उपलब्ध है। यहाँ पर एक आपदा सेन्टर (फायर बिग्रेड स्टेशन) बनाया जा सकता है जो आपदा के समय इस क्षेत्र की जनता के लिये बहुत उपयोगी साबित होगा।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 के सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में

श्री सूर्यभान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। उ0 प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा वर्ष 2016 में सीधी भर्ती के 29 चयनित अभ्यर्थियों का अगस्त 2017 से अभी तक पुलिस सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि लगभग 250 अपर जिला जज के पद प्रोन्नति न हो पाने के कारण रिक्त पड़े हैं। सीधी भर्ती के मात्र 29 सफल अभ्यर्थियों का अगस्त, 2017 से अब तक पुलिस सत्यापन नहीं हो सकता है, सत्यापन न होने के कारण यह अभ्यर्थी दर-दर भटक रहे हैं, यही नहीं न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है और समयबद्ध तरीके से मुकदमों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में रोष की भावना पैदा हो रही है, यह गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रकरण है, तत्काल चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किये जाने की आवश्यकता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद दीनदयाल नगर (मुगलसराय) में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती साधना सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 380 दीनदयाल नगर (मुगलसराय), जिला चन्दौली के अन्तर्गत निम्न कार्यों को कराना जनहित में अति आवश्यक है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने से क्षेत्र की जनता को सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ आर्थिक विकास भी होगा।

1-सिकन्दरपुर से गोरारी-तेतरियां मार्ग का नवनिर्माण।

2-शिवपुर (अकोढ़ा कला) से हीरामनपुर-महदेउल से लौदा माइनर होते हुए एन0एच0-2 एक मार्ग का निर्माण।

3-ग्राम खुरजहाँ काली मन्दिर से रामगढ़वा सम्पर्क मार्ग।

4-बबुरी धरौली से जलखोर होते हुए भटपुरवां सम्पर्क मार्ग।

5-चन्दौली बबुरी से गोपालपुर वियर सम्पर्क मार्ग।

6-टड़िया सम्पर्क मार्ग।

7-शिवपुर माठो मजरा से अकोढ़ा सम्पर्क मार्ग।

8-रघुनाथपुर पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग।

9-जसुरी बासूपुर मौजा से चकिया गांव शहीद बाबा तक मार्ग निर्माण।

10-बिन्दपुरवा से अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण।

11-अकोढ़ा कलां आदेश गांव में मार्गों का मरम्मत कार्य।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त कार्यों को नाबार्ड योजना/पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत कराने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा में जल निकासी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश सिंह-

[मान्यवर, मेरे पिण्डरा विधान सभा क्षेत्र के कठिरांव बाजार व पिण्डरा बाजार काफी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। जिनकी जनसंख्या लगभग 28 व 25 हजार के लगभग है। इन बाजारों में जल निकासी की समस्या बनी रहती है। बरसात के मौसम में जल काफी इकट्ठा हो जाता है जिससे आवागमन बाधित रहता है और क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों द्वारा बार-बार इस समस्या के समाधान हेतु आग्रह किया गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इटावा में उदी क्षेत्र में टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र इटावा में सिंचाई की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र इटावा बीहडी क्षेत्र है। यहाँ पर सिंचाई की समस्या के निदान के लिये बनायी गयी लिफ्ट कैनाल पिनहट से उदी क्षेत्र में इसका चौड़ीकरण एवं पानी टेल तक पहुँचाना आवश्यक है। इस समस्या के निराकरण के लिए मेरे द्वारा कई बार लिखने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही न होने से समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है जिससे सिंचाई की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लिफ्ट कैनाल पिनहट से उदी क्षेत्र में इसका चौड़ीकरण एवं पानी टेल तक पहुँचाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

आगरा क्षेत्र के धनौली गांव का नाला पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा-

[मान्यवर, जनपद आगरा के विकास खण्ड विचपुरी के धनौली गांव का नाले का निर्माण लगभग 1 किमी0 अधूरा पड़ा है जनहित में इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराना अत्यन्त आवश्यक है। बरसात के दिनों में क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा जल भराव से गांवों में मकान गिर सकते हैं जिससे जन-धन की बहुत हानि होगी।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता में लाइन मेन एवं ट्रांसफार्मर की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सेवता विधानसभा जो कि बाढ़ ग्रसित विधान सभा है। पूरी विधान सभा में मात्र एक विद्युत उपकेन्द्र है, जबकि लगभग 1600 गांव है जिसमें मात्र लगभग 500-600 गांवों में बिजली है। विद्युत लाइने जर्जर हैं। सीतापुर जिले में विद्युत वितरण के दो नए खण्ड बनाये गये हैं। रेउसा में नए विद्युत वितरण खण्ड का कार्यालय बने अधिशासी अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी यहां नहीं बैठते क्योंकि मेरी विधानसभा में बिजली विभाग का कोई कार्यालय नहीं है। थानगांव, रामपुर, मथुरा में नए उपकेन्द्र बने। रेउसा टाउन, थानगांव, भिटौली आदि स्थानों पर नए फीडर बनाये जाये। रेउसा के बम्भनावां उपकेन्द्र में लाइनमैन, विद्युत उपकरणों, ट्रांसफार्मरों की बढ़ोत्तरी की जायं। दिव्यांस, केईआई कार्यदायी संस्थायें अपने कार्य में तेजी लाए। जर्जर लाइनों, उपकरणों की मरम्मत हो। स्टोर में उपकरण समय पर व क्रमानुसार दिये जाये। स्टोर पर ट्यूबवेल सामान की उपलब्धता में तेजी लाई जाये।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के राढ सं0 चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय है लेकिन उसके अन्दर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। सिकन्द्राबाद नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख नगर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 पर स्थित है। यहाँ पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 का एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर गम्भीर दुर्घटना होने की स्थिति में इलाज हेतु घायल व्यक्तियों को बुलन्दशहर अथवा नोएडा जाना पड़ता है। यहाँ पर कुशल सर्जन, न्यूरो सर्जन, हृदय विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सिटी स्कैन तथा ट्रामा सेन्टर स्थापित होना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कराने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला मनकापुर से नवाबगंज अयोध्या मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप वर्मा-

[मान्यवर, सूच्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र 293 उतरौला जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला मनकापुर से नवाबगंज अयोध्या को जोड़ने के लिए प्रमुख मार्ग है, जोकि जर्जर अवस्था में पड़ा है। श्रद्धालुओं के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त मार्ग को कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में फायर स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में फायर स्टेशन की अत्यन्त आवश्यकता है। गर्मी के दिनों में खेतों व मकानों में आग लगने की घटनाएं आये दिन होती रहती हैं जिससे जन धन की बहुत हानि होती है। जनहित में फायर स्टेशन का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के ग्राम बुडौना कला में बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार कश्यप-

[मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम बुडौना कलां, ब्लाक बघरा में 10-15 किमी0 के दायरे में बालिकाओं के लिए कोई विद्यालय नहीं है। बच्चियों को पढ़ाई के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है। इस लिये नया बालिका विद्यालय खोला जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के बहादुरगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत एवं विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री कमल सिंह मलिक-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ मे स्थित बहादुरगढ़ ग्राम सभा स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 35000 है व लगभग 16 हजार वोटर है। विधानसभा के लगभग दक्षिण कोने में स्थित है। जो वहाँ का एक प्रसिद्ध व्यापारी केन्द्र है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त ग्रम को विकास खण्ड का दर्जा देते हुए नगर पंचायत बनाया जाये, जिससे उसका सुचारु रूप से प्रशासनिक एवं सामाजिक विकास हो सके।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के कतिपय स्थानों में शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत बरला, छपार, रोहाना खुर्द, भोजाहेडी, खईखेड़ी, पचेन्डा कलां, बागोवाली, खामुपर, बामनहेडी, मिमलाना, बाननगर, सिसौना आदि गांवों में शवदाह गृह नहीं है। उक्त गांवों में शवदाह गृह नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को बहुत असुविधा होती है। उक्त गांवों में शवदाह गृहों का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र 283 नानपारा में शिवपुर, बलहा व नवाबगंज ब्लाक आता है। शिवपुर व बलहा ब्लाक सरयू नदी के कारण दो भागों में विभक्त है। नदी के उस

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पार की जनता को आने-जाने में बहुत समस्या उठानी पड़ी है। इसलिए सरयू नदी के पश्चिम उस पार रामपुर धोबिया हार जो कि शिवपुर ब्लाक में आता है। रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रामपुर धोबिया हार को विकास खण्ड बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में महिला राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र 301 गौरा जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बभनजोत विकास खण्ड में लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। यहाँ एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने से बभनजोत क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर, रसूलपुर खान, अल्लीपुर, गौरा चौकी, करनपुर व कूकनगर ग्रंट इत्यादि गांवों के लड़कियों को सुविधा प्राप्त होगी। अभी इन क्षेत्रों के लड़कियों को दूरस्थ स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। जनहित/छात्राओं के हित में बभनजोत विकास खण्ड में एक महिला राजकीय महाविद्यालय खोला जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये महिला राजकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के कृषि ऋण समितियों के प्रभारी/सचिवों के वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की 80 प्रतिशत जनता कृषि कार्य करती है। ऐसे कृषि प्रधान देश में सहकारिता विभाग भी नितान्त महत्वपूर्ण है। जो कि कृषि का पूरक है तथा कृषकों की नित्यप्रति की उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करता है जो कि उन्नतशील एवं वैज्ञानिक ढंग से कृषि किये जाने हेतु अपेक्षित है। ग्रामीण स्तर पर सहकारिता विभाग की कृषि ऋण समितियां 8-10 गांवों के समूह के मध्य अधिष्ठापित है। जो कि स्थानीय स्तर के कृषकों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करती है। जिनमें की प्रमुख रूप से खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यन्त्र एवं ऋण आदि-आदि हैं इन कृषि ऋण समितियों के प्रभारी/सचिवों को काफी अन्तराल से वेतन भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण समस्त सचिवों को जीवन-यापन दुस्तर हो रहा है जिनका मासिक वेतन तुरन्त उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही करने की कृपा की जाये।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फनगर के ग्राम हडौली में हिण्डन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना, मुजफ्फनगर के अन्तर्गत ग्राम हडौली से हिण्डन नदी होकर बहती है। हिण्डन नदी के दूसरे पर ढिंडावली गांव है उस गांव में हडौली गांव के किसानों के खेत/जमीन पड़ती है। हडौली गांव के किसानों को 2 किमी0 चक्कर काटकर अपने खेतों में जाना पड़ता है। हडौली गांव से ढिंडावली गांव को जोड़ने वाले हिण्डन नदी पर पुल बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जिससे दोनों गांवों के किसानों को बहुत सुविधा होगी। इस पुल के बन जाने से लगभग 15 गांव आपस में जुड़ जायेंगे।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनहित व लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के सहकारी आवास समिति लि0 आगरा के सचिव को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0 एस0 धर्मेश-

[मान्यवर, श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार को नियम विरुद्ध 509 आर्मी बेस वर्कशाप वर्क्स सहकारी आवास समिति लि0, आगरा उ0 प्र0 में सचिव अपर आवास आयुक्त/ अपर निबन्धक उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ, श्री वी0 के0 मिश्रा, सहकारी अधिकारी आवास, उ0 प्र0 एवं विकास परिषद् कमलानगर, आगरा श्री राम सुमिरन, आवास एवं विकास परिषद्, कमलानगर, आगरा श्री नरीरज शर्मा एवं राजस्व निरीक्षक, तहसील किरावली, आगरा श्री शीलेन्द्र कुमार के द्वारा सचिव बनाया गया है। श्री योगेश कुमार उक्त समिति के सदस्य नहीं हैं, नियमानुसार समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। नियम विरुद्ध बनाये सचिव के खिलाफ त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम विरुद्ध बनाये गये सचिव को हटाये जाने व इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी में विस्तृत सिंचाई एवं पेयजल योजना के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद का विकास खण्ड नारखी डार्क जोन एरिया घोषित है। इस कारण से पिछले अनेक वर्षों से इस क्षेत्र में किसानों को नये नलकूपों की स्थापना एवं बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में खारे पानी की भी विकराल समस्या है। सिंचाई हेतु उपलब्ध हाथरस माइनर में वर्षों से पानी नहीं आता है। क्षेत्र के सिरसा नदी भी वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सूखी पड़ी रहती है। इन सबके चलते क्षेत्र में किसानों को 4-5-6 किमी0 दूर से लेजम पाइप द्वारा पानी लाकर जैसे-तैसे गुजारा करना पड़ रहा है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण अनेक क्षेत्रों के किसान अपनी कृषि भूमि का मात्र 20.30 प्रतिशत उपयोग कृषि कार्यों में कर पा रहे हैं तथा बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो जा रही है। जल स्तर के और अधिक गिर जाने के कारण किसानों द्वारा लगाये गये डीजल पम्पिंग सेट (इंजन) भी फेल हो गये हैं।

क्षेत्र के नागरिकों एवं किसानों को इस विषम परिस्थितियों से निकालने हेतु नारखी विकास खण्ड एवं पास के अन्य समस्या ग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने हेतु जल की उपलब्धता बहुत अनिवार्यता में आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल प्रभाव से विकास खण्ड नारखी में एक विस्तृत सिंचाई तथा पेयजल योजना के निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान अन्तर्गत सिंचाई हेतु नुनौटी बंधी के लेफ्ट एवं राइट नहर की पक्की लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर पटेल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नुनौटी बंधी के बायें व दाहिने नहर की पक्की लाइनिंग न होने के कारण पानी बहकर नदी में चला जाता है। जिससे सिंचाई के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। उक्त नहर के बाये एवं दाहिने ओर पक्की लाइनिंग कराये जाने हेतु किसानों द्वारा काफी समय से माँग की जा रही है। परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्य न होने के कारण किसानों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिंचाई की समस्या के निदान हेतु नुनौटी बंधी के लेफ्ट नहर व राइट नहर की पक्की लाइनिंग बनाये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के फरीदपुर नगर पालिका एवं नगर पंचायत में ओवरहैड टैंक एवं उससे जुड़ी पाइप लाइनों को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, सूच्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र 122 फरीदपुर, जनपद बरेली की नगर पालिका, फरीदपुर एवं नगर पंचायत, फरीदपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए एक-एक ओवरहैड टैंक हैं। दोनों ही स्थानों पर ओवरहैड टैंक बहुत पुराने हैं एवं दोनों से जुड़ी पाइप लाइने जर्जर हो चुकी हैं। फरीदपुर के लिए कम से कम 2 नई जल परियोजनाएं तथा फतेहगंज पूर्वी के लिए कम से कम एक नई जल आपूर्ति परियोजना स्वीकृत करने की जनहित में अत्यन्त ही आवश्यकता है तथा पुरानी जर्जर लाइनों की मरम्मत कराये जाने की भी बहुत जरूरत है, जिससे उक्त निकायों में जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। फरीदपुर नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 1 लाख तथा फतेहगंज पूर्वी की जनसंख्या लगभग 35 हजार है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत शाहजहाँपुर बीसलपुर स्टेट हाइवे पर स्थित ग्राम निगोही में कैमुआ नाला पर बने पुल के पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर की 133 तिलहर विधानसभा के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहाँपुर बीसलपुर स्टेट हाइवे पर स्थित ग्राम निगोही में कैमुआ नाला पर बना पुल सकरा व जर्जर अवस्था में है। इसलिए इस पुल पर हर समय भयंकर जाम बनी रहती है। क्षेत्रवासियों को पुल सकरा होने के कारण अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल लगभग 100 वर्ष पुराना व जर्जर है। कभी भी इस सकरा एवं जर्जर पुल पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार निगोही तिलहर मार्ग पर विरसिंहपुर के आगे गर्रा नदी में वर्ष 2011-12 में आयी भीषण बाढ़ के कारण सड़क बह जाने से एक तालाब का रूप ले लिया है, जोकि क्षेत्र की जनता को तहसील मुख्यालय पर जाने का एक यही मात्र रास्ता है। क्षेत्र की जनता को तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए 10-15 किमी0 जाने के बजाय 50-60 किमी0 घूमकर जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल आगणन शासन स्तर पर लम्बित है। मेरे द्वारा अनेकों बार शासन-प्रशासन में लिखित व मौखिक शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। निगोही तिलहर मार्ग पर विरसिंहपुर के आगे गर्रा नदी पर कटी सड़क पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में गोमती नदी पर नये पुल की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत, जनपद जौनपुर में बहेड़ा (मसौड़ा) और सरउज बड़ेवर इन दोनों क्षेत्रों की आबादी लगभग 2 लाख है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य गोमती नदी स्थित है उस पर पुल न होने के कारण दोनों क्षेत्रों का सम्पर्क कटा रहता है तथा स्कूली छात्र-छात्राओं एवं किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में पुल का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए केराकत विधान सभा में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना कराने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की सई नदी पर पुराने जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार रावत-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि लखनऊ से बिल्हौर मार्ग वाया हसनगंज, बांगरमऊ होते हुए कानपुर-कन्नौज मार्ग पर बिल्हौर में जुड़ता है। हसनगंज और मोहान के बीच में एक सई नदी बहती है। इस नदी पर मुगलकालीन पुल बना है, जिसकी हालत वर्तमान में अत्यन्त ही जर्जर व खराब है। जबकि यह मार्ग कन्नौज और लखनऊ को सीधे जोड़ता है। इसलिये इस मार्ग पर बहुत आवागमन रहता है। इसकी स्थिति खराब व जर्जर होने के कारण बीच-बीच में इस पुल पर आवागमन बाधित होता रहता है। बहुत पुराना पुल होने के कारण इस पुल की मरम्मत भी अब सम्भव नहीं लगता है। जनहित में इस नदी पर एक नया पुल बनाया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र उत्तरी वाराणसी के अन्तर्गत हुकुलगंज एवं ढेलवरिया के मध्य नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि वाराणसी शहर एक पौराणिक शहर होने के साथ गलियों के लिये भी जाना जाता है जिस कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। वाराणसी शहर उत्तरी विधान सभा के अन्तर्गत ढेलवरिया एवं बघवानाला, हुकुलगंज क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की आबादी लगभग 25 हजार है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य एक नाला स्थित है उस पर कोई पुलिया न होने के कारण दोनों क्षेत्रों का सम्पर्क कटा रहता है। हुकुलगंज एवं ढेलवरिया के मध्य पुल का निर्माण हो जाने से दोनों क्षेत्रों की दूरी बहुत कम हो जायेगी एवं गलियों में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोनों क्षेत्रों के मध्य पुल का निर्माण किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रामपुर के मिलक शाहबाद में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र 38 मिलक शाहबाद जनपद रामपुर के अन्तर्गत महिला डिग्री कालेज खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है और बेटियों को स्नातक पढ़ाई के लिए 30 से 35 किमी0 दूर जाना पड़ता है जिससे माता-पिता पर अतिरिक्त रुपयों का भार पड़ता है जिसके कारण गरीब माता-पिता अपनी बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

आगरा में ट्रान्सपोर्ट नगर जाने के लिए रेल पटरी के नीचे अण्डर पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, आगरा में आवास विकास कालोनी व सिकन्द्रा कालोनी देश की सबसे बड़ी कालोनी है। यहां की जनता को यदि ट्रांसपोर्ट नगर या अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैण्ड जाना पड़ता है उसके लिए मदिया कटरा चौराहा व रेलवे पुल से निकलना पड़ता है। इनके कारण चौराहे व पुल पर छात्रों, कर्मचारियों व मरीजों के लिये बुरी तरह जाम लगा रहता है तथा पेट्रोल एवं समय की बरबादी होती है। वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जनता को लगभग 5 कि0मी0 ज्यादा भी चलना पड़ता है। जनहित में कैलाशपुरी से ट्रांसपोर्ट नगर रेल के पटरी के नीचे कार व स्कूटर के जाने के लिए अण्डर पास बनाने की अति आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के ग्राम गेगलापुर के समीप शारदा नहर की ब्रान्च सण्डीला पर पुल/पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[मान्यवर, सानुरोध अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र 160 बालामऊ, जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम गेगलापुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई के समीप से शारदा नहर से सण्डीला ब्रान्च निकली है। गांव के सामने पुल/पुलिया न होने के कारण ग्रामवासियों को नहर के उस पार जाने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के दिनों में एवं जब नहर में पानी रहता है। तब ग्रामवासियों एवं आस-पास के लोगों को घोर कठिनाइयां होती हैं। जनहित में ग्राम गेगलापुर तहसील सण्डीला में पुल/पुलिया बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम गेगलापुर तहसील सण्डीला में पुल/पुलिया बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय के थानाध्यक्ष एवं पुलिसकर्मियों तथा प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इसौली, जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत थाना बल्दीराय, थाना कोड़वार, थाना धम्मौर व थाना कूड़ेभार आते हैं जहां पर तैनात थानाध्यक्ष से लेकर अन्य पुलिसकर्मी प्रोटोकाल का पालन नहीं करते हैं। विधायक द्वारा जनहित के कार्यो

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को किये जाने हेतु टेलीफोन करने पर टेलीफोन तक नहीं उठाते हैं। मान्यवर, यह भी अवगत कराना है कि किसी भी थाने पर अल्पसंख्यक वर्ग के थानाध्यक्ष तैनात नहीं है। एक ही जाति एवं वर्ग विशेष के लोग तैनात हैं जिसके कारण मनमाने तरीके से लूट खसोट करने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मान्यवर, जबकि वर्तमान सरकार का नारा है कि ''सब का साथ सबका विकास'' लेकिन ऐसा न करके तैनात अधिकारी संवैधानिक ढांचा का उल्लंघन कर रहे हैं, जनता में इनके प्रति काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बदाँयू की तहसील सहसवान में राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितता की जांच कराये जाने, दोषियों पर कार्यवाही कराये जाने एवं वितरण व्यवस्था बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव-

[आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बदायूं के तहसील सहसवान में राशन वितरण व्यवस्था का 9 माह में बुरा हाल हो गया है। पूरे तहसील में राशन कोटे से अवैध वसूली हो रही है। पूरी तहसील की गरीब जनता राशन के लिए मारी-मारी फिर रही है। कई सस्ते गल्ले की दुकानें जो लोग विभाग को पैसा नहीं देते हैं उनको बिना नोटिस के निलंबित कर दिया जाता है और जब वह लोग कहते हैं कि हम जनता में बांटे या आपको दें तो सप्लाई अधिकारी कोटा खत्म करने की धमकी देते हैं। जिलापूर्ति अधिकारी बदायूं एवं इनका पूरा स्टाफ धन उगाही में संलिप्त है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जिससे जनता परेशान है, इससे जनता में काफी रोष व्याप्त है। यह जनता से जुड़ा गम्भीर विषय है कई बार शिकायत करने पर कोई सुधार नहीं हो रहा है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं एवं आवासों में ''रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम'' लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल के गिरते स्तर को बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर शासनादेश, मा0 उच्च न्यायालय एवं हरित प्राधिकरण के आदेशों, जिसमें 300 वर्ग मीटर के सभी कार्यालयों/संस्थाओं एवं आवासों में ''रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम'' लगना अनिवार्य है। शासनादेशों के बावजूद सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में क्रियान्वयन लगभग नगण्य है, जो जल संकट के साथ-साथ जनहित की अवहेलना व अनदेखी कर रहा है और जनमानस को पानी मिलने में दिक्कत है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं मा0 सदन के माध्यम से सदस्य के रूप में इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आदेशों के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र कानून बनाकर, अध्यादेश पारित करके अनिवार्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय सब स्टेशनों पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत रानीसराय सब स्टेशन, ऊची गोदाम, सब स्टेशन कनैइला, सब स्टेशन चन्देश्वर, सब स्टेशन और जाफरपुर आदि सब स्टेशनों पर से जो बिजली आपूर्ति की जाती है। वह बहुत ही कम मात्रा में की जाती है। जिससे किसानों एवं क्षेत्र के लोगों को कम मात्रा में मिलती है। जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब स्टेशन से समयबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति कभी नहीं होती है। यदि बिजली आती भी है तो कभी आधे घण्टे और ज्यादा से ज्यादा एक घण्टे ही आती है। ऐसे स्थिति में क्षेत्र के लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित की समस्या को देखते हुए कम से कम 18 से 20 घण्टे बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण विषय है और जनहित से जुड़ा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने एवं उक्त सब स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति 18 से 20 घण्टे उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 में सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा वर्ष 2016 में सीधी भर्ती के 29 चयनित अभ्यर्थियों का अगस्त 2017 से अभी तक पुलिस सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि लगभग 250 अपर जिला जज के पद प्रोन्नति न हो पाने के कारण रिक्त पड़े हैं। सीधी भर्ती के मात्र 29 सफल अभ्यर्थियों का अगस्त 2017 से अब तक पुलिस सत्यापन नहीं हो सका है, सत्यापन न होने के कारण यह अभ्यर्थी दर-दर भटक रहे हैं, यहीं नहीं न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, और समयबद्ध तरीके से मुकदमों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में रोष की भावना पैदा हो रही है, यह गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रकरण है, तत्काल चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में राजकीय बालिका डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र 176 मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में वर्तमान में

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसी प्रकार का सरकारी बालिकाओं के शिक्षा हेतु कोई डिग्री कालेज नहीं है जिससे क्षेत्र की बालिकाओं/छात्राओं को इण्टर स्तर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकांश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शहर में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय बालिका डिग्री कालेज का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोकमहत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल राजकीय बालिका डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर पुराने कमेले की रिक्त जगह पर 50 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[मान्यवर, जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर पुराने कमेले की रिक्त जगह पर 50 बेड का अस्पताल बनना है पिछले एक वर्षों से धन स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैसा भी कार्यदायी एजेन्सी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को भेज दिया गया है। उसके बावजूद उक्त स्थान पर अभी कोई कार्य नहीं शुरू हुआ है जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार से ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली में भूगर्भीय जल प्रदूषित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व ममोर का भूगर्भीय जल प्रदूषित हो गया है इस कारण दोनों गांवों में कैंसर व काला पीलिया जैसे असाध्य रोग ग्रामवासियों को हो रहे हैं लगभग 50 ग्रामीणों की मृत्यु भी हो चुकी है। दोनों गांवों में हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य नहीं रहा है। पीने के पानी का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। दोनों गांवों में अविलम्ब स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु पानी की टंकियों का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार से ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार डेविड-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लगभग 16 लाख की जनसंख्या का जनपद एटा अत्यन्त ही पिछड़ा जिला है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहां एक राजकीय जिला चिकित्सालय है। जिसमें उपकरणों एवं डाक्टरों की भारी कमी के कारण जनमानस को बहुत ही असुविधा होती है। गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु लोगों को दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ एवं सैफई

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक जाना पड़ता है। जनमानस को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एटा जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के जिला चिकित्सालय में महिला अस्पताल एवं भावत पुल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इन्जी0 बृजेश कठेरिया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय कैम्पस में 100 शैय्या का महिला अस्पताल तथा विकास खण्ड जागीर में भावत पुल पर सामुदायिक स्वास्थ्य बनकर तैयार है को चालू कराया जाना क्षेत्रीय जनता द्वारा मांग की जा रही है। क्षेत्रीय जनता की समस्या को देखते हुए उपरोक्त अस्पताल को जनहित में चलाया जाना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि हमारी वि0स0 क्षेत्र ऊँचाहार, जनपद रायबरेली के ऊँचाहार-कानपुर मार्ग से बांसी परान, विशुनदासपुर को जाने वाला पूर्णतः कच्चा उबड़-खाबड़ एवं 5-5 फीट के गढ्ढे हैं उक्त मार्ग से लगभग 5 ग्राम पंचायतों के लोगों का आना जाना है तथा लगभग 10,000 की आबादी का सम्पर्क मार्ग है उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु हमारे द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आदि से मांग की गयी और इस आश्वासन के बाद भी कि बजट पास हो जाने के उपरान्त कार्य स्वीकृत कराकर शीघ्र ही करा दिया जायेगा, परन्तु अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया जनहित में आवश्यक है कि शीघ्र उक्त सड़क का निर्माण जनहित में कराया जायें।]

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड हाईवे साढ़ामऊ में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय को ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अविनाश त्रिवेदी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में साढामऊ सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय स्थापित है किन्तु लखनऊ सीतापुर हाईवे पर स्थापित होने के कारण आये दिन हो रही मार्ग दुर्घटनाओं में समुचित ईलाज व्यवस्था न होने के कारण लोगों की जान चली जाती है। यह संयुक्त चिकित्सालय मुख्यालय से लगभग 25 किमी0 दूर स्थित है तथा सीतापुर के मध्य एवं

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी के मध्य कोई ट्रामा सेन्टर न होने के कारण तत्काल उपचार नहीं मिल पाता है एवं डा0 द्वारा रेफर करने के कारण घायलों की मृत्यु होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ट्रामा सेन्टर स्थापित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के अमीनाबाद इण्टर कालेज में तदर्थ रूप से कार्यरत प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों का स्थायीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ में जुलाई, 2000 से पूर्णकालिक वेतनमान में तदर्थ रूप से दो प्रवक्ता तथा एक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। यह शिक्षकगण दीर्घकालीन कार्य अनुभव रखते हैं तथा इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए समय-समय पर नगर निगम द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाता रहा है। लगभग 17 वर्ष निरंतर सेवा करने के बावजूद अभी तक इन शिक्षकों को स्थाई नहीं किया गया है। इन शिक्षकों द्वारा यहां पर कार्य करते हुए सेवायोजन की ऊपरी आयु सीमा को पार कर लिया गया है जिसके कारण यह अन्य कहीं सेवायोजित भी नहीं हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016 में पूर्णकालिक वेतनमान में दिसम्बर, 2000 तक तदर्थ रूप से कार्यरत काफी शिक्षकों को स्थायी किया जा चुका है। तत्समय कोर्ट केस से आच्छादित शिक्षकों को स्थायी नहीं किया गया था।

वर्तमान सरकार की नीति के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट केस से आच्छादित दिसम्बर, 2000 तक कार्यरत शेष रह गये शिक्षकों को भी स्थायी किया जा रहा है। अमीनाबाद इण्टर कालेज में कार्यरत उक्त शिक्षकों को अभी तक इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि यह शिक्षक भी माध्यमिक शिक्षा विभाग की भांति ही पूर्णकालिक वेतनमान में कार्यरत हैं। जनहित में उचित होगा कि नगर विकास विभाग द्वारा अमीनाबाद इण्टर कालेज में दिसम्बर, 2000 तक कार्यरत उपरोक्त शिक्षकों को स्थायी किए जाने का प्रस्ताव शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाये और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी किए जा रहे शिक्षकों में इनके नामों को सम्मिलित करते हुए स्थायी किया जाये। जिससे लम्बे समय से कार्यरत इन शिक्षकों के साथ न्याय मिल सके।

अतएव जनहित में उक्त प्रकरण पर मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनोन के अर्न्तगत पृथ्वीनाथ मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित करके सम्पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय कुमार द्विवेदी-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र मेहनौन, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत पौराणिक एवं पाण्डवों द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग में से एक पृथ्वीनाथ मन्दिर लाखों श्रद्धालुओं के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आस्था का प्रतीक है। जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष भक्तों का आवागमन बना रहता है। परन्तु इस पौराणिक स्थल पर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई ध्यान नहीं दिया महज मंदिर परिसर में दो कमरे पर्यटन विभाग द्वारा बनाकर छोड़ दिया गया तथा आवागमन हेतु मार्गों का उच्चीकरण एवं नवीन मार्गों का भी निर्माण नहीं कराया गया।

यदि सरकार पृथ्वीनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करके सम्पूर्ण विकास करे, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही साथ क्षेत्र का भी विकास होगा।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत लोअर खण्ड आगरा नहर की पुर्नस्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 उदयभान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहुँगा कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत लोअर खण्ड आगरा नहर की पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए शासन द्वारा तीन करोड़ का बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित है। उक्त परियोजना की सिंचाई हेतु नितान्त आश्यकता है। नहर की पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजना में विलम्ब होने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए नहर की पुर्नस्थापित परियोजना का कार्य पूर्ण कराया जाना जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोअर खण्ड आगरा नहर परियोजना का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय ब्लाकों ग्रामों में पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के विधान सभा बदलापुर में पीने के पानी की भारी समस्या है। गर्मी के दिनों में लगभग सभी प्रकार के स्रोतो का स्तर बहुत कम हो जाता है। जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ब्लाक बदलापुर के रामनगर, मेढ़ा एवं महाराजगंज ब्लाक के बाबूगंज में नयी पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे लगभग 5 हजार से ज्यादा ग्रामवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के अमोढ़ा राज के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बस्ती के हर्रैया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अमोढ़ा राज के राजा जालिम सिंह तथा वीरांगना कुंअरि शहीद आजादी के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए प्रथम युद्ध सन् 1857 में हो गये थे। अमोढ़ा राज के किले को अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त कर खण्डहर में तब्दील कर दिया गया था। लगभग 500 लोगों को फांसी भी दी गयी थी तथा हजारों लोग शहीद हो गये थे। उक्त अमोढ़ा के ध्वस्त किले का सौन्दर्यीकरण, शहीद स्तम्भ निर्माण व टूरिस्ट बंग्लों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से अमोढ़ा के किले की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण/टुरिस्ट बंग्लो का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

मिर्जापुर के विन्ध्याचल में सीवर लाइन चोक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद मिर्जापुर के विन्ध्याचल क्षेत्र में विगत सन् 1960-61 में जो सीवर लाईन बनायी गयी थी पूर्णतयः जाम हो गयी है जिसके कारण सीवर का प्रदूषित जल सीधे गंगा में जा रहा है। विन्ध्याचल क्षेत्र में पर्यटकों का काफी आवागमन एवं गंगा में स्नान हेतु श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना रहता है। प्रदूषित जल नाले के द्वारा सीधे गंगा में जाने से वहां के निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। विन्ध्याचल क्षेत्र आध्यात्मिक स्थल होने के कारण आबादी काफी बढ़ गयी है जहां सीवर की लाईन अभी नहीं उपलब्ध है। जनहित में विन्ध्यवासिनी मंदिर के पास एवं शहरी क्षेत्र में सीवर लाईन की समुचित व्यवस्था कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के तहसील बहेडी ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमहला की कथित नीलामी में हुई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बरेली की तहसील बहेडी की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ ग्राम सैदपुर बुजुर्ग, परगना चौमहला में चन्द्र प्रकाश की करोड़ों रुपये की भूमि कि कथित नीलामी (दिनांक 21-05-1979) दिखाकर लगभग 36 वर्ष पश्चात तत्कालीन जिला अधिकारी, बरेली, श्री गौरव दयाल द्वारा दिनांक 16-05-2017 को अवैध रूप से मा0 12550 रुपये में विक्रय पर जारी किया गया इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर जांच आवश्यक है-

1-तत्कालीन डिप्टी कमीश्नर, वाणिज्य कर खण्ड-2 बरेली, श्री महेश गिडवानी ने अपने पत्रांक 1254, दिनांक 26-02-2015 को कहा कि नीलामी स्वीकृत हो चुकी है। जिस आधार पर जिलाधिकारी बरेली ने विक्रय पत्र में उल्लेख किया है कि नीलामी जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी है। किस दिनांक को जिलाधिकारी द्वारा नीलामी का अनुमोदन किया गया।

2-किस कमचारी/अधिकारी ने किस दिनांक को जिलाधिकारी के समक्ष नीलामी स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की।

3-नीलामी के अनुमोदन हेतु क्या-क्या अभिलेख प्रस्तुत किये गये।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-क्या लैण्ड रैवन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी को नीलामी स्वीकार करने का अधिकार है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूँ ताकि इसकी एक उच्चस्तरीय जांच हो सके।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना की ग्राम सभा गंधियांव के कब्रिस्तान में की गयी अबैध बाउन्ड्री के परिप्रेक्ष में जांच/कार्यवाही कराये जाने एवं कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लीना तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद इलाहाबाद में तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा गंधियांव में गाटा सं0 150, 151, 153 को मिलाकर सरकारी भू-अभिलेख में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। उक्त कब्रिस्तान की पूर्व सरकार में बाउण्ड्री करायी गयी थी। कब्रिस्तान की बाउण्ड्री भू-अभिलेख से अधिक भूमि पर बनायी गयी है। जिससे आस-पास के किसानों के खेतों को जबरन बाउण्ड्री में मिला लिया गया है तथा कब्रिस्तान से लगा हुआ चकमार्ग सं0 139 पर बाउण्ड्री बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। कब्रिस्तान की बाउण्ड्री के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसकी भी जांच करायी जाय।

इसी प्रकार उक्त ग्राम सभा में मुख्य चकमार्ग सं0 344, 379 सरकारी भू-अभिलेख में चकमार्ग दर्ज है। दोनों चकमार्गों को आस-पास के किसान तोड़कर अपने खेत में मिला लिया है। आवागमन में ग्रामवासियों को काफी दिक्कत हो रही है। दोनों चकमार्गों पर अवैध कब्जा हटवाने एवं कब्रिस्तान की अवैध बाउण्ड्री के लिए शिकायत तहसील एवं जिला स्तर पर की गयी थी। किन्तु तहसील प्रशासन की अड़ियल रवैये तथा अधिकारियों/लेखपाल की मिलीभगत से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कब्रिस्तान की बनायी गयी अवैध बाउण्ड्री की जांच कराने, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कराने, दोनों चकमार्गों पर अवैध कब्जा हटवाने एवं दोषियों के विरुद्ध 3/5 की कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना की ग्राम सभा गंधियांव एवं हर्रई के मध्य लगाये गये विद्युत पोलों से विद्युत तारों का कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिराम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद इलाहाबाद में तहसील करछना के अन्तर्गत पावर हाउस घोड़ेडीह से ग्राम सभा गंधियांव में विद्युत लाइन को काफी दूर से कई गांवों से होकर लगभग 03 किमी0 विद्युत तारों को लगाकर विद्युत सप्लाई की जा रही है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे आये दिन विद्युत सप्लाई की समस्या बनी रहती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम सभा गंधियांव तथा ग्राम सभा हर्रई के बीच की दूरी लगभग 300 मीटर है। दोनों ग्राम सभा के बीच में तीन विद्युत पोल लगभग दो वर्षों से लगे हैं तथा विद्युत तार एवं सम्पूर्ण विद्युत सामग्री श्री धर्मराज द्विवेदी, निवासी गंधियांव के घर पर रखा गया है। आये दिन तारों पर काफी लोड पड़ने के कारण टूट जाते हैं जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। ग्रामवासियों द्वारा जनपद के विद्युत अधिकारियों से कई बार प्रार्थना-पत्र देकर लगे विद्युत पोलों से तार को जोड़ने का अनुरोध भी किया है। जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों के लापरवाही एवं मिलीभगत से आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। जिससे विद्युत सप्लाई में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम सभा गंधियांव एवं हर्रई के मध्य लगाये गये विद्युत पोलों से विद्युत तारों का कनेक्शन कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कतिपय स्थानों पर सिंचाई के साधन एवं अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे, जनपद मिर्जापुर जो काफी पिछड़ा एवं पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर अनुसूचित जाति/जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। सिंचाई के संसाधन का अभाव है। जिससे वहाँ की फसलें सूख जाती है। पूर्व में कई बार पत्र के माध्यम से प्रयास किया गया। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

1-ग्राम कोठीधौकल में बेलन नदी पर लिफ्ट कैनाल व नहर निर्माण।

2-ग्राम सभा हरगढ़ में हारगढ़ पम्प कैनाल नं0 1 व पम्प कैनाल नं0 2 के पम्प की क्षमता वृद्धि व नहर की सिल्ट सफाई व लाइनिंग का कार्य।

3-ग्राम सभा नरैना में नरैना पम्प कैनाल पम्प की क्षमता वृद्धि व नहर की सिल्ट सफाई व लाइनिंग का कार्य।

4-ग्राम दिघिया में दिघिया बंधी का उच्चीकरण व पिचिंग कार्य।

5-मेजा अदवा लिंक चैनल 34 पर नहर निर्माण का कार्य।

6-ग्राम महुलार में घोरी बंधी का उच्चीकरण व पिचिंग कार्य।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे, जनपद मिर्जापुर में उपरोक्त कार्यों की उच्चीकरण, पिचिंग व निर्माण कार्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम नगहिलपुर विधान सभा क्षेत्र सोरांव में नहर से अपर पुलिस बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद इलाहाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम नगदिलपुर में एक मुख्य नहर है। जिसके आस-पास कई गांव बसे हैं। उक्त नहर के आर-पार जाने के लिए कोई पुलिया नहीं बनी है। जिससे ग्रामवासियों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्रामवासियों के आवागमन हेतु उक्त नहर पर एक पुलिया के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के राजकीय डिग्री कालेज गभाना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ के एकमात्र राजकीय डिग्री कालेज मा0 कांशीराम महाविद्यालय, गभाना, जनपद अलीगढ़ में बी0काम0, बी0एस0सी0 व एल0एल0बी0 की कक्षाएं प्रारम्भ न होने के कारण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। कालेज में पर्याप्त संख्या में कमरे बने हुये हैं। उक्त महाविद्यालय में शीघ्र बी0काम, बी0एस0सी0 व एल0एल0बी0 की कक्षाएं आरम्भ करना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के कदौरा विकास खण्ड में ग्राम चतेला से नगवा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र पाल सिंह जादौन-

[मान्यवर, निवेदन है कि कालपी विधान सभा के विकास खण्ड कदौरा के चतेला ग्राम से नगवा मार्ग जो बहुत ही खराब है, इसके बनने से नगवा के ग्रामीणों को 14 किमी0 का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

अतः उक्त मार्ग स्वीकृत करने का कष्ट करें।]

विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि विकास खण्ड माल में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। माल में ऊदा देवी राजकीय कन्या

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय है जिसमें विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग की पढ़ाई नहीं होती है। काफी पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाती है।

अतः मा0 अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि विकास खण्ड माल में राजकीय महाविद्यालय बनवाने की कृपा करें।]

जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुरवाकॉ की कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क/खडन्जा/तालाब का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, 04 सहारनपुर, जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवारकॉ के कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क/खड़न्जा/तालाब के दीवार का निर्माण की कार्यवाही किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। विवरण है 1-ग्राम दाबकी गुजर सुनारों के बाग से होते हुए थरौली राजबाहे के पुल तक खड़न्जा निर्माण, लम्बाई लगभग 1.00 किमी0। 2-ग्राम बट्टनवाला में सड़क के किनारे तालाब के दीवार का निर्माण कार्य। 3-ग्राम मथाना में महमूद के मकान से निसार के बाग तक सड़क के किनारे तालाब के दीवार का निर्माण कार्य। 4-ग्राम गन्देवड़ा में श्मशान घाट से छुटमलपुर तक सड़क/खड़न्जा का निर्माण कार्य। 5-ग्राम मुगल माजरा से ग्राम निवादा (जनता रोड) के बीच सड़क/खड़न्जा निर्माण कार्य। 6-ग्राम धतोली मुगल में तालाब की दीवार का निर्माण कार्य तथा 7-ग्राम नल्हेड़ा बक्काल में अनीस के खेत से मो0 अलीम के खेत तक सड़क/खड़न्जा निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क/खड़न्जा/तालाब के दीवार का निर्माण कार्य तत्काल कराये जाने की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर की विधान सभा हाटा में पानी की टंकियों से जलपूर्ति न होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार-

[जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की टंकियाँ सरकार द्वारा स्थापित की गयी हैं किन्तु सम्बन्धित विभाग व कर्मचारियों की उदासीनता के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा उक्त टंकिया शो-पीस बनकर रह गयी हैं। विकास खण्ड मोतीचक के असना, पोखरभिण्डा, तुर्कहां आदि गांवों तथा विकास खण्ड सुकरौली के छपिया आदि गांवों के लोग विशेष रूप से आन्दोलित हैं। लोगों द्वारा व्यापक जनहित में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति की मांग की जा रही है।

अतः विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर की तहसील जखनियां के ग्राम सभा आगापुर में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, मैं मा0 अध्यक्ष जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर लाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर की तहसील जखनियां के ग्राम सभा आगापुर के मौजा आगापुर पारा में गाटा संख्या 09 में चारागाह है जिसे इस ग्राम सभा के कुछ दबंगों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया है एवं कुछ लोग इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। चारागाह की सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाना कानूनन अपराध है। चारागाह की जमीन पर कब्जा किये जाने के कारण वहां के निवासियों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मै, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चारागाह की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु सदन में मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा में पुलिया एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिर्मदन-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र 351, लालगंज के ब्लाक ठेकमा, ग्राम इरनी में डा0 अम्बेडकर की मूर्ति के उत्तर में नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण एवं सड़क मरम्मत, ब्लाक ठेकमा के ग्राम महगूपुर एवं उमरीश्री के बीच नहर पर पुलिया का चौड़ीकरण एवं ब्लाक पल्हना में ग्राम लहुआ खुर्द (भीटी) परदेशी राजम के पास नहर पर पुलिया निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त पुलिया एवं सड़क को लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है क्योंकि इन समस्याओं को लेकर शासन एवं प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के कतिपय पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर, ब्लाक अकबरपुर अन्तर्गत सिबलीपुर हेड के पूरब टन्ना-मन्ना गांव के पास शारदा सहायक नहर पर बनी पैदल पुलिया अत्यन्त संकरी है। उक्त पुलिया के दूसरी तरफ प्राइमरी पाठशाला है, दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं, पैदल सकरी पुलिया के दोनों तरफ क्षेत्रीय जनता की काफी भूमि स्थित है जिस पर

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खेती होती है, उक्त पुलिया संकरी होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं किसानों के ट्रैक्टर आदि वाहन नहीं निकल पाते हैं, उक्त पैदल पुलिया से दर्जनों गांवों के लोगों को आना-जाना पड़ता है। पैदल पुलिया संकरी होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी होती है। आपातकालीन स्थिति में खाट पर लिटा कर मरीजों को नहर पार कराया जाता है। बच्चों एवं क्षेत्रीय जनता को संकरी पुलिया से दोहरी नहर पार करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा रास्ता को सुगम बनाने हेतु उक्त पैदल पुलिया को चौड़ीकरण करने हेतु उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक संकरी पैदल पुलिया को चौड़ीकरण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सरकार से उक्त पैदल पुल को चौड़ीकरण करने की मांग करता हूँ।]

लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित मोहल्ला प्रीतीनगर तथा भरतनगर में जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभिजीत सिंह सांगा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सीतापुर रोड स्थित मोहल्ला प्रीतीनगर तथा भरतनगर, लखनऊ के बीच स्थित नाला जो सरकारी रिकार्ड में लगभग 70 फीट से अधिक चौड़ा था तथा जिसके दोनों ओर से बसी हुई आबादी का रास्ता था, उस पर कुछ वर्ष पूर्व सरकारी योजनान्तर्गत लगभग 10 फीट चौड़ा पक्का नाला बनाया गया है। नाला निर्माण के बाद शेष बची हुई लगभग 60 फीट चौड़ी सरकारी जमीन पर नाले के अगल-बगल बसे हुए निवासियों तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण व पक्का निर्माण किया जा रहा है। सरकार की अनदेखी के कारण उक्त जमीन पर अतिक्रमण की होड़ लगी है तथा दोनों ओर से आवागमन एकदम अवरुद्ध हो गया है।

अतः मैं जनहित में सदन से मांग करता हूँ कि उक्त सरकारी निर्माण के बाद दोनों ओर से छूटी हुई सरकारी जमीन जो आवागमन हेतु विद्यमान थी तथा जिसके खाली हो जाने से भविष्य में की जाने वाली नाले की सफाई भी बाधित नहीं होगी उसकी पैमाइस कराकर किये गये कच्चे/पक्के अतिक्रमण को बुलडोजर से बराबर कराकर उस जमीन पर बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए स्थायी पुलिस चौकी बनाये जाने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में हजौली व चोगड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा रसड़ा में विकास खण्ड चिलकहर के ग्राम हजौली व चोगड़ा जिनमें प्रत्येक ग्राम की आबादी लगभग 15000 से अधिक है तथा आस-पास के सैकड़ों ग्राम जिसमें किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा आकस्मिकता की स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुविधा न मिल पाने के कारण उन्हें विकट समस्या का सामना करने के साथ ही साथ कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है।

यदि ग्राम सभा हजौली व चोगड़ा के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हो जाती है तो इन दोनों ग्रामों के साथ-साथ आस-पास स्थित सैकड़ों ग्रामों की गरीब जनता को इसका लाभ मिल सकता है तथा उनकी चिकित्सकीय परेशानियों का निदान किया जा सकता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत ग्रामीण जनता को प्रतिदिन होने वाली चिकित्सकीय असुविधा से बचाने हेतु ग्रामसभा हजौली व चोगड़ा के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के बावतपुर रजवाहा एवं अजगरा माइनर के टेल में पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[मान्यवर, कृषि प्रधान देश होने के कारण बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, कृषि कार्य को सम्पादित करने के लिये फसलों की समय से सिंचाई होना अति आवश्यक है क्योंकि सिंचाई के अभाव में कृषि कार्य सम्भव ही नहीं है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से की सिंचाई बावतपुर रजबहा एवं अजगरा माइनर में टेल तक किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं पहुँच पा रहा है जिसके कारण किसानों की रबी की फसल सिंचाई के अभाव में प्रभावित हो रही है और फसलें सूख रही हैं। फसलों की समय से समुचित सिंचाई न होने के कारण उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनहित में कृषि कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिये उक्त नहरों/रजबहों में टेल तक पानी पहुँचना नितान्त आवश्यक है। अवगत कराना है कि मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर कृषि ही किसानों की सबस महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। उक्त दोनों नहरों में टेल तक पानी न पहुँचने की वजह से किसानों में चिन्ता एवं रोष व्याप्त है तथा वे अपने व परिवार के भविष्य को लेकर चिन्तित है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लालगंज, प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य अतिशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्र-

[मान्यवर, आज के भौतिक युग में देश के नवयुवकों को रोजगार परक शिक्षा मिलना अत्यनत आवश्यक है क्योंकि वे देश एवं प्रदेश के भविष्य होते हैं, और राष्ट्र निर्माण में उनका अहम योगदान होता है और जब तक नवयुवक तकनीकी शिक्षा से शिक्षित एवं प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक उनकी क्षमता और योग्यता का सही उपयोग नहीं हो सकता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण हेतु कोई संस्थान न होने के कारण नवयुवकों को रोजगार पर बनाने के लिये तहसील एवं विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत लालगंज में आई0टी0आई0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिससे नवयुवकों को रोजगार परक बनाया जा सके और उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिये दर-दर भटकना न पड़ें। नवयुवकों के हित में उक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लालगंज, प्रतापगढ़ के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ताकि नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो सके और उनकी बेरोजगार की समस्या का निदान हो सके। धनाभाव के कारण निर्माण कार्य बाधित है, जबकि जनहित में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से त्वरित गति से कराकर इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में आयुष चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामनरेश रावत-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली में क्षेत्रीय जनता की सुविधाओं हेतु आयुष विभाग द्वारा चलाये जा रहे आयुष चिकित्सालयों की सेवा से क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाएं प्राप्त हो रही थीं, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में आयुष विभाग का काफी प्रचार-प्रसार भी हो रहा था। आयुष अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 5226/96-आयुष-2-2017-319/2017, दिनांक 12-12-2017 द्वारा उक्त आयुष चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्ट एवं अन्य कार्मिकों को समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किये जाने के आदेश से क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय लोगों को एलोपैथ चिकित्सा की अपेक्षा आयुष चिकित्सा में काफी रुझान बढ़ रहा था, क्योंकि आयुष चिकित्सा पद्धति के द्वारा बीमारी का इलाज कराये जाने में किसी दुष्प्रभाव की सम्भावनाएं कम रहती हैं। ऐसी स्थिति में आयुष चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किया जाना लोकहित में न्यायोचित नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद लखनऊ मे एल्डिगो सौभाग्यम के आवंटियों का धनादोहन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट एल्डिको सौभाग्यम द्वारा आवंटियों का जमकर आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वर्ष 2011 में फ्लैट बुक करने के पश्चात आवंटियों से सारी धनराशि जमा करा ली गयी और फिर वर्ष 2016 में आवास एवं विकास परिषद के वास्तविद खण्ड से स्वीकृत कराये गये संशोधित मानचित्र के आधार पर आवंटियों से छह वर्ष बाद लाखों की धनराशि की जबरन वसूली की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में श्रीमती मिथिलेश कुमारी, निरालानगर, कानपुर के प्रकरण में की गयी शिकायतों पर जांच के दौरान यह सिद्ध हो गया है कि एल्डिको के संशोधित मानचित्र में प्रदर्शित एरिया में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी है तथा प्राइवेट लान के रूप में वसूल की गयी धनराशि भी नहीं ली जा सकती है। इसके बावजूद एल्डिको एवं आवास विकास परिषद के अधिकारियों की दुरभिसंधि के कारण आवंटियों को वसूली गयी धनराशि न तो वापस की जा रही है और न ही आरोपित धनराशि निरस्त की जा रही है। इसी तरह हस्तांतरण शुल्क भी शासन की नीति के विरुद्ध एक प्रतिशत ही अनुमन्य होता है, जिसका उल्लंघन करके एल्डिको द्वारा हस्तांतरण शुल्क 5 से 10 प्रतिशत तक वसूला जा रहा है। इस सम्बन्ध में मिथिलेश कुमारी द्वारा दिसम्बर, 2017 में पुनः अनेक स्तरों पर प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं, जिन पर कोई कार्यवाही न करके एल्डिको को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। जनहित में आवश्यक होगा कि नियमों के विरुद्ध प्राइवेट लान के नाम पर वसूल की गयी धनराशि ब्याज सहित वापस करते हुए एक्ट्रा एरिया, ओपन पार्किंग, बैकडेट से लिये जा रहे मेन्टीनेंस चार्ज को निरस्त करते हुए हस्तान्तरण शुल्क एक प्रतिशत निर्धारित कराते हुए माननीय सदन को अवगत कराया जाये तथा प्रकरण में सलिप्त उच्चस्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये।

अतएव जनहित में उक्त प्रकरण पर मैं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

अपर निजी सचिव परीक्षा, 2010 के चयन में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं जांच हेतु शासन स्तर पर समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सचिवालय प्रशासन विभाग को दिनांक 17-11-2017 को लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2010 की चयन संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा अनियमितता बरतते हुए कतिपय अपात्र एवं अनर्ह अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए यह चयन संस्तुति तैयार की गयी है। इसमें सम्बन्धित पद की नियमावली में वर्णित अनिवार्य अर्हता का विचलन किया गया है तथा विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करके सम्पन्न करायी कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा के अंकों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। इस चयन संस्तुति में उ0प्र0 सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली, 2001 सपठित संशोधन नियमावली, 2005 की धारा 8 में वर्णित कम्प्यूटर सर्टिफिकेट धारित न करने वाले अनेक अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। साथ

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ही आवेदन स्वीकार करने की निर्धारित अन्तिम तिथि 21-01-2011 समाप्त होने के बाद घोषित डोयेक सी0सी0सी0 के परीक्षा परिणाम के आधार पर निर्गत प्रमाण-पत्र धारकों (यथा चयन क्रमांक 107, 225, 232) को बैकडोर से शामिल किया गया है। चयन संस्तुति के साथ उपलब्ध कई अभ्यर्थियों के डोयेक सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र फर्जी एवं कूटरचित भी हैं। इसी तरह हिन्दी आशुलिपि में अनुत्तीर्ण अर्थात पांच प्रतिशत से अधिक त्रुटियों वाले अभ्यर्थियों को विवेकाधिकार के नाम पर आयोग द्वारा चयनित कर लिया गया है, जबकि विवेकाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था वर्ष 2001 में पद की नियमावली के प्रख्यापन के साथ ही समाप्त हो गयी थी। शासन के पत्र दिनांक 17-05-2017 द्वारा इसी चयन प्रक्रिया की कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में विज्ञापन नियमों का उल्लंघन पाते हुए पुनः कम्प्यूटर परीक्षा आयोजित करान की संस्तुति की थे जिसको भी आयोग द्वारा नही मानते हुए जबर्दस्त मनमानी बरती गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 06-10-2017 को इस भर्ती की जांच के स्पष्ट आदेश दिये गये थे और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा कई बार इस अनियमितता का परीक्षण शासन स्तर पर करने के आदेश सचिवालय प्रशासन विभाग को दिये गये हैं, फिर भी सचिवालय प्रशासन विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा प्रकरण की जांच/परीक्षण न करके आयोग की कार्यशैली को सरंक्षण दिये जाने का कार्य किया जा रहा है।

शासन से न्याय न मिलने के पश्चात कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अनेक याचिकायें दाखिल की गयी हैं और उनमें सचिवालय प्रशासन विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है फिर भी लगभग दो माह होने के बावजूद सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा शासन का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है। स्पष्ट है कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा अकर्मणयता की नीति अपनाकर परोक्ष रूप से अनियमित ढंग से चयनित अभ्यर्थियों को न्यायालय से लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार भर्तियों में पारदर्शिता बरतने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके बावजूद शासन के कतिपय अधिकारी सरकार की नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं। जनहित में आवश्यक है कि आयोग द्वारा प्राप्त चयन संस्तुति का परीक्षण नियमावली एवं विज्ञापन नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर समिति गठित करके किया जाये और यदि पद की नियमावली तथा विज्ञापन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो चयन संस्तुति को अस्वीकार करते हुए तद्नुसार मा0 न्यायालय में शासन का पक्ष प्रस्तुत किया जाये।

मैं जनहित के इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के सभी विकास खण्डों में सा0 स्वा0 केन्द्र/प्रा0 स्वा0 केन्द्र में दवाओं एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं और डाक्टरों एवं स्टाप कर्मचारियों की कमी होने से पीड़ितों का समय से सही उपचार नहीं पा रहा है जिससे इलाज के अभाव में पीड़ितों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं एवं स्टाप कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम करौहा में नाले के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वि0 ख0 सैदाबाद के ग्राम करौहा के ग्राम प्रधान मोइन के घर के सामने एक बड़ा नाला है जिसे वहाँ के ग्रामीणों को आवागमन हेतु भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सम्बन्धित अधिकारियों से बार-बार अनुरोध पर भी अभी तक उक्त नाले के ऊपर पुल नहीं बनाया गया है। जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त नाले के ऊपर एक पुल का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के चिकित्सालयों के भवन, डाक्टर एवं स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन किराये के भवनों में किया जा रहा है। स्थापना से लेकर अब तक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण न हो पाने से न तो डाक्टर व स्टाफ सुविधाजनक तरीकों से मरीजों को देख पाते हैं और न ही इलाज से जुड़े संसाधनों का रख-रखाव हो पाता है। दूसरी तरफ चिकित्सालयों पर न तो स्टाफ है और न ही डाक्टर समय से पहुँचते हैं जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में 15 से अधिक ऐसे आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र हैं जो बन्द पड़े हैं। क्षेत्रीय जनता में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी के नगर पालिका गुरसराँय में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद झाँसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत नगर पालिका, गुरसराय में पेयजल की इस समय विकट समस्या है। विगत कई वर्षों से सूखे के कारण स्थिति यह हो गयी है कि नवम्बर माह में ही नगर के हैण्डपम्प सूख गये हैं। भसनेह तालाब से नगर को जो जलापूर्ति की जाती है उस तालाब में पानी नहीं है एवं तालाब को भरने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। जो नलकूप लगे हैं भू-जलस्तर अत्यन्त नीचे चले जाने के कारण उनकी भी क्षमता अत्यन्त कम हो गयी है। पाइप जलापूर्ति जो कि लगभग 40 वर्ष पुरानी है एवं नगर के एक तिहाई भाग को ही पोषित करती हे उसमें भी दो दिन के अन्तराल पर दिन में लगभग दो घण्टे ही पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार पूरी जनता पेयजलन उपलब्ध न होने के कारण त्रस्त है। पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों जैसे जल संस्थान व जल निगम द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है एवं न ही कोई योजना बनायी गयी है। अगर इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो लोग पेयजल उपलब्ध न होने के कारण अन्यत्र पलायन के लिए मजबूर हो जायेंगे।

अस्तु इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर उपरोक्त समस्या के निदान हेतु मैं सरकार का ध्यानाकर्षण चाहता हूँ।]

जनपद सीतापुर के बिसवां में चीनी मिल में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत चीनी मिल बिसवां में विगत वर्ष स्वीकृत गन्ना क्रय केन्द्र खेतवनी चालू नहीं हुआ जिससे गन्ना किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त क्रय केन्द्र चालू न किये जाने से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। जनहित में उक्त गन्ना क्रय केन्द्र को चालू कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त गन्ना क्रय केन्द्र को चालू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, जनपद सीतापुर की धनराशि अवगमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी-

[मान्यवर, "मौलाना आजाद इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी", महमूदाबाद, जनपद सीतापुर एक ख्याति प्राप्त महाविद्यालय है तथा एक पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। तमाम क्षेत्रीय छात्र इस इन्स्टीट्यूट से तकनीकी शिक्षा हासिल कर अपना जीवन संवार चुके हैं। क्षेत्रीय

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बच्चों के लिए यह इन्स्टीट्यूट वरदान साबित हो रहा है। इसकी अच्छी शिक्षा पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए विगत सरकार ने इस महाविद्यालय में "बहादुर शाह जफर आडिटोरियम" के निर्माण हेतु रुपया 2.00 करोड़ स्वीकृत किये थे और इसकी कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को नामित किया गया था परन्तु इस कार्यदायी संस्था को अब तक धन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण आडिटोरियम का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है। धन स्वीकृति के बावजूद आडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से इससे लाभान्वित होने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावकों में काफी आक्रोश है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से मांग करता हूँ कि प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्य शीघ्र कराने का कष्ट करें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

[मान्यवर, जनपद बरेली के 119 मीरगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश रोड़ टूटे हुए हैं, जिसके कारण आवागमन की भारी असुविधाएं होती हैं। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण कराना जनहित में अति आवश्यक है।

- ग्राम चिटौली से रहपुरा-मीरापुर मार्ग तक नये रोड़ का निर्माण कार्य।
- ग्राम सिरौधी अगन्दपुर से गोराबहरौली मार्ग तक नये रोड़ का निर्माण कार्य।
- ग्राम प्रेमपुर से दाड़ा तक नहर पर नये रोड़ का निर्माण कार्य।
- फतेहगंज पश्चिमी से रहपुरा गौतारा होते हुए ऐना तक रोड़ का निर्माण कार्य।
- ग्राम चनेटा से खेऊगौटिया तक नये रोड़ का निर्माण कार्य।
- ग्राम बीथम नौगवां से बहादुरपुर होते हुए दिनरा-मिर्जापुर तक नये रोड़ का निर्माण कार्य।
- ग्राम पडरी खालसा से कैथोला बेनीराम तक नये रोड़ का निर्माण कार्य।
- ग्राम कुरतरा से छोटी-बड़ी पटवैया से होते हुए बकैनिया चम्पतपुर रोड़ तक नये मार्ग का निर्माण कार्य।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों पर सदन में चर्चा सुनिश्चित की जाए तथा निर्माणार्थ कार्यवाही की जाये।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के सुजातपुर खास से छोईया नदी का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश सैनी-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर, जनपद बिजनौर अन्तर्गत सुजातपुर खाद से छोईया नदी का पुल तथा विकास खण्ड जलीलपुर पुल का नव निर्माण अत्यनत आवश्यक है। जिससे लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा स्कूली छात्र-छात्राओं तथा किसानों को राहत महसूस होगी। जनहित में दोनों पुलों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नदी के तटबन्धों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[मान्यवर, अवगत कराना है मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के किनारे स्थित तटबन्धों पर बाढ़ बचाव हेतु निम्नांकित निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। बरसात के दिनों में इन तटबन्धों पर कटान से यहाँ के सैकड़ों ग्राम सभाओं की लाखों आबादी प्रभावित होती है तथा उनका एक-एक दिन भय में बीतता है। इन तटबन्धों पर विभिन्न कार्य कराये जाने का प्राक्कलन सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिसको इस हेतु गठित स्थायी समिति में रखकर प्रस्ताव पास किये जाने तथा उसके सापेक्ष प्राक्कलित धनराशि जारी कराकर मानसून पूर्व कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। कार्य का विवण क्रमांक 1 से 24 तक अग्रलिखित है : 1-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर निर्मित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.130 (कट इण्ड) पर स्पर निर्माण एवं किमी0 0.000 से 0.130 के मध्य रिवेटमेन्ट निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 770.66 लाख। 2-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.500 से किमी0 0.750 के मध्य रिवेटमेन्ट निर्माण की परियोजना। लागत रु0 567.05 लाख। 3-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.750 पर निर्मित स्पर को रिंग बांध तक बढ़ोत्तरी एवं स्पर के अपस्ट्रीम ट्रांजिट तथा नोज के क्षतिग्रस्त एप्रन की पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 1794.89 लाख। 4-जनपद कुशीनगर में गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.325, किमी0 0.500 एवं 0.650 पर तीन अदद स्पर निर्माण की परियोजना। लागत रु0 992.73 लाख। 5-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित अमवाखास तटबंध के किमी0 0.130 से किमी0 0.500 के मध्य तीन रो में परक्यूपाइन लगाने की परियोजना। लागत रु0 299.50 लाख। 6-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित अमवाखास तटबंध के किमी0 7.800 से अपस्ट्रीम में 300 मी0 की लम्बाई में तीन रो परक्यूपाइन लगाने की परियोजना। लागत रु0 248.85 लाख।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर स्थित नरवाजोत-पिपराघाट मार्ग के किमी0 2.300 पर निर्मित स्टड के नोज भग के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 209.12 लाख। 8-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर स्थित नरवाजोत पिपराघाट मार्ग के किमी0 1.300 से किमी0 1.450 के मध्य रिवेटमेन्ट के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 365.86 लाख। 9-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित नरवाजोत-पिपराघाट मार्ग के किमी0 1.500 से किमी0 2.140 के मध्य रिवेटमेन्ट के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 1178.59 लाख। 10-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर स्थित नरवाजोत-पिपराघाट रोड के किमी0 1.300 से किमी0 1.450 पर दो अदद स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 736.33 लाख। 11-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित नरवाजोत-पिपराघाट रोउ के मध्य किमी0 2.350 से किमी0 2.500 के मध्य तीन रो में परक्यूपाइन लगाने के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 207.41 लाख। 12-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 12.300 से 13.000 के मध्य रिवेटमेन्ट निर्माण के कार्य की परियोजना। लागत रु0 1227.81 लाख। 13-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 12.000, 12.300, 13.000 पर स्पर तथा किमी0 12.600 पर स्टड के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 2304.13 लाख। 14-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दाएं तट पर निर्मित ए0पी0 तटबन्ध के किमी0 2.000 से 12.300 के मध्य तीन रो में परक्यूपाइन लगाने के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 536.20 लाख। 15-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 9.870 से 10.165 के मध्य रिवेटमेन्ट के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 644.55 लाख। 16-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 9.600 एवं 9.870 पर निर्मित स्टड के नोज भाग के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 336.04 लाख। 17-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 10.518 पर निर्मित स्पर के नोज एवं वैध ट्रांजिट एप्रन के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 248.95 लाख। 18-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 1.000 पर निर्मित स्पर के नोज अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम ट्रांजिट के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 712.85 लाख। 19-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर निर्मित ए0 पी0 तटबन्ध के किमी0 8.529 से 8.620 में मध्य तीन रो में परक्यूपाइन लगाये के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना। लागत रु0 166.14 लाख। 20-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 1.480 पर निर्मित स्पर के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लागत रु0 688.56 लाख। 21-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 0.600 पर एक अदद स्पर के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 1008.42 लाख। 22-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध के किमी0 9.200 एवं 9.400 पर निर्मित स्टड के एवं ट्रांजिट एप्रन के पुनर्स्थापना

कार्य की परियोजना। लागत रु0 614.65 लाख। 23-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर निर्मित ए0 पी0 तटबन्ध के किमी0 10.190 से 10.518 के मध्य तीन रो में परक्यूपाइन लगाने के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 466.26 लाख। 24-जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर अहिरौलीदान-पिपराघाट तटबन्ध पर स्थित ग्राम अहिरौलीदान एवं तटबन्ध की सुरक्षा हेतु बांध के किमी0 13.000 के डाउन स्ट्रीम में एज क्रेटिंग एवं परक्यूपाइन लगाने के कार्य की परियोजना। लागत रु0 2474.27 लाख। प्रकरण जनहित, लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय है।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बाढ़ नियंत्रण हेतु उपरोक्त कार्यवाही तत्काल किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित महमूदाबाद मेंशन में नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 अजय प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदन का ध्यान, सचिवालय के राजस्व विभाग तथा लखनऊ के जिला प्रशासन की शिथिल कार्य प्रणाली की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसके कारण लखनऊ नगर के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित 'महमूदाबाद मेंशन' नामक शत्रु सम्पत्ति/भवन के एक किरायेदार की लिखित शिकायतों दिनांक 06 जनवरी, 2014 तथा 10 अक्टूबर, 2017 के बावजूद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा तथा अवैध निर्माण यथावत विद्यमान है, जिसे अज्ञात कारणों से तहसीलदार (सदर) द्वारा अब तक ध्वस्त नहीं कराया जा सका है। उक्त अवैध कब्जे तथा अवैध निर्माण के कारण, पुराने भवन की सीढ़ियों में मोटी-मोटी दरारें पड़ गयी हैं, जिससे भवन में रहने वालों तथा आने-जाने वालों के साथ कभी भी कोई गम्भीर हादसा हो सकता है। उक्त प्रकरण की लिखित शिकायत मुख्य मंत्री कार्यालय के जनसुनवाई पोर्टल पर अक्टूबर, 2017 के अन्तिम सप्ताह में शिकायत संख्या (16157170432643) तथा (15157170440869) के अधीन होने के बावजूद, अपेक्षित कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है। जबकि उक्त अनियमितताओं की पुष्टि सहायक अभिरक्षक, शत्रु सम्पत्ति, लखनऊ शाखा कार्यालय के नोटिस/पत्रांक (1380), दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा हो चुकी है। जिसके कारण उक्त असुरक्षित भवन के सभी किरायेदारों एवं आगन्तुकों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु व्यापक लोक महत्व के उपरोक्त सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन चिकित्सालय में मानक के अनुरूप कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगम लाल गुप्ता-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में जिला महिला चिकित्सालय से जुड़ा 100

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेड का अतिरिक्त चिकित्सालय का निर्माण लगभग 3 वर्ष से आरम्भ होने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकार की लीपापोती के चलते घटिया मानक के अनुरूप निर्माण तीन वर्ष समाप्त हो जाने के पूर्ण नहीं हो सका है। जिसके कारण परियोजना की लागत में दो से तीन गुना वृद्धि हो गयी है। जिसके चलते निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण में अत्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। जो भविष्य में घातक सिद्ध होगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन चिकित्सालय की तत्काल विशेष जांच टीम गठित कराकर अधोमानक कार्यों की जांच एवं निर्माण एजेंसी की लापरवाही में पूर्ण जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्यवाही कराते हुए समयबद्ध मानक के अनुरूप निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

[12:22 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में चार सूचनाएं हैं। माननीय उमाशंकर सिंह जी की पहली है माननीय नरेन्द्र वर्मा जी साथ में नितिन अग्रवाल जी की सूचना है जिस पर पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बोल चुके हैं। माननीय जयदेवी की सूचना है जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली देवा में दिनांक 28.7.2016 को धारा 302 के अन्तर्गत दर्ज मु0 अ0 सं0 223/16 की उच्च स्तरीय जॉच यह नियम 300 में नहीं आती है। इसी तरह से माननीय बृजेश कठेरिया जी सूचना जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के लेखपाल से सम्बंधित कुछ समस्याओं के सम्बंध में यह भी नियम 300 में नहीं आती है। माननीय उमाशंकर सिंह जी को हम ग्राह्यता पर सुनेंगे।

सरकार गठन के लगभग 9 माह पश्चात् भी लोक लेखा समिति का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपने इस महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज लगभग 9 माह बाद भी वैसे तो सारी समितियों का अपने आप में अलग महत्व है मैं यह नहीं कह सकता कि किसी भी समिति का महत्व कम है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी आप भी विद्वान हैं वरिष्ठ हैं और इस समिति को आप बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। आप यह बताइए कि 9 महीना हो गया और अभी तक लोक लेखा समिति का गठन नहीं हुआ है और आप जबकि जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई। मूल विषय आ गया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उमाशंकर सिंह-

नियमावली के नियम 229 में यह प्राविधान किया गया है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सही है हमारी बात सुन लेंगे तो समाधान हो जाएगा। इस आदरणीय सदन ने मुझे इस काम के लिए अधिकृत किया था इस काम के लिए।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अब यह तो आपका क्षेत्राधिकार भी है, विवेकाधिकार भी है और इसलिये हम इसके ऊपर आपकी कृपापूर्वक अनुकम्पा भी चाहते हैं। माननीय सदस्यों की जिज्ञासा भी है इसलिये इसमें शीघ्र निर्णय ले लें। परम्परा यह रही है कि लोक लेखा समिति का गठन विपक्षी दल के सदस्य की अध्यक्षता में होता है। मान्यवर, यह तो आप ही को कृपापूर्वक करना है, इसलिये जैसा आप चाहें। आप जो निर्देश देंगे हम वह शिरोधार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह हमारे और विपक्ष के बीच का मामला है तो क्या विपक्ष को अभी भी कोई परेशानी है ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आप जल्दी से जल्दी इसमें निर्णल ले लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बिना सूचना के ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आप बोल लीजिये।

तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष द्वारा लिफ्ट का उद्घाटन तथा उनकी नेम प्लेट नदारद होने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह विधान सभा मण्डप, लॉबी, कैण्टीन और सेन्ट्रल हाल, यह सब आपके अन्तर्गत आते हैं। तत्कालीन माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने एक लिफ्ट का उद्घाटन किया था और वहाँ पर उनकी नेमप्लेट लगी थी। कल मैं गया तो वहाँ पर वह नेमप्लेट नदारद थी। इसलिये मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेंगे। अगर वह पहले से लगी रही होगी तो पुनः लग जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, धन्यवाद।

पूर्व व्यवस्थानुसार नव निर्वाचित मा0 सदस्यों को भी लखनऊ शहर में कम कीमत वाले भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। 1996 में हम विधायक बनकर के आये थे। आज मैं देख रहा हूँ कि सदन के अन्दर अधिकांश युवा सदस्य और नारी शक्ति के रूप में विधान सभा सदस्य चुनकर यहाँ पर आए हैं। उस समय एक विचार आया था कि जो सदस्य कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट कम कीमत पर चाहते हैं तो इसके लिये एक व्यवस्था बनी थी कि उनको विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से भवन अथवा भूखण्ड कम कीमत पर उपलब्ध कराए जायेंगे और वह बाद में कार्यान्वित भी हुआ। यहाँ पर डी0ए0वी0 कालेज के सामने बना हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा और गोमतीनगर में तमाम लोगों को कम कीमत पर भवन दिये गये। उस समय जब शुरूआत हुई थी तो साढ़े सात लाख रुपये के अन्दर बड़े-बड़े फ्लैट दिये गये थे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप केवल इस बात पर विचार कर लें कि इस समय बहुत युवा लोग चुनकर के आए हैं, हमारी बहनें चुनकर के आयी हैं। (सत्ता पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) यह एक व्यवस्था बनी हुयी थी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके संरक्षण के बिना यह काम नहीं होगा। मैंने कोई नई चीज नहीं कही है, मैंने केवल पुरानी चीज की याद दिलाई है, स्मरण दिलाया है और इसलिये माननीय नगर विकास मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हुये हैं और संसदीय कार्यमंत्री के रूप में आप भी बैठे हुए हैं, आप एक बार इस पर विचार कर लें। मैं आज घोषणा करने के लिये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर आपको विचार करना होगा। लेकिन अगले साल में जब सत्र शुरू हो तब सरकार की ओर से यह घोषणा की जाए कि पुरानी परम्परा के अनुसार इन सदस्यों एक गिफ्ट के रूप सरकार यह सुविधा उपलब्ध करायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही औचित्यपूर्ण है। इस बार बहुत से पुराने और नये विधायक चुनकर आए हैं। पहले तो विधायक लोग आते थे और अपने गाँव लौट जाते थे, लेकिन अब राजनीति का ऐसा माध्यम हो गया है कि हम जीत के आयें तब भी और न आये तब भी राजनीति के लिये लखनऊ में रहना जरूरी हो गया है। इसलिये चूंकि आप भी उदार हृदय हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी उदार हृदय हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी उदार हृदय हैं, उप मुख्य मंत्री जी हम लोगो के मित्र ही हैं, तो इसकी व्यवस्था आप जरूर करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी का नाम नहीं लिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मौर्या जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अब इस सरकार में इनकी उतनी चलती नहीं है, यह तो उधारी पर वहां गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप कुछ कहेंगे क्या ?

(सदन में हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारा ही दुख समझ लीजिये। जब माननीय बीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे और वहां पर आसन पर बैठते थे तो उन्होंने इस व्यवस्था को प्रारम्भ कराया था कि दस हजार रुपया अगर कोई माननीय सदस्य जमा करता है तो सरकार उन्हें फ्री में एक मकान बनाकर देगी। फिर बाद में उसमें संशोधन हुआ कि बीस हजार रूपया सदस्य जमा करेगा तो मकान नहीं बल्कि उसको फ्री में प्लाट दिया जायेगा, बिल्कुल मेन गेट पर। हम भी अप्लाई कर दिये, यह वर्ष 1985 की बात है। कई मुख्य मंत्री यहां आये, कई नगर विकास मंत्री आये, मैं चिट्ठी लिखता रह गया कि हमको तो आज तक भूखण्ड मिला ही नहीं। पैसा भी हमारा वहीं पर पड़ा हुआ है, जब एक-दो बार मैं चुनाव हारा हूँ तो या तो पार्टी दफ्तर में रहा हूँ, नहीं तो भाड़े पर मकान लेकर रहा हूँ। तो जितने भी माननीय सदस्य यहां चुनकर आये हैं उनके लिए मेरी मांग है कि यह सरकार निःशुल्क हर व्यक्ति को अच्छे एरिया में प्लाट देने का काम करे। ये ना हो कि आप मोहनलालगंज में दे दें या ले जाकर कहीं दूर दे दें। नजदीक के इलाके में हर विधायक को एक मकान, फ्लैट नहीं, बल्कि मकान या फिर मकान बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था करे।

श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल विधान सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। हमारी नहीं चलती इसका दर्द तो आपको है, लेकिन हमें पीड़ा यह है कि नौ महीना पहले आपकी सरकार थी और आपकी खूब चलती थी तो आपने अगर इस व्यवस्था को कर दिया होता तो आज हम आपका स्वागत करते।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसका मतलब तो यह है कि यह माननीय सदस्यों के पास मकान देखना नहीं चाहते हैं। इसलिये क्योंकि इनके पास मकान होगा, हम यह नहीं कहते हैं कि इनके पास है अथवा नहीं है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही मानवीय आधार पर यह बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब इसी पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष की तरफ से मांग आई है और फिर नेता विरोधी दल ने भी इसका समर्थन किया है। अन्य साथी भी कर रहे हैं। आज के हालात में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल नहीं हो सकी, लेकिन आज होनी चाहिये थी, बेहतर है। लेकिन पिछली सरकार ने इसलिये नहीं किया क्योंकि पिछली सरकार इसमें यकीन रखती थी कि जब तक हर बेघर को घर नहीं मिल जायेगा, तब तक हम घर नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या अब दृष्टिकोण बदल गया है आप लोगों का।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं यह बात बड़े फक्र से कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी का तकरीबन पन्द्रह दिन पहले एक स्टेटमेण्ट आया था कि उन्होंने आठ लाख मकानों का उद्घाटन किया है। मैं नहीं जानता कि वह कौन सी ऐसी तकनीक है कि आठ महीनों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बगैर किसी फण्ड के, बगैर किसी एलाटमेण्ट के, बगैर जमीन के, बगैर कान्ट्रेक्टर के आठ लाख मकान कहां से जनता को दे दिये। वो मकान हमारे बनवाये हुये थे, समाजवादी सरकार के बनाये हुये थे। फीता काटा है बस आपने।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, हम हमारे वरिष्ठ मा0 सदस्य मो0 आजम खां जी का समर्थन करते हैं। मान्यवर, जो नए लोग आए हैं और मैं भी हम सभी लोग बिना मकान के ही तो हैं। मान्यवर, जो नए विधायक आए हैं किसी के पास मकान नहीं है तो उन्होंने सही बात कही कि जिनके मकान लखनऊ में नहीं हैं उनको एक प्लॉट देने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कराए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, अभी एक प्लॉट और मकान की बात आई है। हमारे एक मा0 साथी ने प्रस्ताव रखा और नेता विरोधी दल ने उसका समर्थन किया। उसके ऊपर हमारे वरिष्ठ साथी ने यह कहा कि जब तक सबको मकान न मिल जाए तब तक हमको मकान मिलना ठीक नहीं। मान्यवर, आज नेता सदन नहीं है। वह जब होंगे तब इस विषय पर बात हो जाएगी। मान्यवर आपने तो जुलाई, 2012 में सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में सारे विधायकों को एक-एक फारच्यूनर गाड़ी देने की बात करी थी और हमारी पार्टी ने सबसे पहले मना किया था। मान्यवर, हम लोगों ने मना किया था कि हम लोग गाड़ी नहीं लेंगे। मान्यवर, मकान तो ज्यादा आवश्यकता की चीज है। आप जब फारच्यूनर देने की स्थिति में थे तो आप मकान की बात कैसे कर सकते हैं और रही बात हमारे मकान देने की हम गारण्टी के साथ कह सकते हैं कि हमने जो घोषणा की है एक लाख इकसठ हजार मकान शहरी क्षेत्र में देंगे और उन मकानों में डेढ़ लाख रूपया भारत सरकार का है और एक लाख रूपया हमारा है। मान्यवर, यह उन लोगों को दिया है जिनके पास 25 से 30 मीटर अपनी जमीन है उन लोगों को हम लोगों ने मकान देने के सर्टिफिकेट भी दिये हैं और उनको हम लोग 50 हजार रूपया पहली किस्त में दे रहे हैं ताकि वह प्लिंथ तक बना लें और दूसरा 50 हजार रुपया इसलिए दे रहे हैं ताकि वह लिंटर

तक मकान बना लें। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान दिये जा रहे हैं और कोई भी घोषणा इस प्रकार की नहीं है कि इस पर कोई भी टीका-टिप्पणी की जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक भ्रामक घोषणा कर दी है। मान्यवर, यह बात सही है कि मा0 तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था कि इस विधान सभा के सभी मा0 सदस्य चाहे वह किसी भी दल के हों जिनके पास गाड़ी नहीं है वह अपने विधायक निधि से 20 लाख रुपया तक गाड़ी खरीदने में मद्द कर सकते है और अगर वह विधायक नहीं रहेंगे तो वह गाड़ी फिर सरकार को लौटा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो विधायक निधि से कही गयी थी, लेकिन प्रस्ताव गाड़ी का था जो छोटी-छोटी नाली, खड़ंजा जनता के पैसे के लिए था वह जनता का पैसा था जिसे हम लोगों ने मना किया था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, वह मा0 सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन के लिए व्यवस्था करी गयी थी कि जो गरीब घर से आये हैं, जो साईकिल पर चढ़कर राजनीति करने आये हैं अगर उनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो वह अपनी निधि से खरीद सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक तरफ मकान के बारे में कहा जाता है कि जब तक सारे लोगों के पास मकान नहीं होगा तब तक हमारे पास नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह पॉलिसी हमें बताई गयी। मान्यवर, उस पॉलिसी के तहत मैंने कहा कि गाड़ी ज्यादा जरूरी है कि मकान ज्यादा जरूरी है और विधायक निधि से गाड़ी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी उसी नीति पर कायम हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब यह विषय समाप्त करिए। हम विषय पर अपना अभिमत देने जा रहे हैं। आप लोग कृपया बैठ जाइये। मा0 सुरेश श्रीवास्तव जी ने एक बात यहां रखी। उनके अनुरोध में यह बात है। मैं आज कोई निर्णय नहीं मांग रहा हूं सरकार इस पर विचार करे। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य देते हुए यह कहा कि मा0 नेता सदन यहां नहीं है। जब उनसे भेंट होगी तब वह बातचीत करेंगे, इसलिए इस प्रसंग पर आगे कोई बहस की आवश्यकता नहीं है।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या का0नि02-858/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0 1-2017 आदेश (25)-2017, दि0 30 जून, 2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-858/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(25)-

†छापी नहीं गयी।

2017, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या 12-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0 प्र0 विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को वापस प्राप्त हो गया।

उ0 प्र0 पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 जुलाई, 2017 के उपवेशन में पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 20 जुलाई, 2017 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त न होने की सूचना विधान सभा के दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन में सदन में दी गयी थी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†छापी नहीं गयी।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :-

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को वापस प्राप्त हो गया।

कर्मचारी प्रतिकर (उ0 प्र0 संशोधन) विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि :-

कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

जनपद कानपुर नगर में घाटमपुर कस्बा में निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 86 व एन0एच0 46 में भीषण जाम की समस्या एवं आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के निराकरण हेतु ओवर ब्रिज अथवा बाईपास निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्रीमती कमल रानी अपनी याचिका उपस्थित करें।

(श्रीमती कमल रानी, सदस्य, विधान सभा के अनुपस्थित होने पर)

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अब मैं अगली मद ले रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में वरूणा नदी व बसुही नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र संख्या-370 मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में वरूणा नदी व बसुही नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में नदी पर चेक डैम के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र संख्या-370 मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में नदी पर चेक डैम के निर्माण के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में डा0 लाल जी यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र संख्या-370 मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में डा0 लाल जी यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री अमृतलाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र संख्या-370 मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री अमृतलाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर में नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री घनश्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र-370 मड़ियाहूं के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड रामपुर में नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री घनश्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र संख्या 370, मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती लीना तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा क्षेत्र-370 मड़ियाहूं के विभिन्न ग्रामों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

एक्सप्रेस रोड कानपुर नगर में बी0ओ0टी0 पद्धति द्वारा निर्मित शौचालय को पूर्ण करने के सन्दर्भ में श्री दिनेश कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक्सप्रेस रोड कानपुर नगर में बी0ओ0टी0 पद्धति द्वारा निर्मित शौचालय को पूर्ण करने के संदर्भ में श्री दिनेश कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नगर निगम, धनकुट्टी अस्पताल को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री अशोक केशरवानी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नगर निगम धनकुट्टी अस्पताल को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री अशोक केसरवानी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरैंचा व ग्राम रतूली के मध्य कैमुआ नाला पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरैंचा व ग्राम रतूली के मध्य कैमुआ नाला पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम हमजापुर व ग्राम डींग के मध्य कैमुआ नाला पर बना जर्जर व छोटा पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राठौर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम हमजापुर व ग्राम डींग के मध्य स्थित कैमुआ नाला पर बना जर्जर व छोटा पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र राठौर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद गोण्डा के बभनान कस्बा स्थित चीनी मिल द्वारा फैलाये जा रहे व्यापक प्रदूषण से स्थानीय निवासियों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के बभनान कस्बा स्थित चीनी मिल द्वारा फैलाये जा रहे व्यापक प्रदूषण से स्थानीय निवासियों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

जिला अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव के ग्राम पंचायत, पाभीपुर के अन्तर्गत दलित बस्ती को जोड़ने के लिए नहर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला अम्बेडकरनगर के वि0स0 क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियॉव के ग्राम पंचायत पाभीपुर के अन्तर्गत दलित बस्ती को जोड़ने के लिए नहर माइनर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के वि0 स0 क्षेत्र भगवन्तनगर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत छगडिहवा विधान सभा क्षेत्र इटवा, तहसील इटवा में बूढ़ी राप्ती नदी पर एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी के नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी नहीं हैं।

विशिष्ट बी0टी0सी0, 2004 में चयनित/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/ समायोजन के सम्बन्ध में श्रीमती नीतू सिंह निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

श्री आशीष कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विशिष्ट बी0टी0सी0-2004 में चयनितों/प्रशिक्षितों अभ्यर्थियों के नियुक्ति/समायोजन के सम्बन्ध में श्रीमती नीतू सिंह निवासी जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुर में योग एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवबहादुर लोधी आदि निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

(श्री राम फेरन पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम फेरन पाण्डेय नहीं हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

जनपद लखनऊ के रायबरेली रोड पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु भूमि का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में श्री शाकिर अली व अन्य आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (व्यपगत)†

(डा0 डी0 सी0 वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 डी0 सी0 वर्मा जी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें तथा नियम-103 में प्राप्त 4 प्रस्तावों पर चर्चा की मदें ली जायं।

2-तद्नुसार 22 दिसम्बर, 2017 का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>दिसम्बर, 2017</u>

22 शुक्रवार

1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण।

(1) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017

(3) उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017

(4) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017

(5) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

(6) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(7) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017

(8) उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017

†छापी नहीं गयी।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

2-श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना करायी जाय।''

3-श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाय।''

4-श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

5-श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

दिनांक 24-7-2017 को सत्रहवीं विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री मथुरा प्रसाद पाल के निधन के निर्देश के समय विपक्षी दलों द्वारा सदन का बहिष्कार कर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में समानान्तर सदन चला कर शोक संवेदना व्यक्त कर सदन की अवमानना विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मुझे विगत सत्र में नियम 300 के अन्तर्गत व्यवस्था के प्रश्न के अधीन मा0 मनीष असीजा द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में आज व्यवस्था की घोषणा करनी है। माननीय असीजा

जी ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कहा था कि दिनांक 24-07-2017 को इस आदरणीय सदन के सदस्य स्वर्गीय श्री मथुरा प्रसाद पाल के निधन के निदेश के समय विपक्षी दलों ने सदन के सभा मण्डप के बाहर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में समानान्तर सदन चलाया। माननीय सदस्य के मतानुसार यह कृत्य सदन का उपहास था। मा0 श्री असीजा के अनुसार विपक्ष के इस कृत्य से सदन की गरिमा को ठेस पहुँची, समानान्तर सदन में असंवैधानिक रूप से एक माननीय सदस्य को अध्यक्ष भी बनाया गया, यह सर्वथा असंवैधानिक था, सदन का उपहास हुआ। उन्होंने इस प्रकरण में इस मामले को यही उठाते हुए व्यवस्था की मांग की थी और मांग की थी कि भविष्य में ऐसे गरिमाहीन कृत्य की पुनरावृत्ति व सदन की अवमानना रोकने के लिए जरूरी व्यवस्था की जाय। श्री असीजा ने अनुरोध किया था कि सदन की पीठ की अवमानना से आमजनों में गलत संदेश गया है, इसलिए समुचित व्यवस्था आवश्यक है। कतिपय अन्य मा0 सदस्यों ने भी इस अवसर पर तत्समय अपने विचार व्यक्त किये थे और प्रश्नगत कृत्य की निन्दा करते हुए समानान्तर सदन को संचालित करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गयी थी।

मुझे निवेदन करना है कि इस व्यवस्था मांगे जाने वाले प्रश्न पर मैंने सांगोपांग विचार किया है। उस अवसर पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा था कि वह माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हैं लेकिन समानान्तर सदन चलाये जाने का कार्य सदन की अवमानना है। इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मत था कि प्रकरण में सदन की अवमानना का प्रश्न प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है। मैंने उस समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप विपक्ष के सभी माननीय नेताओं से प्रश्नगत प्रकरण में उनका भी पक्ष प्राप्त करने के निर्देश दिये थे। माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री लालजी वर्मा, नेता बहुजन समाज पार्टी, विधानमण्डल दल एवं माननीय श्री अजय कुमार जी, नेता कांग्रेस, विधानमण्डल दल ने अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किये हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि माननीय श्री असीजा द्वारा उठाये गये प्रश्न को व्यवस्था का प्रश्न नहीं माना जा सकता। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के आधार पर संज्ञान लिया जाना उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत कृत्य सभा के सम्मुख नहीं हुआ अतः प्रक्रिया नियमावली के नियम-63 के परन्तुक से इसे आच्छादित नहीं माना जा सकता। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अवमानना का प्रश्न उठाये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा है कि चूंकि दिनांक 24.07.2017 को विपक्ष ने सदन के बाहर रहने का निर्णय लिया था। अतः श्री मथुरा प्रसाद पाल को बाहर से शोक सम्वेदनायें व्यक्त करने का कार्य किया गया था इसको समानान्तर सदन नहीं कहा जा सकता। माननीय श्री चौधरी द्वारा इस पर भी बल दिया गया कि जब-जब विपक्ष की आवाज को सदन में दबाने का प्रयास किया जाता है तो सदन का प्रतिरूप बनाकर भी विरोध प्रकट किया गया है। इसको समानान्तर सदन नहीं कहा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय चौधरी ने दिनांक 18.08.2015 को तत्समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा 'शैडो' विधानसभा चलाये जाने का उदाहरण भी दिया है। माननीय चौधरी ने तमिलनाडु विधानसभा में अगस्त 2016 को सदन का प्रतिरूप बनाकर विरोध प्रकट करने तथा मार्च 2013 में पंजाब विधानसभा में भी समानान्तर सदन चलाकर विरोध प्रकट

करने का उदाहरण दिया है। अन्त में माननीय चौधरी द्वारा यह कहा गया है कि शोक सम्वेदना व्यक्त करने जैसे मामले को सदन की अवमानना नहीं माना जा सकता। बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल के नेता माननीय श्री लालजी वर्मा द्वारा अपने अभिकथन में कहा गया है कि दिनांक 24.07.2017 को विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री मथुरा प्रसाद पाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया गया था, इसे समानान्तर सदन की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्रीमान अजय कुमार 'लल्लू' ने कहा था कि प्रश्नगत प्रकरण में अवमानना का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने कहा है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवमानना एवं विशेषाधिकार का नोटिस देने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, उन्होनें भी पंजाब और तमिलनाडु में विरोध स्वरूप सदन की कार्यवाही संचालित किये जाने का उदाहरण दिया है। श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस हेतु भिन्न-भिन्न तरीके अपनाये जा सकते हैं। श्री लल्लू के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अवमानना का प्रश्न पैदा नहीं होता, मैंने दिनांक 24.07.2017 को सम्पन्न हुई इस आदरणीय सदन की कार्यवाही का परिशीलन किया और प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण भी किया है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्य के विधान मण्डप के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 174(1) पठनीय है-राज्य के विधानमण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन-राज्यपाल, समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल के सादन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर हमारा जोर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा। संविधान क उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सदन के अधिवेशन का स्थान संवैधानिक रूप से नियत है और उसमें कोई परिवर्तन किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। अनुच्छेद, 174 के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 3 का अवलोकन किया जाना जरूरी है जिसमें सदन की परिभाषा है। उपरोक्त नियमावली के नियम 3(म) के अन्तर्गत सदन का तात्पर्य विधान सभा से माना गया है। वर्णित स्थिति में सदन का अधिवेशन अथवा उपवेशन विधान सभा के मण्डप के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर किया जाना असंवैधानिक और अनियमित होगा। मा0 नेता विरोधी दल ने कतिपय पूर्व दृष्टान्तों का उल्लेख किया है। कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने का यह तरीका भी प्रचलित रहा है। मा0 नेता विरोधी दल ने तमिलनाडु एवं पंजाब के उदाहरण भी दिए हैं। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में वर्ष 2011, गुजरात में वर्ष 2012 में, उत्तराखण्ड में वर्ष 2009 में इस प्रकार की घटनाएँ हुई थीं। जहाँ पर समानान्तर सदन संचालित किए गए। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में 4 सदस्यों को इस हेतु सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया गया था और गुजरात में प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किया गया था। सम्बन्धित मा0 सदस्यों द्वारा इस कृत्य हेतु अपना खेद भी प्रकट किया गया था। अन्तरराष्ट्रीय परिवेश में भी 2014 में नाइजीरिया के इडो राज्य की विधान सभा में समानान्तर सदन चलाने हेतु सभी सदस्यों को निलम्बित किया गया था। अतः समानान्तर सदन चलाए जाने के कृत्य हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय परिवेश में दण्ड निर्धारित किए जा चुके हैं। अतः मात्र कुछ पूर्व दृष्टान्तों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि समानान्तर सदन चलाया जाना

उपयुक्त एवं संवैधानिक है। जहॉ तक मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिनांक 18.08.2015 को शैडो विधान सभा चलाए जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह कार्य सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हुआ था। अतः इसको समानान्तर सदन की वैसी संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही चलते समय ही समानान्तर रूप से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में सदन की कार्यवाही को संचालित किया गया जो कि सर्वथा अनुपयुक्त, असंवैधानिक एवं अनियमित था। वर्णित स्थिति में दिनांक 18.08.2015 के दृष्टान्त से प्रस्तुत प्रकरण की तुलना किया जाना उचित नहीं है। इस सदन पर 22 करोड़ जनगणमन को भाग्य बनाने का दायित्व है। संसदीय लोकतंत्र के परिवेश में हम सबका दायित्व है कि हम लोग स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित करें। आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करें। हम सब यहॉ इसी व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं। यह व्यवस्था सुदृढ़ और सुन्दर न होती तो कदाचित हम लोग भी यहॉ तक न आ पाते। अतः हम सबका दायित्व है कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित करें, विकासशील लोकतंत्र में यदि ऐसा न हुआ तो कदाचित संसदीय लोकतंत्र पर और हम विधायकों पर आम जनता का विश्वास नहीं रह जाएगा। ऐसे मामलों में आत्मावलोकन जरूरी है। हम मात्र दण्ड की दृष्टि से प्रकरण का परीक्षण किया जाना उपयुक्त नहीं मानते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में समानान्तर सदन चलाए जाने से सदन की अवमानना का प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा नहीं, यह एक तकनीकी विषय है। इस सम्बन्ध में वाद-विवाद की काफी गुंजाइश है। मेरा यह सुनिश्चित समाधान है कि संवैधानिक रूप से गठित विधान सभा के उपवेशन इसी सभा मण्डप में होने चाहिए। इसमें कोई संशय अथवा विधिक आपत्ति भी नहीं है। पवित्र सदन को प्रहसन जैसा बनाने का कृत्य उचित नहीं है। विरोध के लिए भी ऐसे तरीके नहीं अपनाए जाने चाहिए जो लोकतंत्र की व्यवस्था में आस्था को कमजोर करते हों। यदि निर्वाचित एवं संवैधानिक रूप से गठित विधान सभा की कार्यवाही सदन के बाहर किसी भी रूप में संचालित की जाती है तो अवमानना के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। परन्तु इस प्रकरण में मैं अवमानना के प्रश्न पर कोई समाधान अथवा निर्णय दिए जाने की दृष्टि से इस मामले का परीक्षण किए जाने के पक्ष में नहीं हूँ। इस सदन में अत्यन्त वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य हैं जो स्वयं इस विषय पर अपना समाधान कर सकते हैं। परन्तु सदन में पिछले कुछ समय से जिस तरह की बातें चल रही हैं। वह कदाचित लोकतंत्र की प्रगति में बाधक बन सकती हैं। यह हम सबके लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष के रूप में मेरा यह संवैधानिक दायित्व है कि मैं इन विषयों पर अपना मत प्रदर्शित करूँ। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि सदन के अन्दर बैनर आदि लेकर आने की एक प्रथा बन गई है। इससे यह प्रकट होता है कि सदन के अन्दर इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की सुनियोजित तैयारी की जाती है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि आपस में नोक-झोक के दौरान कोई ऐसी बात निकल गई जो प्रीतिकर नहीं हुई अप्रिय लगी हम सदस्यगण जोर से बोलने लगते हैं ऐसा स्वाभाविक भी हो सकता है कभी गर्मी, कभी नर्मी, कभी उमस, कभी ताप, कभी शीत ऐसा कभी-कभी होता है लेकिन जब हम अपने घर से कुर्ते या सदरी में बैनर लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से यह तात्कालिक रोष नहीं है। यह सदन की गरिमा और महिमा के खिलाफ पूरी सोच, तैयारी, विचार, बहस और बैठक के बाद का परिणाम हो सकता है इसलिए यह सुनिश्चित रूप से

तैयारी करके यहां आना, मैं समझता हूं कि मै अध्यक्ष के रूप में, मानता हूं कि सभी आदरणीय इस सदन के सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि तैयारी करके आना और कभी सीटी लेकर आना और कभी तमाम तरह की भाव-भंगिमा और अदाओं को प्रदर्शित करना और तैयारी करके आना सदन प्रोवेकेशन नही हो सकता अचानक रोष की बात अलग है। यहाँ सुनिश्चित किया जाता है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से न चले। सदन के अंदर अनर्गल आचरण भी हुए है इन्हें संसदीय नहीं कहा जा सकता। हम सबको सोचना चाहिए कि इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना कहां तक उपयुक्त है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस प्रकार के दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं इस पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे पास एक विपक्ष के मा0 सदस्य दो दिन पहले आए थे। उनका बहुत सुन्दर स्कूल चलता है और वह चाहते थे कि विधान सभा की कार्यवाही को बच्चों को दिखाने के लिए हम अनुमति दें। मैंने उनको बहुत देर तक समझाया कि बच्चे दुधमुंहें हैं कही कोई ऐसी बात हो जाए कि उनको 10-12 दिन तक सपने आते रहें यहां तो लोग बाहें चढ़ाते हैं। बच्चे डर जाएं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा उनका बहुत अच्छा विद्यालय है फिर उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया। हमने उनको बहुत समझाया। हमने कहा बच्चों को क्यों इसमें फंसा रहे हो। बहरहाल जब वह नहीं मानें तो मैंने अपने प्रमुख सचिव को कहा कि आप व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन जिस दिन बच्चे ऊपर होते हैं तो मेरा ध्यान होना चाहिए आपकी तरफ और आपकी तरफ रहता है लेकिन जैसे ही आप लोग जोर से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे डर गए होंगे कि क्या हो रहा है। मैं पक्ष या विपक्ष के बारे में विचार नहीं कर रहा हूं मैं समवेत इस आदरणीय सदन की कार्यवाही के बारे में बात कर रहा हूं। हमारा दृष्टिकोण भिन्न भी हो सकता है। आपसे असहमति भी हो सकती है लेकिन इस आदरणीय सदन को स्वस्थ, सुन्दर और सार्थक गुणवान बहसों के लिए प्रयोग किया जाए इसमें आप भी सहमत होंगे। मेरा यह मत है कि अत्यंत विषम परिस्थितियों को छोड़कर जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह भी नही की हम किसी भी सीमा तक जाकर सदन की गरिमा का तार-तार कर दें। मेरा सादर विनम्र अनुरोध है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस विषय में सोंचे और अपने विवेक से यह निर्णय भी ले कि उनका आचरण उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आदरणीय और श्रद्धेय जनता को रुचिकर लगने वाला होना चाहिए। विरोध प्रकट करने के अनेक तरीके है। दुनिया की विभिन्न सांसदों में उत्कृष्ट श्रेणी के सांसदों और माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बात को इतनी मजबूती और प्रभावशाली तरीके से सदन में रखा गया है जिससे शासन के निर्णय प्रभावित भी हुए है। प्रभावी ढंग से विधान सभा अथवा संसद में अपनी बात को रखने से गंभीर से गंभीर मुद्दों को समाधान निकाला जा सकता है। यदि सराकर का कोई कदम अच्छा नहीं लगता है तो उसको भी सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह नहीं माना जा सकता है कि सदन के अंदर व्यवधान उत्पन्न करने अथवा सदन में असंसदीय भाषा अथवा असंसदीय आचरण करने अथवा समानान्तर सदन संचालित करना ही विरोध का एकमात्र तरीका यही है। हम इस व्यवस्था को तहस-नहस नहीं कर सकते। यह व्यवस्थ हमको हमारे पूर्वजों द्वारा परम्परा में मिली है यदि हम इसको और सुदृढ़ नहीं बना पा रहे है अपनी कमजोरियों के कारण तो कम से कम जैसी सुन्दर व्यवस्था मिली है उसका ही संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा मत है कि सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन संसदीय लोकतंत्र का आधार है परन्तु विरोध के

तौर-तरीके नहीं बल्कि शब्द की क्षमता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। शब्द में बहुत क्षमता होती है और भारतीय चिन्तन और दर्शन में शब्द को ब्रहम् भी कहा गया है और हम देखते है कई बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष को और अपने कई वरिष्ठ सदस्यों को कि वह अपने शब्दों के माध्यम से ही कई बार बहुत सुन्दर और बहुत गुदगुदाने वाला वातावरण भी पैदा करते हैं। और अनेक बार ऐसा भी देखते है कि कोई वरिष्ठ सदस्य बोल रहा है तो हम लोग आपस में बात करने लगते हैं। यदि इस पक्ष का कोई बोल रहा है तो उधर वाले और उधर वाला कोई बोल रहा है तो इधर वाले। अब कोई कह सकता है कि हम बिल्कुल नाप-तौल कर नहीं बोल रहे है, हम भी शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं। हम समझते है कि शब्द का प्रयोग यही भारतीय जनतंत्र का, भारतीय ज्ञान का, भारतीय प्रज्ञान का, अनुभूति का मुख्य आधार रहे हैं। इसमें जो विधिक आदेश है वह तो उचित है और हमारा निर्णय भी है लेकिन मैं दो-एक बातें और कहना चाहता हूँ। शब्द प्रयोग पर हम अपनी बात कह चुके है, यह तो पुराना प्रसंग है, अभी एक दिन सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष को लेकर भी कुछ चर्चा शब्दों पर हुई थी। उसमें हंसी-मजाक में ही कहा गया था कि आप जो अंग्रेजों की बनायी रेलगाड़ी है वह उलट दीजिए। यह सब प्रेमपूर्ण बातें यहां हुई थी। जो अपनी लोकसभा के उदाहरण दिए गए थे, 1937 में अंग्रेजी राज में गर्वनर जनरल के कार्यालय से अधिससूचना जारी हुई कि अध्यक्ष और सभापति एक सुनिश्ति पोशाक पहनेंगे। 1921 से 1946 तक यह व्यवस्था रही कि अध्यक्ष महोदय एक लम्बा चोंगा पहनेंगे और अपने सिर पर विग रखेंगे लेकिन जब 1946 में श्रद्धेय जी0वी0 मावलयंकर अध्यक्ष हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो चोगा नहीं पहनेंगे। तो कोई कह सकता है कि यह क्या तरीका है अंग्रेज बड़े महान थे और चोगा दे गए, आप क्यों नहीं पहनेंगे। कई बार ऐसी बातें आपके भी मन में आ सकती हैं कि कहीं पर सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से कोई वैचारिक संदेश देने की दृष्टि से आप कोई नयी बात करें। वह नयी बात हो सकता है कि कम ठीक हो और भी नयी बात अथवा पुरानी बात हमेशा डिबेटेड ही होती है, उस पर बहस की गुंजाइश बनी रहती है। हम भारत के लोग ऐसे नहीं हैं कि कोई बात आकाश से कह दी गयी है तो वह बिल्कुल सही ही है, पुनर्विचार, विचार, शास्त्रार्थ, अर्थ, भावार्थ, बहस, तर्क, प्रतितर्क, वाद-विवाद, संवाद सब चलते रहना चाहिए। हम समझते हैं कि हम लोगों का भविष्य और उत्तर प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए हम यहां आए हैं। हम सभी माननीय सदस्य बहुधा किसी अधिकारी के व्यवहार से पीड़ित होकर अथवा किसी अन्य बात से पीड़ित होकर बार-बार अपने विशेषाधिकार की चर्चा करते है जैसे कि मेरे पास बहुत चिट्ठियां आई है, विशेषाधिकार का हनन हो गया। हमारे विशेषाधिकार इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकार के अनुसंगी है, उसी में अन्तर्निहित हैं। जो भी है स्वतंत्र नहीं है सदन के विशेषाधिकारों के भाग है, एकात्मक हैं, इन्टीगरल पार्ट है हम लोगों के विशेषाधिकार। हम उनको लेकर बहुत चिन्तित रहते हैं लेकिन यहां पर हम देखते है कि बहुत पढ़े-लिखे सुयोग्य सदस्य भी कोई बगल में बोल रहा है तो बगल में बैठे बात कर रहे है। यह तो सदन की गरिमा का, सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हम लोग यहां करें तो ठीक है और अगर बाहर हमसे कोई जोर से बोले तो हम विशेषाधिकार की तलवार लिए घूमा करते है। तो बाहर वाले में हमारी सहमति है लेकिन यहां वाले में मैं चाहता हूँ कि सब लोग सहमत हो जाएं। कोई वरिष्ठ बोल रहा हो तो, कोई कनिष्ठ बोल रहा हो तो उसके वार्ता करते समय यहां कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए न तो टोकने वाली, न रोकने वाली, न निजी

बातचीत आप करें कि हम उनको टोक तो नहीं रहे हैं लेकिन हम अपने घर का किस्सा आपस में बैठे सुना रहे है। सुविधा तो यहां है, शीत ताप भी यहां ठीक रहता है लेकिन इस आदरणीय सदन में ऐसा न हो तो ठीक रहेगा। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी है और हिन्दी में बड़े-बड़े शब्द है, बहुत सुन्दर-सुन्दर शब्द है। हिन्दी की डिक्शनरी इतनी प्यारी है चूंकि संस्कृत का प्रवाह है, उर्दू का साझा है इसलिए हिन्दी का शब्दकोष बहुत सुन्दर है। तब भी हम लोग खीस निपोरना जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यह शब्द उचित होंगे। आप लोग कदाचित् मेरा समय ज्यादा लेने से उब गए होंगे और स्पीकर को कम बोलना चाहिए। यह परिपाटी है। मैं निर्णय सुनाता हूं। तमाम वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुसंगत प्रावधानों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समानान्तर सदन संचालित किया जाना किसी भी प्रकार से संवैधानिक अथवा नियम के अनुसार नहीं माना जा सकता है। हम सब और पूरा राज्य समानान्तर सदन जैसे कृत्य से आहत है। इस कृत्य को संसदीय लोकतंत्र की स्वतंत्र एवं शालीन विरोध की परम्परा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अतः मैं प्रस्तुत प्रकरण को इस अवधारणा के साथ निस्तारित करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे कृत्यों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो तथा हमारे आचरण से उत्तर प्रदेश के बाहर राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता सीखें हमारा प्रभाव उन पर हो और जन आंकाक्षाओं की पूर्ति हो। जन प्रतिनिधि के रूप में हम अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करें। सदन में विरोध का विकल्प भी सदन के अन्दर ही है। ऐसा होता भी है कि कई बार गुस्सा हो गये, सदन स्थगित हो गया और फिर बैठे तो जब बैठना ही विकल्प है तो काहे गुस्सा हो गये। गये बाहर जाने की भी एक अदा हो, चाल ठीक-ठाक हो। जब आप बाहर निकलें, हम भी बाहर निकलें और इधर के माननीय सदस्य भी निकले तो सब ठीक रहे। सदन में विरोध का विकल्प भी सदन ही है। हम सभी को मिलकर वाद-विवाद के माध्यम से इस प्रदेश की आदरणीय जनता के लोक कल्याण के लिये नीति निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये सदन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परिपाटी का सृजन करेंगे, इस वाक्य के साथ मैं पिछले सत्र में जो व्यवस्था मांगी गयी थी, उस व्यवस्था को देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रदेश में मिट्टी खनन हेतु सरकार की नीति

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या 20 ले रहे है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने मिट्टी खनन् का प्रकरण उठाया था उसमें हमारे एक माननीय सदस्य ने चर्चा की भी मांग की थी। तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में ऐसी घटना हुयी हो वह हमको आज शाम तक दे दें और कम से कम हम उसका निराकरण भी कर देंगे और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। मिट्टी के खनन के मामले में जिसकी जो शिकायत हो उनको कोई रोका जाता हो, आज हम उसमें कार्यवाही भी करेंगे और हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से पूरे सदन को यह सूचित करना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के जितने भी सदस्य है जिनको भी कोई शिकायत है मिट्टी के

मामले में, मैं उस बात को फिर से दोहरा दूं कि दस ट्राली मिट्टी निकालने पर किसी प्रकार का कोई परमिट नहीं है। दस ट्रली मिट्टी केवल सूचना के आधार पर एक कैलेण्डर ईयर में निकाली जा सकती है। दो नवम्बर, 2017 को ऐसा शासनादेश हमने जारी किया है। दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू है कि दस ट्राली के बाद जिनको मिट्टी चाहिए वो 30 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से जमा करके परमीशन लेकर मिट्टी ले सकते है, जितनी चाहे ले सकते है, उसमें किसी प्रकार की कोई अधिकतम सीमा की पाबन्दी नहीं है इसके खिलाफ अगर किसी के पास कोई तथ्य हों, तर्क हो तो कृपा करके हमारे कक्ष में भिजवा दें, हम उस पर कार्यवाही जरूर करेंगे। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वह सूचना किसान किसको दे। दूसरा जो आपने शासनादेश जारी किया है, अच्छा होगा कि वह हम सबको मिल जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सूचना तहसीलदार को, एस0 डी0 एम0 को, डी0 एम0 को दे और शासनादेश की प्रति हम सभी माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

हम कठिनाई की बात किये थे। किसानों को अधिकारों से धीरे-धीरे किन्ही कारणों से, वंचित होना पड़ रहा है। हम यह नहीं कहते कि कमी केवल सरकार की है, कुछ संस्थायें तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास कर रही हैं। कुछ पर्यावरण का बहाना लेकर, कुछ दूसरी चीज को लेकर। सब नियम होता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। कानून सब बनाते हैं, सब जी0ओ0 निकालते है लेकिन जिनको पालन करना है उनके अन्दर अगर ईमानदारी नहीं है तो कैसे चलेगा। हमको आपको तो पालन करना है आप जी0ओ0 निकाल देंगे और हम यहां सुन लिए, लेकिन हम जो माननीय सदस्य विधान सभा के है वह अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि जो किसी को सूचना देकर मिट्टी निकालता है, वह तो गरीब किसान है, तुरन्त पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। अभी एक दिन आपके सामने बसपा विधान मण्डल दल के नेता कह रहे थे, आप भी थे, नेता सदन भी थे और मा0 अध्यक्ष जी भी थे, एक मिट्टी की ट्राली को पकड़ लिया। बसपा विधान मण्डल दल के मा0 नेता ने एस0 पी0 से कहा भी और एस0 पी0 साहब ने कहा कि हमने थानेदार से कह दिया और यही आपसे कह रहे थे कि उसके बावजूद भी 7 हजार रुपया लेकर के उसे छोड़ा गया। यह एक हथकंडा हो गया है, पुलिस को, चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए, आप कितना ही जी0 ओ0 भेजिये, ऐसा कोई जी0 ओ0 सरकार ने थोड़े ही भेजा है कि किसी भी विभाग के आदमी को घूस लेना है, क्या कोई जी0 ओ0 भेजा है, सब घूस के विरोधी हैं, सारी सरकारें इमानदारी से चलाना चाहती है लेकिन जब तक वास्तविक चीजों पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक यह काम सम्भव नहीं है, डी0एम0 रोज आर्डर देंगे, एस0पी0 रोज आर्डर देंगे, रोज थाने पर तो डी0एम0, एस0पी0 जायेगा नहीं और न ही विधायक जायेगा। जब किसान, मजदूर पकड़ जाता है अगर उसके अनुरोध से विधायक ने फोन कर दिया तो पहले तो विधायक फोन करेगा तो सिपाही, थानेदार बात नहीं करेगा और अगर किसी तरह से बात भी कर लिया तो उसके

बावजूद भी, अब क्यों सदन में यह सारी बातें कहलवायेंगे, हम लोग सदन की गरिमा को बचाने वाले लोग हैं तो इस पर हो कि भाई बहुत स्रोत हैं कर लो लेकिन मिट्टी वाले मामले में कोई हस्तक्षेप पुलिस का नहीं होना चाहिए, जो अपने घर मिट्टी लाता है। भट्ठे वाले के लिए मैं नहीं कहता, जो बिजनेस कर रहा है मिट्टी का उसकी बात मैं नहीं करता तो इस पर थोड़ा कड़ाई से निर्देश दीजिए। हम आपको कितनी सूचना देंगे, कहां-कहां सूचना देंगे, हर गांव की कहानी है, हर टोले की कहानी है, हर घर की कहानी है कितनी सूचनाएं हम आपको देंगे, आप थक भी जायेंगे सूचना लेते-लेते तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखिये और किसानों के हितों की रक्षा कीजिए, बस इतना ही हमको कहना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके लिए तो मैने कह ही दिया है कि बहुत कड़ाई से आज ही इसकी व्यवस्था की जायेगी और हमने फिर भी कहा है कि कई सदस्यों ने इसकी जिज्ञासा प्रकट की थी, इसलिए मैंने आपके माध्यम से यह सूचना मांगी थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, पुलिस वालों पर अंकुश के लिए जरूर कुछ कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

गांव के लोगों को, किसानों को पुलिस और कोई अधिकारी परेशान न करे, ऐसा सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है।

[1:23 बजे] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

†दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-22 में एक प्रस्ताव आया है कि यदि यह सदन सहमत हो तो आज सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आाज ही सदन में विचारार्थ ले ली जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[01:24 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-12-2017 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री नफीस अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री वीरेन्द्र यादव की प्रदेश में भू-गर्भ के गिरते जल स्तर एवं बढ़ते आर्सेनिक की मात्रा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर, श्री राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह एवं श्री सोहिल अख्तर अंसारी की प्रदेश में लागू किये गये जी0एस0टी0 कर प्रणाली में व्यापक सुधार किये जाने के सम्बन्ध में है।

पहली सूचना पर मा0 नेता विरोधी दल अपने विचार रखें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, रितेश पाण्डेय जी की एक सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हमने रितेश पाण्डेय की सूचना पर सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए कह दिया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

अध्यक्ष जी, एक मेरी भी सूचना है।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, एक मेरी भी सूचना है उस पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचनायें नहीं ली गयी हैं उन सभी सूचनाओं पर आज सरकार का ध्यानाकर्षण कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कर देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन का सम्भवतः अंतिम दिन है तो जितना आपने चयनित किया है सुनने के लिये, उतना तो सुन लें, शेष जितने माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उस पर सरकार को निर्देशित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है, आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। जो लोग बोलेंगे उसके अलावा जो शेष बचेगी उन पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है वह निश्चित है अविलम्बनीय है। हमारा प्रदेश उत्तराखण्ड के अलग हो जाने के बाद पर्यटन के मामले में बहुत कमजोर सा हो गया है लेकिन अब भी कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे काशी, आगरा, वृन्दावन यहां देशी पर्यटक से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार को काफी राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे लिये, इस सदन के लिये, पदेश के लिये बड़े दुःख की बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर के पहले पदेश में प्रतिष्ठा गिरी, देश में गिरी और अब दुनिया में उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा गिर रही ह। वाराणसी में एक विदेशी महिला जो हिन्दू धर्म/सनातन धर्म से प्रभावित हो करके.....

श्री अध्यक्ष-

आपस में बातचीत नहीं, पीछे और इधर भी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। कृपया शांत रहिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री लोग बात कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यहां के दर्शन से प्रभावित हो करके उसने ब्रम्हचर्य का व्रत ले करके एक निजी एन0जी0ओ0 में शामिल हो गयी और प्रतिदिन गंगा के तट पर जाकर योगाभ्यास करती थी। कुछ मनचलों ने उसके साथ जबरदस्ती की उसने बड़ा अनुनय विनय किया कि मैं भारत के दर्शन से प्रभावित हूं, सनातन धर्म से प्रभावित हूं, मैंने ब्रम्हचर्य का पालन करने का व्रत लिया है और जो कुछ पैसा था उसने अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिये उन लोगों को दे करके अपनी किसी तरह से जान बचायी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की साख दुनिया के देशों में गिरी है। श्रीमन्, यह एक ही घटना नहीं हुई दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को बनारस में अर्जेन्टीना की महिला के साथ मारपीट तथा लूटपाट और बलात्कार का प्रयास दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को सिगरा वाराणसी में घूमने आये जापानी पर्यटक आकिहिरो को पर्यटक गाइड बनकर साथ में खाना खाते समय नशीला पदार्थ खिलाकर उसका सारा सामन, 50 हजार

रुपया डी0 एल0, कैमरा, बैग, पासपोर्ट व वीजा लूट लिया गया और बेहोशी की हालत में उसको छोड़ दिया गया। दिनांक 10 दिसम्बर, 2017 को मिर्जापुर में एक फ्रान्सीसी पर्यटक दल जो थाना अहिरौरा के लेखनियाधरी में घूमने आये थे जिसमें लगभग एक दर्जन महिला और पुरूष थे इनके साथ आयी लड़कियों से छेड़छाड़ तथा मारपीट की गयी जिसमें एक पर्यटक को काफी चोटें आयी।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को आगरा के फतेहपुर सीकरी घूमने आये स्विटजरलैंड के प्रेमी जोडे को बदमाशों ने लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया इसकी वीडियो भी वायरल हुआ। दिनांक 29 जून, 2017 को वाराणसी शूलदेकेश्वर की एक सामाजिक संस्था से जुड़ी फ्रांस की 70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। उसका भी मोबाइल छीन लिया गया दिनांक 17 सितम्बर, 2017 को टूरिस्ट वीजा पर वृन्दावन घूमने आयी रशिया की विदेशी महिला का रेप यूको बैंक शाखा मैनेजर के द्वारा किया जाना प्रकाशित हुआ। वृन्दावन दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को यू0पी0 रोडवेज बस में लखनऊ से सवार विदेशी महिला के साथ खुले आम छेड़-छाड़ प्रकाशित हुई। श्रीमन् विदेश से लोग चाहे हम हिन्दुस्तान के लोग दूसरे देश में जायं घूमने। चाहे विदेश के लोग हिन्दुस्तान में आये और हिन्दुस्तान में भी उत्तर प्रदेश में आये और उनकी आबरू लूट ली जाय, उनके साथ मार-पीट की जाय, उनके पैसे रूपये बैग छीन लिये जायं, इससे बड़ा उत्तर प्रदेश की बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती। दुनिया में हमारे प्रदेश के नाम पर हंसी दे रही है और हम यहां बैठे रोज कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। हमारे पर्यटन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। विदेशी आना कम हो जायेंगे। एक तो वैसे ही उत्तराखंड के लोग अलग होने से हमारा पर्यटन व्यवसाय कम हुआ है और अगर विदेशी भी आना बंद कर देंगे तो इस प्रदेश के लिये इससे बड़ी दुर्भाग्य की गात कोई और नहीं हो सकती। इसलिये अधिक न कहकर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि इस पर कड़ा रूख अपनायें और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह इतनी महत्वपूर्ण निश्चित घटना पर सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने अभी जो विषय नियम 56 के माध्यम से इस सदन में उठाया है, वह वास्तव में गम्भीर है और इस प्रकार की घटनायें किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिये। यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं मान्यवर कि बहुत सी चीजें समाज में गिरते हुए माहौल की वजह से पैदा होती हैं। हमारी सोच क्या है, हमारी मानसिकता क्या है उसके लिये मान्यवर, कहीं न कहीं पूरा समाज जिम्मेदार है। यह सही है कि हम सत्ता में हैं, सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है और जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई घटना आती है हम उसका संज्ञान भी लेते हैं और कार्यवाही भी करते हैं। जिस घटना की तरफ वाराणसी की विशेष घटना की तरफ आपने ध्यान दिलाया है मान्यवर, वह अपने आप में वास्तव में निन्दनीय है, इसकी जितनी जिन्दा की जाय कम है। लेकिन जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया मान्यवर, इसमें मुकदमा भी कायम हुआ और उसमें तीन मुजरिम उसी वक्त गिरफ्तार हो गये। मान्यवर, इसमें 8 मुजरिम है, इसमें आठों मुजरिम की गिरफ्तारी मान्यवर, हो गयी है। आप कहेंगे तो हम नाम पढ़कर भी सुना देंगे। लेकिन यह सही है मान्यवर, कि इस

प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। यह किसी भी तरीके से हमारे लिये शोभनीय नहीं है। हम इसमें और भी कड़ाई से निर्देश आज ही जारी करवायेंगे कि किसी भी विदेशी पर्यटक, किसी भी विदेशी नागरिक से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार अगर होगा तो हम संबंधित थाना क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिये जिम्मेदार भी ठहरायेंगे कि वो इसके लिये जिम्मेदार भी होंगे। यह मैं आपके सामने आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जहां तक नियम 56 की सूचना का प्रश्न है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राहय कर दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। इसमें स्पष्टीकरण पूरा मिल गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि मानव जीवन के लिये आज बहुत बड़ा खतरा बन चुका प्रदेश का गिरता हुआ भू-गर्भ जल स्तर और पानी में फ्लोराइड आर्सेनिक की मात्रा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी आज यह पूरा प्रदेश ही नहीं देश भी अवगत भी है और चिन्तित भी है कि बहुत तेजी से भूगर्भ जल स्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। कल तक जहां देशी हैण्डपम्प काम करते थे आज उन क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प भी काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि गहराई के बोरिंग वाले ट्यूबबेल हैं वह भी पानी छोड़ दे रहे हैं। गिरता हुआ भूगर्भ जल स्तर हम सबके लिये बहुत चिन्ता का विषय है वहीं जिस तरीके से फ्लोराइड आर्सेनिक की मात्रा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बढ़ रही है यह इससे भी ज्यादा मानव जीवन के लिये चिन्ता का विषय बन गया है। माननीय अध्यक्ष जी, डब्लू0एच0ओ0 की एक रिपोर्ट के अनुसार, और वह रिपोर्ट बहुत गम्भीर रिपोर्ट है बड़ी चिन्ता करने वाली रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उसने पाया है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जनपद बहुरी तरह से फ्लोराइड आर्सेनिक जल से प्रभावित है उस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के लगभग एक करोड़ 19 लाख लोग फ्लोराइड आर्सेनिक युक्त पानी पीने से या तो वहां के नागरिक विकलांग हो रहे हैं या लीवर सिरोसिस, किडनी, टी0वी0 और तमाम गम्भीर संक्रामक रोगों से प्रभावित हो रहे हैं। उस रिपोर्ट में उसने यह भी चिन्ता व्यक्त किया है कि दो साल से लेकर चार साल तक के बच्चे इस फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त पानी से जन्म के बाद वह दो से चार वर्ष की अवस्था में विकलांग हा रहे हैं। उनकी भी संख्या इस रिपोर्ट में लगभग 57 हजार 214 है। माननीय अध्यक्ष जी इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के जल निगम ने भी यूनीसेफ की सहायता से इसकी जांच कराई है उसमें बहराइच, चन्दौली, मेरठ संतरविदास नगर और सहारनपुर, गोंडा जैसे जनपद इससे बहुत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। यहीं नहीं जनपद रायबरेली का एक विकास खण्ड रोहनिया जिसके बारे में डब्लू0एच0ओ0 की रिपोर्ट हेतु यूनीसेफ की रिपोर्ट है, जहां पर साढ़े सात सौ बच्चे विकलांग हो गये विगत एक वर्ष के अन्दर। जिस तरीके से फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ रही है अगर इस पर चिन्ता नहीं व्यक्त की गयी और इस पर कोई कारगर और कार्यवाही नहीं की गयी तो आने वाले दिनों में फ्लोराइड और आर्सेनिक के चपेट में प्रदेश के अन्य बचे

हुये जनपद भी आ सकते हैं। इसलिये हम आपके माध्यम से यह आग्रह भी करना चाहते हैं कि यह अत्यन्त आवश्यक और मानव जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की हम मांग करते हैं।

पशुधन एवं लघु सिंचाई मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह बघेल)-

मान्यवर नियम 56 की सूचना पर सदन की कार्यवाही रोककर जो चर्चा कराये जाने की मांग करते हुये यह उल्लेख किया गया है कि जहां उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ का गिरता जल स्तर बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है....

श्री अध्यक्ष-

आपका माइक क्या काम नहीं कर रहा है।

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगे हैण्डपम्प.....

श्री अध्यक्ष-

आपका माइक क्या काम नहीं कर रहा है।

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगे हैण्डपम्प.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सूचना तो है ही अपनी बात कहिए।

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने जो गिरते हुए भूजल स्तर पर चिन्ता प्रकट की है और पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से पेयजल से होने वाली बीमारियों का आपने जिक्र किया है मैं समझता हूं कि इस समय यह सबसे बड़ी समस्या है गिरता हुआ भूजल स्तर और पानी में जो पदार्थ मानव शरीर के लिए हानिकारक है उनकी मात्रा बढ़ना इस सम्बंध में लघु सिंचाई विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में जहां प्राकृतिक रूप से जो चेक डेम लाइक नदियां है जिनपर चेक डैम बन सकते है, हम लोक चेक डैम भी बना रहे है साथ में शहरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है इस सन्दर्भ में प्रदेश के जितने नगर विकास प्राधिकरणों के माध्यम से कानून बना रहे हैं कि दो सौ वर्ग गज से ऊपर के जितने भी मकान है वहां पर रुफ वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी। लगभग 271 विकास खण्ड इस समय प्राब्लमेटिक हैं क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है वर्षा ऋतु के पहले और वर्षा ऋतु के बाद जहां पर 120 से0मी0 वाटर लेबिल नीचे जा रहा है ओर दोहन 100 प्रतिशत हो रहा है उसको हम लोग क्रिटिकल की परिधि में लाते हैं जहां पर 120 गिर रहा है और 90 से 100 से0मी0 दोहन हो रहा है उसको सेमी क्रिटिकल मानते हैं। प्रदेश सरकारां के विशेष प्रयासों से कुछ क्रिटिकल ब्लाक सेमी क्रिटिकल में आए है और सेमी क्रिटिकल सेफ में जा रहे है और डार्क ब्लाक होने पर किसानों को वहां पर सरकारी ट्यूबवेल

की भी अनुमति नहीं रहती है। इसलिए यह एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है लेकिन जहां पर आर्सेनिक और फ्लोराइड आपने कहा है यह ग्राम्य विकास विभाग जो हैण्ड पम्प लगाते है और शहर में नगर विकास विभाग के द्वारा ओवर हेड टैंक के द्वारा पानी दिया जाता है हमारा लघु सिंचाई विभाग इस संदर्भ में या भूगर्भ विभाग इस संदर्भ में आर्सेनिक या फ्लोराइड की मुक्ति के लिए हमारे विभाग द्वारा प्रयास नहीं होता है बल्कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग जो पेयजल के लिए हैण्ड पम्प लगाते हैं या शहर में नगर विकास के द्वारा उनके पास रिपोर्ट आएगी और वह इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री हैं नहीं और हमारा बड़ा सवाल जो नियम 56 में हमने उठाया है वह फ्लोराइड और आर्सेनिक से सम्बन्धित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी यह सही है कि लगातार जल दोहन की वजह से यह समस्या है। और जैसा कि माननीय बघेल साहब ने बताया कि क्रिटिकल और सभी क्रिटिकल कितने ज्यादा ब्लाक इसमें प्रभावित हैं। और हम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से पानी का यह स्तर ऊपर उठाया जाय। यह खतरा जो हमरे सामने इस वक्त मंडरा रहा है वह और ज्यादा गम्भीर न हो इस सम्बन्ध में बहुत से प्रयास किए गए है हमारे नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने नक्शा पास करने के लिए जो 200 मीटर के मकानों के नक्शा पास करने के लिए यह अनिवार्य शर्त रखी गई है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी फ्लोराइड और आर्सेनिक से जो लोग प्रभावित हुए है 1 करोड़ 23 लाख और बच्चे इतने विकलांग हुए है हम उस पर अपना प्रस्ताव लाए है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस सबका निदान जल स्तर को ऊपर उठाना ही है। इसके अलावा इसका कोई निदान नही है। यह सही है कि यह चिन्ता का विषय है। हम लगातार इस बात के लिये प्रयत्नशील है और पूरी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि हम गिरते हुए जल स्तर को ऊपर उठाये। जहां तक आपके रोहनिया का प्रश्न है तो हम आपको बता दें कि जनपद रायबरेली का भूजल स्तर पांच मीटर से कम गहरा है और यह विकास खण्ड सुरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है। आपका जो ब्लाक है, आपने खासतौर से दो ब्लाकों का नाम लिया। आपने एक तो रोहनिया विकास खण्ड का नाम लिया, वह सुरक्षित श्रेणी में है। वह न तो क्रिटिकल में है और न ही सेमी क्रिटिकल में है और यह सरकार अपने आप में पूरी तरह से चिन्तित है, संवेदनशील है। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्दी ही इस समस्या से उबर जायेंगे। यह नियम 56 में नहीं आता है, इसको अग्राह्य करें।

(इसी मध्य सदस्य, श्री मनोज कुमार पाण्डेय के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जैसा स्पष्टीकरण आप चाहते थे वैसा स्पष्टीकरण आ गया है। अब आप बैंठे। नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ। अब हम नियम 56 की अगली सूचना लेते हैं। माननीय अजय कुमार लल्लू जी।

(इसी मध्य सदस्य, श्री मनोज कुमार पाण्डेय के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मानीय पाण्डेय जी, हमनें अगली सूचना ले ली है। आप बैंठ जाइये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, 01 जुलाई, 2017 को जी0एस0टी0 इस देश में लागू हुआ और एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था को एक बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया। महोदय, इसमें पांच कर स्लैब 0 प्रतिशत, 05 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत तक रखे गये हैं। जी0एस0टी0 की शेष अवधारणा को विकृत किया गया है और आनन-फानन में इसे जबरदस्ती लोगों पर लागू कर दिया गया। 2007 में जब यू0पी0ए0 की सरकार थी तो 2010 में जी0एस0टी0 लागू करने का प्रस्ताव लाया गया था और उस समय के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष-

आप विषयान्तर कर रहे हैं। आप जी0एस0टी0 का उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध बनाकर जो कहना चाहते हैं वह कहिये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, यू0पी0ए0 सरकार ने 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन इस सरकार में 28 प्रतिशत इस देश में लागू किया और इस जी0एस0टी0 के नाते छोटे-छोटे कुटी उद्योग, बुनकर, हथकरघा वाले लोग, रियल इस्टेट के लोग, इस सारे लोग इसके दायरे में आए और हजारों-लाखों मजदूर बेरोजगारी की स्थिति में आ गये हैं। छोटे-मोटे व्यापारियों की कमर टूट गयी, उनके व्यवसाय बन्द हो गये और इस सरकार ने तो हद कर दी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कफन के कपड़े तक पर जी0एस0टी0 लगाने का काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं, सोने के बिस्कुट पर 05 प्रतिशत जी0एस0टी0 और खाने के बिस्कुट पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 लगाया गया। पहले तो 28 प्रतिशत था, लेकिन जब पूरे देश में चर्चा होने लगी, जगह-जगह आन्दोलन होने लगे तो बाद में इन लोगों ने इसमें कुछ संशोधन किया। सोने के बिस्कुट पर 05 प्रतिशत और खाने के बिस्कुट पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0। महोदय, जीवन रक्षक दवाओं तक पर इतना अधिक जी0एस0टी0 लागू कर इन लोगों ने दवा जैसी महत्वपूर्ण चीज का भी दाम बढ़या। आज बुनकर समाज, बांस-बल्ली और लगभग 20 लाख रुपये तक के व्यापारी इवेन स्टेशनरी के सामान, मोबाईल, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, बेकरी जैसे सामान बेचने वाले जो लोग हैं, उनकी कमर टूट गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आज कृषि यंत्रों के हालात यह

है कि जो छतकट्टा मशीन आती है वह मुश्किल से दो-ढाई हजार रुपये की आती है, लेकिन उस पर भी 05 प्रतिशत जी0एस0टी0। आप टेलीफोन का अगर दस रुपये का बाउचर भरवाईये तो उस पर भी एक रुपये बीस पैसे जी0एस0टी0 निर्धारित कर दिया गया है। यानी जी0एस0टी0 ने पूरे देश की कमर तोड़ दी है। छोटे मोटे उद्योग बंद कर दिये गये है और इसकी सबसे बड़ी नजीर सूरत रहा। सूरत में जितने कपड़ा उद्योग थे लगभग-लगभग वह सब बंद हो गये है और पूर्वान्चल के तमाम लोग जो वहां काम करते थे वह लोग आज भारी संख्या में घर आ गये है। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दुनिया के 165 देशों में जी0एस0टी0 की व्यवस्था लागू है। न्यूजीलैण्ड में 15 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 10 प्रतिशत, फ्रान्स मं 19.6 प्रतिशत, जर्मनी में 19 प्रतिशत, स्वीडन और डेनमार्क में 25 प्रतिशत तथा पाकिस्तान में यह 18 प्रतिशत। महोदय मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी ही मांग करना चाहूंगा कि इस जी0एस0टी0 के नाते पूरे प्रदेश में मंहगाई चरम सीमा पर है और मजदूर, नौजवान छोटे-छोटे उद्योग बंद होने के नाते काफी बड़ी बोरोजगारी की कगार पर हैं। मैं आपसे और इस सदन से आग्रह करुंगा कि इस तात्कालिक ओर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन रोककर चर्चा की जाये तथा सदन से एक प्रस्ताव भेजा जाये ताकि भारत सरकार पुनः विचार करके इन तमाम छोटी-छोटी चीजों पर जी0एस0टी0 कर को कम करके उन लोगों को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 में जी0एस0टी0 के ऊपर चर्चा की बात आई है। निश्चित रुपये जुलाई, 2017 में यह नियम आया है। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की नीति को लेकर देश आगे बढ़ा है। मैं योग्य सदस्य को इस बारे में इतना ही बताऊंगा कि जी0एस0टी0 में छूट आदि देने का निर्णय और अधिकार क्षेत्र जी0एस0टी0 कौसिंल का है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है और यह संस्था सम्पूर्ण रूप से जब-जब आवश्यकता होती है, तब-तब भारत वर्ष के जितने भी राज्य है सबको बैठाकर बिना किसी राजनीतिक द्वेष के एक-एक बिन्दु के ऊपर चर्चा करती हैं और चर्चा करने के बाद तब जाकर जिन विषयों में संशोधन करना होता है उन पर संशोधन लेकर आते हैं। फिर पूरी तरह से प्रस्ताव पारित होता है। यह व्यवस्था वास्तव में बहुत सरल है। यह बात बिल्कुल सही है कि व्यवस्था के नई होने के कारण इसको समझने में कतिपय कठिनाईयां स्टेक होल्डर्स के बीच में आ सकती है। इस जी0एस0टी0 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि खाद्यान्न कर मुक्त किये गये है और दलहन करमुक्त की गई है। यही नही इन स्वरूपों के अंदर किसी प्रकार की मंहगाई की बात नहीं आ रही है। इसमें बीस लाख रुपये तक का टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को जी0एस0टी0 के पंजीयन से पूरी तरह से मुक्ति दी गई है। यह कहना कि उससे बहुत ज्यादा कठिनाईयां होती है पूरी तरह से गलत है। रिटर्न के अंदर भी सुविधायें दी गई है, जिनका डेढ़ करोड़ रुपये का रिटर्न हैं, उनके लिए तीन माह के अंदर अपनी बात को रखन की सुविधा है। इसलिये जी0एस0टी0 कौंसिल विचारोपरान्त अपनी बात रखती है। मैं आपसे सादर आग्रह करता हूं कि उक्त विषय यिम 56 के अंदर ग्राह्य करने योग्य नहीं है, इसलिये कृपया इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में परसो आपके द्वारा एक कान्फ्रेन्स आयोजित की गई थी। इसमें लगातार कुछ व्यापारियों ने शिकायत की कि आपके साइट्स दुरुस्त नहीं चल रही हैं जिसके कारण उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि रेलवे में जैसे ऑनलाइन हम टिकट प्राप्त कर लेते हैं तो उसी तरह से आनलाइन जी0एस0टी0 रिटर्न भरने की भी क्या कोई योजना सराकर द्वारा प्रारम्भ की जायेगी। बस सिर्फ अंतिम बात को साथ कि यह सरकार मान्यवर, यह सरकार व्यापारियों के हित करने वाली सरकार है और व्यापारी समाज ने बड़ा सम्मान, पैसा, ताकत, रुपया सब देकर इस सरकार को बनाया और सरकार आते ही इन लोगों ने सबसे पहले व्यापारियों का ही गला दबाने का काम किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह छोटे-मोटे उद्योग व्यापारियों का मामला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा करा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे जो कांग्रेस के नेता कह रहे है उसके अनुसार वस्तु एवं सेवा कर जो है उसमें सभी लोगों की जो मांग थी उससे यह भी सहमत थे। और, उसके ऊपर जब-जब किसी वर्ग के द्वारा, व्यापार मण्डल के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब यह मांग की गयी कि यह ज्यादा है तो उस पर तुरंत विचार करके जी0एस0टी0 कांसिल ने उसको घटाया भी है। मान्यवर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, अभी तक यह लोग होटल में खाना खाते थे जिसमें 12 से 14 प्रतिशत की टैक्स सेवा कर मिलाकर देते थे। और आज होटल में खाना खाने में मात्र 5 प्रतिशत की टैक्स की व्यवस्था है और जितनी भी आवश्यकताएं है उसमें सरलीकरण भी इस व्यवस्था का किया गया है और टैक्स भी बहुत कम किया गया है। मान्यवर, हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यह व्यवस्था जनता के हित में है और किसी प्रकार का इसमें किसी का भी उत्पीड़न नहीं है। मान्यवर, नियम 56 में यह सूचना नहीं आती है, इसलिए इसको अग्राह्य कर लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 56 की सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक कार्यस्थगन है। मान्यवर गोरखपुर में बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति को पुआल रखकर उसको जलाने का काम किया गया है। मान्यवर, यह कल की घटना है और यह एक महत्वपूर्ण घटना है। मान्यवर, हम आज बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर के नाम पर योजनाएं शुरू कर रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार ने संकल्प-पत्र लिया 14 अप्रैल से तमाम योजनाओं का संचालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मान्यवर अभी गोरखपुर में ही कल दिनांक 21-12-2017 दिन में एक बजे ग्राम-डढ़वा चतुर, पोस्ट-पाण्डेपुरा, थाना-बांसगांव, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर में गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने पुआल

इकट्ठा करके उनकी मूर्ति पर आग लगा दिया। मान्यवर, यह एक जगह की घटना नहीं है। अनेकों जगह मूर्ति की कहीं नाक तोड़ दिया जाता है, कहीं कान तोड़ दिया जाता है इसलिए मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि इस तरह की जो बाते आ रही हैं इसको देख लिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इतने हल्के से। मान्यवर, उसको पुआल रखकर जलाया गया है और यह कल की ही घटना है। मान्यवर, इससे ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण घटना होगी ? मान्यवर, उनको भारत रत्न दिया गया है और उनके नाम पर तमाम योजनाएं शुरू कर रहे हैं और अगर बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर का अपमान हो तो यह सही नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, भारत रत्न हमने दिया है और उनका सम्मान हृदय से है। मान्यवर, हम इस पर कार्यवाही करवा देंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अगर संसदीय कार्यमंत्री पार्लियामेंट में जाएं और माथा टेके कि हम इन्हीं की बदौलत आए है और उनकी मूर्ति आज तोड़ी गयी है। मरने के बाद उन्हें अपमानित कर रहे है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है उस पर कार्यवाही होगी। आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता कि मरने के बाद अपमानित किया जा रहा है। पूरा देश डा0 भीम राव अम्बेडकर की श्रृद्धा करता है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अगर पूरा देश श्रृद्ध करता है तो आपका स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार यह कह रहे है कि दिखवा लेंगे हमारे पास उसके अथेंटिक कारण है कि उसको जलाया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम कह तो रहे है कि इसे दिखवा लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप उस पर मुकदमा दर्ज करने की घोषणा करिए और तीन दिन के अंदर मुल्जिमों को गिरफ्तार करवा दीजिए तब हम जानेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने कह दिया है कि हम इस पर कार्यवाही करवा लेंगे। मैने कहा कि कार्रवाई करवा देंगे। कार्रवाई करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, हमारी ओर से भी निर्देश हो गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह जो बाबा साहब की मूर्ति वाले प्रकरण पर हमारी सूचना थी।

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

उस पर कह दिया गया कि बाबा साहब का अपमान भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।

उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन (संशोधन), 2017

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। बहुत संक्षेप में मैं बस इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 1208 ऐसे सिनेमाघर है। इसमें से कुल 514 की संख्या ऐसी है जो इस समय संचालित है। लेकिन बड़ी संख्या में सिनेमाघर ऐसे भी है जो बंद है और ऐसे स्थानों पर हैं जो शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं ऐसे स्थानों पर है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है लगातार यही प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक रोजगार कैसे पैदा करें और उसी के क्रम में आज हम यह बिल लेकर आये है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश मं हमारे 58 ऐसे जिले है। चूंकि अब नई तकनीक आ गयी है, नई व्यवस्था आ गयी है उस व्यवस्था के अंतर्गत नये मल्टीप्लेक्स बनाने की आवश्यकता है और सरकार ने इस पर बहुत ही उदारतापूर्वक कि जो इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहते हैं, जिसके माध्यम से बहुत से रोजगार भी सृजित होंगे ओर जो ऐसे स्थान है उनका उपयोग भी होगा। इन सारे विषयों को लेकर मैं साथ में यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इसके पहले यदि किसी को इसके लिए लाइसेंस आदि की आवश्यकता होती थी। चक्कर लगाने पड़ते थे। तीन वर्ष का लाइसेंस जिलाधिकारी को दिये जाने का अधिकार था। लेकिन अब यह व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है कि यदि कोई आवेदन करता है तो 30 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना है। अगर 30 दिन के अंदर वह कार्रवाई नहीं करते है तो वह स्वतः स्वीकृत मान लिया जायेगा। एक बात और मैं इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि पहले व्यवस्था थी कि जो हमारे चाहे वह राज्य सचिवालय को, मा0 उच्च न्यायालय हो, लोक सेवा आयोग हो इससे 200 मी0 की दूरी तक की जो सीमा थी उस पर कोई इस प्रकार के मल्टीप्लेक्स का निर्माण नहीं किया जा सकता लेकिन ब राजस्व परिषद एवं लोक सेवा आयोग से 200 मी0 की परिधि में सिनेमाघर का निर्माण न किये जाने का जो प्रतिबंध है वह हटा लिया गया है। साथ ही जो चिकित्सालय और शिक्षण संस्थान आदि के बगल में 75 मी0 का प्राविधान पहले था, चूंकि आज जो नवीन तकनीकी आयी है उसकी आवाज किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाती है, कोई डिस्टर्बेस नहीं होता है इसलिए इसमें जो 75 मी0 का प्रतिबंध था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। ऐसे तमाम हम इस अधिनियम में लेकर आये है। मैं आपके माध्यम

से सदन के सामने यह प्रस्ताव रखते हुए कहना चाहूंगा कि यह रोजगार सृजित करने वाला है और शहरों के बीच में बहुत से सिनेमाघर बंद पड़े हैं उनको चालू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए मै। आपके माध्यम से संशोधन का यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधोयक, 2017 को पास कराने की कृपा करें।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधोयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नितिन जी, कुछ कहेंगे ?

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो विधेयक लाया गया है, इसको आप एक प्रवर समिति को भेज दीजिए, इसमें कई विसंगतियां है, हम सभी लोगों की बातें आयेंगी, उसके बाद यहां पर आ जायेगा। एक माह के अन्दर रिपोर्ट आ जायेगी। मान्यवर, इसको प्रवर समिति को भेज दें।

(श्री रितेश पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्यों बोल रहे है, सिनेमा है तो चलने दीजिए। पिक्चर पर काहे रोक लगा रहे हो ?

(हंसी)

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य एक्जीक्युटिव्स को लगाया गया था, इसको पास करने के लिए अब उनको 30 दिन के अन्दर बाध्य कर दिया गया है। 30 दिन के अन्दर पास करने का मतलब यह है कि अभी उपहार काण्ड आपकी दिल्ली में हुआ था। हम लोग जहां सिनेमा घरों में इतनी बड़ी तादाद में हजार, दो हजार लोग जाते हैं, अगर किसी को सिनेमा घर बनाना हो, 30 दिन के अन्दर बाध्य हो जायेगा, कितने लोगों से रिर्पोट लेनी पड़ती हैं, चाहे फायर का हो, चाहे सेनिटेशन का हो, इन सभी चीजों की रिर्पोट लेनी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप यही चाहते हैं न कि यह प्रवर समिति को चला जाए ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, शायद माननीय सदस्य इसको ठीक से पढ़े नहीं हैं, सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद आवेदन करने का काम है, वह लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 30 दिन में वह नहीं करते हैं तो वह स्वतः माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

रितेश पाण्डेय जी, आप इस कानून के बन जाने के बाद सिनेमा देखने जाना, तब बताना। हम सबको भी ले चलना।

(हंसी)

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी रितेश पाण्डेय जी बता रहे थे कि इसमें तमाम एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती हैं, उसकी समय सीमा आपने 30 दिन बांधी है। अगर कोई आवेदक, आवेदन करता है तो 30 दिन के अन्दर क्या उसे सारी एन0ओ0सी0 मिल जायेंगी ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नितिन जी और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाह रहा हूँ कि सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद 30 दिन का समय है। मान्यवर, इसे अभी विधान परिषद जाना है, इसे पारित करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-10 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,

खण्ड (क) (क-1) और (क-2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(क) ''अपीलाय प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार से होगा जब अपील इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गयी हो और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के विरुद्ध की गयी हो तो मण्डलायुक्त से होगा;

(क-1) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सृजित या स्थापित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण से है, जो अपनी अधिकारिता के अधीन भूमि पर प्राधिकार का प्रयोग करता है और उसके पास ऐसी अचल सम्पत्ति के विकास के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्तियां हैं;

(क-2) ''मनोरंजन'' में कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेल, क्रीड़ा (घुड़दौड़ सहित), डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवायें, केबिल सेवायें, चलचित्र, डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन, जिसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है, सम्मिलित हैं और चलचित्र तथा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के मामले में वृत्त चित्र के प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान या पृथक् रूप से समाचार-फिल्म, वृत्त चित्र, कार्टून, विज्ञापन, लघु फिल्म तथा स्लाइड्स सम्मिलित हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मनोरंजन के रूप में अधिसूचित कोई क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं;

(क-3) ''वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन'' का तात्पर्य किसी पूर्व रिकार्डेड कैसेट या अन्य युक्ति द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय या वीडियो कैसेट प्लेयर या किसी अन्य साधित्र द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय, सचल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला को, चाहे टेलीविजन के सेट की स्क्रीन पर या वीडियो स्कोप या अन्यथा पर, प्रवेश के लिए भुगतान लेकर जनता के लिए या जनता में प्रदर्शन करने से है;

(क-4) ''मिनी सिनेमा'' का तात्पर्य 125 के बैठने के स्थान की क्षमता वाले किसी स्थाई भवन में चलचित्र प्रदर्शन या डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त एकल स्क्रीन सिनेमा से है;

(क-5) ''मल्टीप्लेक्स'' का तात्पर्य एक ही परिसर के भीतर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के साथ या दो या दो से अधिक सिनेमाहालों के समूह या समुच्चय से है;

(ख) खण्ड (च-1) और (च-2) निकाल दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (झ) में शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979'' निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

''(क) चलचित्र या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, या''

(ख) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

लाइसेंस प्राधिकारी

''इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी जिसे एतत् पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा :

परन्तु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी की ऐसी शक्तियां, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करें, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ या उसे अपवर्जित करते हुए प्रदान कर सकती है :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी कोई शक्तियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी द्वारा साथ-साथ प्रयोक्तव्य हो, वहां उनमें से प्रत्येक अधिकारी अपने द्वारा पारित समस्त आदेशों की सूचना एक दूसरे को देता रहेगा और उनके मध्य किसी विषय पर भिन्न राय होने की दशा में राज्य सरकार को संदर्भित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।''

धारा 4-क एवं 4-ख का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा रख दी जायेंगी, अर्थात्-

मनोरंजन आयोजित करने की अनुमति

4-क(1) कोई मनोरंजन जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।

(2) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मनोरंजन की अनुमति स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् दे सकता है कि उस स्थल, जहां पर मनोरंजन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु समुचित सावधानी बरती गयी है तथा वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा और अन्य विद्युत स्थापनाओं की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे मनोरंजन के आयोजन को रोक सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-

(क) स्वामी ने कोई मिथ्या सूचना दी है, जिसके परिणाम स्वरूप करापवंचन सम्भावित हो;

(ख) स्वामी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध को भंग किया हो या उसके द्वारा भंग किया जाना सम्भावित हो, या

(ग) मनोरंजन आयोजित किये जाने से लोक सुरक्षा, शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो :

परन्तु इस धारा में कोई बात डायरेक्ट टू होम, केबिल सेवाओं और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्त सभी मनोरंजन पर लागू नहीं होगी।''

अनुज्ञापन और अनुमति से सम्बन्धित उपबन्ध

4-ख (1) धारा 3 में यथा उपबन्धित मनोरंजन हेतु अपेक्षित अनुज्ञप्ति, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है;

(2) धारा 4-क में यथा उपबन्धित अनुमति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन-पत्र में यथा उल्लिखित पांच वर्ष से अनधिक की अपेक्षित अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, लाइसेंस या अनुमति प्रदान करेगा या प्रदान करने से इन्कार करेगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस या अनुमति प्रदान की गयी समझी जायेगी।

(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन-पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता/सकती है। यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है।

परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति, तथ्यों के दुर्व्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

धारा 5 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में,

(i) खण्ड (कक) में, उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

''(i) राज भवन, राज्य सरकार के सचिवालय या उच्च न्यायालय से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थित है;''

(ii) उपखण्ड (ii) और (iii) निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपखण्ड (खख) निकाल दिया जायेगा।

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् उपसंजात होने वाले स्पष्टीकरण में;

(i) स्पष्टीकरण (1) निकाल दिया जायेगा।

(ii) स्पष्टीकरण (2) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

''**टिप्पणी**-सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मीटर-किलोग्राम-सेकेण्ड (एम0के0एस0) प्रणाली में वास्तविक माप प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।''

धारा 6-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 6-क में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''वीडियो लाइब्रेरी या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी'' के स्थान पर शब्द ''वीडियो लाइब्रेरी'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में, शब्द ''चलचित्र या वीडियो'' के स्थान पर शब्द ''चलचित्र या डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम या वीडियो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''वीडियो लाइब्रेरी या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी'' के स्थान पर शब्द ''वीडियो लाइब्रेरी या मनोरंजन आयोजित करना'' रख दिये जायेंगे और शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द ''वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी'' के स्थान पर शब्द ''वीडियो लाइब्रेरी'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (कक) में, शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 13-क का बढ़ाया जाना

10-मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति

''13-क उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध, उक्त अधिनियम सन् 2017 के प्रारम्भ होने के पूर्व, लम्बित आवेदन-पत्रों और स्थायी भवन निर्माण हेतु दिये गये अनुमोदन तथा प्रदान किये गये लाइसेंस के लिए भी लागू होंगे।''

खण्ड-2 से खण्ड-10 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-10 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

आगे की शेष मदों को रोक कर किसी वजह से मद संख्या 38 पहले ले रहा हूँ।

[02:13 बजे] उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्रयाग राज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश प्रयाग राज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आज सदन में आया है, कुम्भ मेला हिन्दुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और दुनिया में इतना बड़ा मानव संगम कहीं होता भी नहीं है श्रीमन्, इसमें करोड़ों लोग सम्मिलित होते हैं, भारत ही नहीं अपितु दुनिया के अधिकांश देशों के लोग इस संगम में इकट्ठा होते हैं, कुछ स्नान करने के लिए, कुछ इसके भव्य आयोजन को देखने के लिए। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत है। कुम्भ की हमारी अवधारणा कोई कपोल कल्पित नहीं है श्रीमन् बल्कि हमारी महान खगोलीय शास्त्रीय परम्परा के अनुसार मिश्रित संस्कृति एवं ज्योतिर्विज्ञान से संपुष्ट है, इसके पीछे मानव कल्याण के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं श्रीमन् इन्हीं खगोलीय ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर भारत में चार स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अर्ध कुम्भ, कुम्भ और महाकुम्भ का आयोजन होता है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, समुद्र मंथन के साथ अमृत कलश की प्राप्ति हुयी थी, उसमें देव, दानवों में अमृत को लेकर के युद्ध हुआ था, यह युद्ध देवताओं का 12 दिन चला था, देवताओं का 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होता है श्रीमन् आप तो विद्वान हैं जान ही रहे हैं, आपका कुम्भ भी हर बारहवें वर्ष पर होता है और 12 कुम्भ होते हैं, 04 पृथ्वी पर यानी धरतीलोक पर और 08 जो हैं देवलोक में, 08 इतने ब्रह्म स्थान हैं। पृथ्वी पर हो रहे कुम्भ में देवतागण भी सम्मिलित होते हैं ऐसा हमारे वेद पुराण में माना गया है। ऐसी हमारी मान्यता भी है जिस समय चन्द्र आदि ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चन्द्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उनका योग होता है अर्थात् जिस राशि पर सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां-जहां अमृत बूँद गिरी थी, वहां-वहां कुम्भ पर्व होता है। माना जाता है कि इन ग्रह योगों पर संगम तट पर मौजूद नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है, इसलिए इस स्थान और पर्व का विशेष महत्व होता है। अथर्ववेद में पूर्ण कुम्भ शब्द का प्रयोग मिलता है, ''पूर्णो कुंभोधिकाल अहितस्तं वै पश्यामो।''

अर्थात पूर्ण कुम्भ काल में रखा हुआ है। जीवन का घट भी काल में है। काल में व्यस्त है। कुम्भ का शाब्दिक अर्थ घट, घड़ा तथा हृदय दोनों हैं श्रीमन यह एक श्लिष्ट शब्द है और स्कन्द पुराण में उल्लेख है

''पदिमिनी नायके मेषे कुंभराशि गते गुरौ, गंगाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनाम्रातदोत्तमः।।''

अर्थात सूर्य जब मेष राशि पर आये और गुरू ग्रह कुम्भ राशि पर हो तब गंगा द्वारा पानी हरिद्वार में कुम्भ पर्व का उत्तम योग होता है। जब सूर्य मकर राशि में तथा गुरू वृष राशि में तब प्रयाग में कुम्भ पर्व होता है। ग्रहों का यह योग माघ महीने पड़ना भी जरूरी होता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अधिनियम पर आ जायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो वेद पुराण का भाष्यकार भी हैं, जानकार भी हैं। यह बहुत जरूरी है पूरी बात सुनिये कृपा करके और ये लोग भी सुने क्योंकि हिन्दू के सबसे बड़े लम्बरदार यह पार्टी है तो सब चीज एक तरफ और इनको इस बात को सुनना एक तरफ। मान्यवर, जब गुरू ग्रह सिंह राशि में अवस्थित होता है और कुम्भ पर्व उज्जैन में होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। इसमें 10 योग होने आवश्यक है। जैसे वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा सूर्य, मेष राशि पर, गुरू सिंह राशि पर, चन्द्रमा, तुला राशि पर, स्वाति नक्षत्र, व्यतिपात योग सोमवार तथा उज्जैयिनी स्थल होने पर ही उज्जैन कुम्भ का मेला होता है। इन 10 में से 9 योग हों लेकिन गुरू सिंह राशि पर न हों तो कुम्भ पर्व का आयोजन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति आने पर 2012 में कुम्भ पर्व वहां नहीं हुआ था। आपको मालूम भी होगा। इस तरह खगोलीय ज्योर्तिविज्ञान के आधार पर उस ग्रह योग की महत्ता को दृष्टिगत रखकर मानव कल्याणार्थ हमारे महान ऋषि-मुनियों ने तीन प्रकार के कुम्भ की गणना की, अर्द्धकुम्भ, कुम्भ, महाकुम्भ। अर्द्धकुम्भ 6 वर्ष में आता है, कुम्भ 12 वर्ष पर होता है और 12 कुम्भ होने के बाद 144 वर्ष पर महाकुम्भ का आयोजन किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका प्रतिपादन किया है। अर्द्धकुम्भ का अर्थ होता है आधा, अर्थात् कुम्भ में जो ग्रह नक्षत्रों का योग बनता है वह पूर्ण योग अर्द्धकुम्भ में नही बनता। यह महत्वपूर्ण है श्रीमन। कुम्भ का अर्थ होता है आधा अर्थात कुम्भ में जो ग्रह नक्षत्रों का योग बनता वह पूर्ण योग अर्द्धकुम्भ में नहीं बनता। यह योग 12 वर्ष में होने वाले कुम्भ के मध्य अवधि अर्थात 6 वर्ष में बनता है इसलिए इसे अर्द्धकुम्भ कहते हैं और 6 वर्षों में मनाते हैं। ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण योग मिलने पर हम जो पर्व मनाते हैं उसे पूर्ण कुम्भ की संज्ञा देते हैं। जो प्रत्येक 12 वर्ष में आता है और 12 कुम्भ के पश्चात 144 वर्षों बाद जो कुम्भ आता है उसको महाकुम्भ की संज्ञा दी जाती है। इस महान ज्योर्तिविज्ञान की गणना को नकारने का प्रयास हमारे ऋषिमुनि भी नहीं कर सके। जब से यह धरती है, जब से वेद पुराण है और जब से इस महान आयोजन की परम्परा है आज तक इस पर कोई छेड़-छाड़ नहीं किया। उन ऋषि मुनियों को सृष्टि बदलने की भी क्षमता थी, लेकिन तब भी कोई छेड़-छाड़ उन लोगों ने नहीं की। परन्तु आज हमारी राम राज स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं, महामण्डलेश्वर भी हैं इसे बदलने जा रहे हैं। संतों का कार्य प्रकृति को उसके नियमों की रक्षा करना होता है, बदलना नहीं होता है। बल्कि वह प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं और करवाते हैं धर्म रक्षा में रत रहते हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं। मानव कल्याण कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस सरकार में खगोलीय प्रलोपन करने की क्षमता निहित हो गयी है। वह कुम्भ पर बनने वाले ग्रह योग का अवतरण अर्द्धकुम्भ में ही करने जा रही है।

हमारे इतिहास और पुराणों में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्हें भौगोलिक स्थिति को बदलकर ग्रह-नक्षत्रों को अपने हिसाब से चलाने का अहंकार हुआ उनको समाज ने मानव नहीं माना, उनकी संज्ञा राक्षस से की। जैसे कल भी मैंने कहा था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। कर्म काण्ड के बहुत बड़े पण्डित थे। आज भी रावण संहिता के आधार पर गणना होती है लेकिन उनमें अहंकार आ गया। उसने शनि को उल्टा लटका दिया, उसने काल को पाटी में बांध दिया लेकिन उसका हश्र क्या हुआ श्रीमन् ? वह जगत विदित है। मेरा मानना है कि आज

भी हम विजय दशमी को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी से, संसदीय कार्य मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के हिन्दुओं और राम राज के लोगों से मेरी यह विनम्र प्रार्थना है।

(एक सदस्य के द्वारा यह कहे जाने पर कि क्या उधर हिन्दू नहीं हैं)

तब ही तो इसे उठाया है। कि ऐसा कार्य आप लोग न करें जो इतिहास में सच को परिवर्तित करने का उदाहरण बने। हमारे वेदों, पुराणों की मान्यताओं को ठेस पहुँचाए या उसे झुठलाने का कार्य करे। आज हमारे वेद-पुराणों पर विदेशों में भी शोध हो रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इनमें मौजूद घटनाओं, उदाहरणों की सत्यता को स्वीकारा जा रहा है। इसलिए इतिहास और पुराणों को बदलने का कार्य न करें। यह जैसा भी है उसे वैसा ही रहने दें। हिन्दू धर्म के साथ, सनातन परम्परा के साथ खिलवाड़ न करें। मेरी विनती है। हॉ, इस अर्द्ध कुम्भ को कुम्भ की भॉति भव्य करें। खूब भव्यता प्रदान करें। हमारा भी आपको पूरा सहयोग है, पूरे विपक्ष का आपको सहयोग है। जो एक सराहनीय कार्य होगा और जिसकी देश-विदेश में ख्याति होगी। श्रीमन्, इस विधेयक के क्रम संख्या 4 में जो प्राधिकरण गठित किया गया है। उसमें केवल प्रशासनिक अधिकारियों का समावेश किया गया है। अध्यक्ष जी, थोड़ा इस पर सुनिए। इससे साधु-सन्तों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था में कठिनाई होगी। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप और देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधाओं के लिए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मेला अवधि में इसमें सन्त समुदाय की और किसी जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी होना आवश्यक है। तमाम कार्य एवं सुविधाएँ भारत सरकार के अधीन आती हैं इसलिए बेहतर होता कि यदि भारत सरकार की तरफ से भी इसमें किसी का प्रतिनिधित्व होता। इस विधेयक के क्रम संख्या 19 में दिया गया है कि संगम क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रिया-कलाप और पुरुषों, महिलाओं या बालकों के ऐसे किसी लघु या वृहद् जन समूह की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पर्यावरण, लोक शान्ति और प्रशान्ति के लिए परिसंकटमय हो। श्रीमन्, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह मेला आदि काल से है। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था और इस कुम्भ मेले में उसने स्नान किया था। उसने लिखा है कि ऐसा अद्भुत पर्व हमने अपनी जिन्दगी में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। श्रीमन्, आदि शंकराचार्य ने इसको और भव्य रूप देने के लिए दशनामी अखाड़ों का प्रवेश किया जिसमें शाही स्नान होते हैं। बिना शाही स्नान के कुम्भ की गणना बेकार है। इस मेला प्राधिकरण में केवल अधिकारी को लिखा है, न अखाड़ा परिषद् को उसमें कोई जगह दी गई है, न किसी जनप्रतिनिधि को दी गई है, न किसी और को दी गई है। वहॉ तमाम साधु-सन्त आते हैं। हम लोग भी बचपन में कई बार स्नान करने गए हैं। वहॉ पण्डाल लगते हैं, प्रवचन होते हैं, नागा साधु आते हैं, तरह-तरह के शैव और वैष्णव विभिन्न प्रकार के साधु-सन्त आते हैं। अग्नि जलाते हैं, रात भर कितने ही साधु-सन्त नंगे बदन में अग्नि जला करके और उसी के सहारे माघ के महीने में, जाड़े में रहते हैं तो जब लकड़ी जलेगी तो धुऑ भी होगा। बालक, स्त्री, पुरूष सब उसमें जुटते हैं। महासंगम होता है तो यह संगम को और भव्यता देने का इसमें प्राविधान है कि इसको बिल्कुल नष्ट और बर्बाद करने की बात है ? कहा गया है कि वहॉ आग नहीं जलाई जाएगी, क्या आम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, क्या प्रवचन में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होगा अधिकांश संतों के आश्रम बनते हैं और उनमें गरीब दुखियों के लिए दिन रात भण्डारे का आयोजन होता रहता है तो न

बच्चे जुटे, न स्त्री जुटे, न पुरुष जुटे, न साधु जुटे न संत जुटे, न लकड़ी जले, न लाउड स्पीकर बजे तो फिर किस बात का कुंभ अध्यक्ष जी। किस बात का कुंभ इन सबके लिए आग जलाने से धुआं होता है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना और जगह-जगह अखाड़ों में रामायण, कथा भागवत, प्रवचन आदि के आयोजन होते हैं जिनमें लाउड स्पीकर भी लगते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण भी होगा। इन अखाड़ों में धार्मिक आयोजन के समय भारी जनसमूह इकट्ठा होता है तो क्या लकड़िया जलाने, लाउड स्पीकर लगाने और धार्मिक आयोजनों की सहमति नहीं दी जाएगी जैसा कि इन्होंने प्राविधान इसमें किया है। इसके उल्लंघन में 1000 रुपये अथवा 100 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। अगर कोई साधु अग्नि से ताप रहा है। यह साधु लोगों का कहना है कि हम कुछ नहीं जाड़े में पहनेंगे हम नंगे रहेंगे धुनी रमाकर हम उसी आग से जीयेंगे और जो पुराने आदिकाल से कुंभ की एक परम्परा है। इसमें हमारे बहुत से माननीय सदस्य कुंभ में गए होंगे वहाँ साधु संत लोग प्रवचन करते हैं। उनके अनुयायी पूरे दुनिया भर से जुटते हैं, बड़े-बड़े साधु संतों के और प्रवचन सुनते हैं। उनके आश्रमों में रहते हैं। भोजन करते हैं भण्डारा चलता है और अब इस सब पर प्रतिबंध है। लकड़ी जलाने, लाउड स्पीकर बजाने, अधिक लोगों के लिए खाना बनाना आदि पर दण्ड लगेगा और रोज एक हजार रूपये से सौ रूपये तक का जुर्माना लगेगा, यह कुंभ का आयोजन है कि कुंभ का विनाश है ? श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि संसदीय कार्यमंत्री जी थोड़ा बचे रहिए तेजी में मत होइए। मान्यवर, कोई ऐसा पुराण नहीं है अब आपके सामने हम क्या कहें आपने तो सबका अध्ययन ही किया है। तुलसी दास जी ने भी इस पर लिखा है, विष्णुपुराण में बताया गया है कि जब गुरू कुंभ राशि में होता है और सूर्य राशि में होता है तब यह होता है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण में भी कुंभ आयोजनों की विस्तृत चर्चा है, सब पुराणों में चर्चा है। श्रीमन्, जो परम्परा आज तक ऋषि मुनि और देवी-देवता, विद्वान जिसको नहीं बदल पाये उसको सनातन विरोधी यह सरकार, हिन्दू विरोधी सनातन धर्म विरोधी यह सरकार जो कभी भी इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। यह सनातन धर्म का विनाश करने पर तुली हुई है इसलिए क्योंकि इनका बहुमत है। अर्द्ध कुंभ को कुंभ कह देंगे, कुंभ का अर्द्ध कुंभ कर देंगे। महाकुंभ को कुंभ कह देंगे किस पुराण में इसकी चर्चा है किस वेद में इसकी चर्चा है, कहीं है ? आज तक किसी ने कोई नहीं किया आज हमारे सनातन धर्म को मिटाने पर यह सरकार तुली हुई है। हिन्दू धर्म का विनाश करने पर तुली हुई है। सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुली हुई है और बहुमत के अहम में जो हमारे महान ऋषियों ने हमारे संतों ने ऐसे ऋषि जिनके पास सृष्टि को बनाने और बदलने की भी क्षमता थी उन्होंने भी इसमें आज तक कोई बदलाव नहीं किया और बहुमत के बल पर अहम में आज हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने पर यह सरकार तुली हुई है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि असली हिन्दू इस तरफ ही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अखाड़ा परिषद् के अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि इसके विरोध में पूरे देश और दुनिया के अखाड़ा परिषद् के लोग 29 दिसम्बर को इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी श्री शंकराचार्य से भी बात हुई उन्होंने कहा कि शास्त्र, वेद, पुराणों को परम्पराओं को, उसमें लिखी हुई बातों को किसी को बदलने का अधिकार धरती पर नहीं है। हिन्दू-मुसलमान की बात करके वोट लेने वाले यह लोग इतने पर तुल गए हैं कि सनातन धर्म का ही विनाश करने लगे हैं। श्रीमन्, यही तो रावण ने किया था, आचार्य चतुरसेन ने 2006 में किताब लिखी है जिसमें

रावण की पूरी हिस्टरी है और यही वह कहता था कि हमारा धर्म वयो रक्षामः हमारा धर्म मानो। जो राजा उसके धर्म को मान लेता था उसको बख्श देता था और जो धर्म को नहीं मानता था उसको पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। किस बात का इतना अह्म है। हम क्या सुनाएं, यह क्या सुनायेगें अब तो आप इनको सुनाइए। आप पुराण के भी विद्वान हैं और पीठ के भी हैं, कौन-सा ऐसा वेद है, कौन-सा पुराण है, कौन-से ऐसे ऋषि है, सन्त है, कौन शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इस बात की छूट दी हो कि हम अर्द्धकुम्भ को कुम्भ कह दें, कुम्भ को अर्द्धकुम्भ कह दें, महाकुम्भ को अर्धकुम्भ कह दें यह क्षमता किसने दी, कहां से इनके दिमाग में आ गया। श्रीमन्, कल भी मैंने कहा था कि आपके रहते लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप जैसे प्रकाण्ड विद्वान जिसने कई किताबें लिखी हैं, वेद और पुराणों का भाष किया हैं, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र, किसी शंकराचार्य की किताब में, कहीं कभी यह बात आई कि कुम्भ का अर्द्धकुम्भ कभी हुआ है, उस जमाने में कभी भी हुआ है ? इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हिन्दू धर्म की रक्षा कराना चाहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा कराना चाहते हैं तो इस देश के हिन्दू, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की आत्मा को यदि ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो सख्ती से इस सरकार को निर्देश दें कि इस विधेयक को वापस लें। अध्यक्ष जी, अभी तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई के खिलाफ लड़ाई रहती है, विपक्ष हिन्दू बनाम हिन्दू की लड़ाई लड़ेगा। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग, हिन्दू धर्म को बर्बाद करने वाले लोग जो हिन्दू का मुखौटा पहने हैं, इनको बेनकाब जनता जरूर करेगी। श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ आप जैसे महान, विद्वान, वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, हिन्दू धर्म के खिलाफ हैं, हमारे आदि शंकराचार्य के विचारों के खिलाफ हों, विश्वामित्र, वशिष्ठ जितने भी ऋषि इस धरती पर हुए हैं उनके विचारों के खिलाफ हैं तत्काल ऐसे हिन्दू विरोधी, सनातन विरोधी, सन्त विरोधी, अखाड़ा विरोधी विधेयक को तत्काल सरकार वापस लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रवर समिति के प्रस्ताव समर्थन करता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल दो मुद्दों पर बात करनी है। मान्यवर, हम किसी सरकार, किसी धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, न नाम बदल सकते हैं तो वहां अर्द्धकुम्भ, कुम्भ और महाकुम्भ तीन पहले से चले आ रहे हैं। उसका हम नाम कैसे बदल देंगे, वह हिन्दू धर्म या सनातन धर्म वालों ने तय किया है, उसके अनुसार ही रहेगा। उसका नाम क्या सरकार बदल सकती है एक तो मेरा यह निवेदन है। दूसरा मान्यवर, अभी तक हम लोगों ने सुना था कि विधायक चाहे वह महिला हो या पुरूष हो, विधायक ही कहलायेगा। अध्यक्ष चाहे उस कुर्सी पर कोई महिला बैठे या पुरूष बैठे, वह अध्यक्ष होगा, यह अध्यक्षा का पद कहॉ से आ गया। मान्यवर, इसमें इस बात का भी उल्लेख है, आप हिन्दी के ज्यादा ज्ञाता हैं मैं तो उतना नहीं जानता लेकिन मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि पद भी स्त्री और पुल्लिंग हो गया। हम यह कहते हैं अध्यक्ष महोदया लेकिन इसमें जो प्राधिकरण है उसमें लिखा है अध्यक्ष/अध्यक्षा, उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षा तो मान्यवर, ये विसंगति जो है ..

श्री अध्यक्ष-

जिसने हिन्दी अनुवाद किया वह हिन्दी का जानकार ज्यादा था।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, लेकिन यह पास हो जायेगा तो यही पास हो जायेगा। या तो यह संशोधन लावें और इसको ठीक करें कि अध्यक्ष पढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष-

अंग्रेजी में ठीक होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अंग्रेजी में ठीक होगा लेकिन हम पास तो हिन्दी में कर रहे हैं। तो जब हम यह पास कर रहे हैं तो यह गलती हो जायेगी। यह संसदीय कार्य मंत्री जी को इस पर जोर नहीं देना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि इसको चाहे फिर से रिजर्व रख लें अगले सत्र में लावें या फिर इसमें सरकार ही संशोधन प्रस्तुत कर दे। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ही संशोधन को मान लें। इसमें चूँकि यह विंसगति होगी और हम लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा कि कैसी विधान सभा है जिसने इस तरह की चीज को पास कर दिया। तो इसलिये मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और आप बहुत ज्ञाता इस मामले में हैं कि अध्यक्ष अध्यक्षा होगा कि नहीं। दूसरे किसी धर्म के नाम को बदलना, जैसे दीपावली हम मनाते हैं उसको कोई दूसरा नाम दें दे। ईद मनाते हैं ईद को कोई दूसरा नाम दे दें तो मेरा कहना यह है कि धर्म वाला ही कोई दूसरा नाम दे सकता है। सरकार तो नाम नहीं बदल सकती तो यह दो विसंगतियॉ इसमें है इसलिये मैं चाहूँगा कि इसको आप विचार कर लें और इसको या तो माननीय मंत्री जी आपकी अनुमति से इसमें संशोधन लाकर दोनों को अभी ठीक कर लें तो मान्यवर, निश्चित रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक मिनट मैं भी अपनी बात कहूँगा। यदि आपकी अनुमति हो तो। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी के संशोधन पर बल देते हुये मैं इस विषय पर आपसे यह आग्रह करूँगा कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय नेता बसपा ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद, विधेयक, 2017 पर अपने विचार रखे। माननीय नेता विरोधी दल ने खगोल विद्या से लेकर, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और तमाम पौराणिक उद्धरण आज सदन के सामने रखे। मान्यवर, हम बहस को लम्बा नहीं करना चाहते क्योंकि आज काफी बिल लगे हैं, वर्ना आज जवाब देते जरूर। मान्यवर, नेता विरोधी दल तो स्वंय यह स्वीकार कर चुके हैं कि यह कलयुग है।

श्री लालजी वर्मा-

हम लोग तो इसे नहीं मानते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कलयुग इन्होंने ही कहा था तो सारी बात का उत्तर तो इनकी बात पर ही आ जाता है। मान्यवर, गलत तरीके से व्याख्या करना, चीजों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना और मिसलीड करना, यह नेता विरोधी दल इसमें माहिर हैं। इसमें इनका कोई जवाब नहीं है। मान्यवर, अर्द्धकुंभ को कुम्भ के शब्द से केवल इसलिये बदला गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह चाहते थे कि किसी प्रकार से सनातन में कहीं अर्द्ध चीज नहीं आई, आंशिक चीज नहीं आई, इस आधार पर उन्होंने कुम्भ और महाकुम्भ कर दिया कि 6 साल में कुम्भ होगा और 12 साल में महाकुम्भ होगा। 144 वर्ष वाली बात हो सकता है कि यह पौराणिक मान्यता है आपकी, पौराणिक तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। जिन लोगों को, जो हमारे धर्मगुरु हैं, सन्त हैं, वह लोग इसको देखें, मान्यवर, शब्दों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम कुम्भ और महाकुम्भ को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से मनायें और जिस उद्देश्य से मान्यवर, इस मेला प्राधिकरण का गठन हो रहा है, मेला प्राधिकरण का गठन इसलिए हो रहा है कि वहॉ पर आवश्यक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, सब सुचारु रूप से हो सकें। हर वर्ष इसी संगम में माघ मेला होता है, बहुत से स्नान करने वाले श्रद्धालु यहॉ पर हर वर्ष आते हैं और हर साल 6 स्नान होते हैं माघ मेला के रूप में। दो जनवरी से लेकर, मकर संक्रान्ति से लेकर और महाशिवरात्रि तक 6 स्नान होते हैं। इस अवसर पर वहॉ पर लाखों लोग कल्पवास करने वाले और जो विशेष स्नान के पर्व हैं उस पर करोड़ों लोग एकत्र होते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी जो सारी आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, उनके पेयजल के लिए उनकी स्ट्रीट लाइट के लिए, उनके शौचालय के लिए, उनकी चिकित्सा सुविधाओं के लिए इस मेला प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। यह एक अच्छी भावना से किया जा रहा है इसका नेता विरोधी दल और सभी विपक्षी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। जहॉ तक जो विषय आपने उठाया है कि इसमें केवल अधिकारी लोगों को दे दिया गया है तो इसमें आखिरी लाइन देख लें कि तीन सदस्य जो प्रख्यात व्यक्ति होंगे वह भी इसमें नामित किये जा सकते हैं, कुल 22 लोगों का इसमें प्रावधान किया गया है। नियम 12 में यह भी देख लें कि नियमावली अभी बनना है राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियमावली इसके लिए जारी करेगी और उसमें भी उन बातों को हम स्पष्ट रूप से कह देंगे, चूँकि ऐक्ट में बहुत सी चीजें नहीं आती हैं, हमारे जो रोजमर्रा के क्रियाकलाप होते हैं वह नियमावली से ही संचालित होते हैं तो नियमावली में हम सब चीजों का समावेश करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। दूसरी बात मान्यवर, इसमें जो धारा 19 है उसके सम्बन्ध में मा0 नेता विरोधी दल ने अपनी आशंका प्रकट की है उसे आप देख लें मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि संगम क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रियाकलाप और पुरुषों, महिलाओं या बालकों के ऐसे किसी लघु या वृहद जनसमूह को अनुमति नहीं दी जायेगी जो पर्यावरण, लोकशान्ति और प्रशान्ति के लिए परिसंकटमय हो। सवाल यह है कि अभी सदन में कल ही प्रश्न उठा था, जो पर्यावरण से सम्बन्धित आपने बात उठाई थी कि उसका निदान किया जाय, प्रदूषण के लिए व्यवस्था की जाय। तो अगर हमने ऐक्ट में लोकशान्ति की बात कही और हमने ऐक्ट में पर्यावरण को संतुलित रखने की बात कही, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचने देने की बात कही तो उसको गलत तरीके से इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है

कि जैसे हम वहॉं पर आग लगाने को या किसी प्रकार से लोगों को, जो उनकी भावना है, वर्षानुवर्ष से उनकी दिनचर्या या जो उनके कार्यकलाप हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम किसी भी ऐसी परम्परा का, जो कुम्भ में चली आ रही है हम उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़-छाड़ नहीं करेंगे लेकिन अगर लोगों को सुविधा की दृष्टि से, लोगों को सहूलियत देने की दृष्टि से। लोगों की आवश्यक आवश्यकतों की पूर्ति की दृष्टि से अगर कोई आवश्यक कदम उठाना होगा तो प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए हम उसकी व्यवस्था करेंगे लेकिन हम किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए या किसी प्रकार से लोगों की पारम्परिक तरीके से उनकी जो दिनचर्या है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए यह बिल नहीं है। अभी माननीय लालजी वर्मा जी ने अध्यक्ष, अध्यक्षा के बारे में प्वाइंट आउट किया है। मान्यवर, आपसे अनुरोध करूँगा कि इसमें विशेष रूप से मैं इस अध्यक्षा शब्द को नियम 5 का (पॉंच)..

श्री लालजी वर्मा-

संसदीय कार्यमंत्री जी फिर नीचे उपाध्यक्षा शब्द आया है तो अध्यक्षा व उपाध्यक्षा दोनों शब्द हटा दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम अध्यक्षा, उपाध्यक्षा का सुधार कर लेंगें। वैसे यह इतना गलत भी नहीं है क्योंकि इसमें अध्यक्ष भी हो सकता है, अध्यक्षा भी हो सकता है। कोई ऐसा गलत नहीं है। लेकिन लिख दिया, इसलिए जब प्वाइंट आउट कर दिया गया तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि उसको ठीक करा देंगे। मान्यवर, जितनी भी बातें इसमें दी गयी हैं कि अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू भी कर दिया गया। अध्यादेश आया था और बाकायदा अध्यादेश समाचार-पत्रों में भी छपा, हमने उसका जिक्र किया है इसलिए उसका अनुमोदन सदन के माध्यम से कराने के लिए हम यह बिल ले करके आये हैं। तो हम आपके माध्यम से फिर इस सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए है। जो करोड़ों श्रद्धालू वहॉं पर आते हैं चाहे स्नान करने आते हों, चाहे वहॉं पर दर्शनार्थी आते हों, देश-विदेश के लोग आते हैं, किसी भी पारम्परिक परम्परा, ऐसी कोई परम्परा जो वर्षों से चली आ रही है सरकार उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, उनकी दिनचर्या में, उनकी कार्यशैली में न करना चाहती है न करेगी। जहॉं तक अर्द्धकुम्भ और कुम्भ की बात है मान्यवर, हमने उसको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उसमें पौराणिक कथा हो सकती है। मा0 राम गोविन्द चौधरी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, फिलहाल हमने जो कुम्भ की व्यवस्था की है उसके ऊपर हम फिर से इस बात पर बल देते हैं कि यही व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्षा, उपाध्यक्षा वाली बात मैं वापस लेता हूँ। आप अलग से प्रश्न रखकर उसमें हॉं, ना करा सकते हैं बाकी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह माघ मेला शुरू होने जा रहा है 25 दिसम्बर के बाद से स्नान, आरती के लिए श्रद्धालु वहां पर आने लगते हैं। 02 जनवरी, 2018 को पहला स्नान होगा। तो मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इसको पास किया जाय और यह बिल सुविधा देने के लिए है व्यवस्थित रूप से सारी सुविधाओं को ठीक करने के लिए है। मैं इस पर पुनः बल देते हुए इस बिल को पास कराने का अनुरोध करता हूँ।

(श्री पारसनाथ यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो सारी बात आ गयी, अब क्या रह गया ?

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मान्यवर, सौभाग्य है कि इस प्रदेश को सन्यासी मुख्यमंत्री मिले हैं लेकिन इस बात को भी इस देश के लोकतंत्र में भूला नहीं जा सकता है कि यह लोकतांत्रिक देश है और अर्द्ध कुम्भ के नाम पर, अर्द्ध के नाम पर अगर पौराणिक कथाओं में, अगर अर्द्ध का कोई महत्व नहीं है तो अभी संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अर्द्ध का महत्व नहीं होता, इसको अशुभ माना जाता है इसलिए उसको कुम्भ का नाम दे दिया। मैं कहता हूँ कि अगर यह बात है तो चूँकि संसदीय कार्यमंत्री जी लोकतांत्रिक देश है और अखाड़ा वाले और साधु-सन्यासी, सदियों से जिनका विश्वास है उनको भी आप विश्वास में ले लीजिए नहीं तो 29 तारीख को लोग इक्कटठा हो रहे हैं तो कोई बात पैदा हो जायेगी। इसलिए नाम बदलने के पहले इस विधेयक को वापस लीजिए और वापस करके विश्वास में ले करके पुनः विधेयक ले आईये विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, कोई भी धर्म जो है सनातन धर्म हिन्दू हम कैसे चलते हैं, धर्म का हमारा आधार क्या है ? वेद है, पुराण है, मनुस्मृतियाँ हैं, हमारे ऋषियों और मुनियों और देवताओं द्वारा कही हुई बातों के आधार पर ही यह सारे तीर्थ रखे गये हैं। अब यह बहुत बुरा होगा अर्द्ध कुम्भ मैंने शुरू में ही आग्रह किया था आपके माध्यम से सरकार से कि ज्योतिष विज्ञान के आधार पर भी इसमें लगन होता है स्नान का। मैंने गिन कर बताया था सूर्य राशि, कुंभ राशि, तुला राशि कौन राशि किसमें पड़ेगी तो कहाँ कुम्भ होगा। कौन राशि कहाँ पर डलेगी तो वहाँ पर कुम्भ होगा। बल्कि एक राशि जब दूसरी राशि पर नहीं जुटी तो एक बार उज्जैन में कुम्भ नहीं हो सका था क्योंकि वह जुटी नहीं। और यह तो साहब इन्होंने कलयुग कहा, हमें तो लगता है साहब सही में कलयुग आ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बीज मंत्र है राम राम। यह जो हमारे ऋषि मुनि जप करते हैं माला से, वह बीज मंत्र है राम राम राम राम राम राम। इन्होंने उसको वोट में परिवर्तित करके कर दिया जय श्री राम। बीज मंत्र, यह भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिन्दु धर्म सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करती आई है। अर्द्ध कुम्भ मतलब आधा अर्थात कुम्भ में जो ग्रह नक्षत्रों का योग बनता है वह पूर्ण योग अर्द्ध कुम्भ में नहीं बनता। तो उस स्नान का कोई मतलब ही नहीं है पुण्य ही नहीं मिलेगा। उस स्नान का मतलब क्या होगा ? तब कुम्भ का मतलब क्या रहा, अर्द्ध कुम्भ का मतलब क्या रहा। कैसे हम इसको परिवर्तित कर सकते है। एकदम कैसे आप लोग इतना अहम् में आ गये हैं। आप हिन्दु धर्म सनातन धर्म को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी कि इस वेद पुराण जो हमारे ऋषियों मुनियों देवताओं ने जिस बात की, पुराण और वेदों ने जिस बात की व्यवस्था की है, उसका क्या एक राजनैतिक पार्टी नाम बदल देगी ? आप राम जन्म भूमि का नाम बदल देंगें ? कृष्ण जन्म भूमि का आप नाम बदल देंगें ? कैलाश मानसरोवर का नाम आप बदल देंगें ? जो चीज हमारे वेदों शास्त्रों से चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

राम जन्म भूमि को भी कुछ लोग विवादित ढॉचा कहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला इतना आसान नहीं है।

(सत्ता पक्ष की तरफ से टिप्पणी करने पर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

आप कभी कुम्भ में गये नहीं हैं, आपने पॉच साल सिर्फ कब्रिस्तान घेरने का काम किया है, हम मॉग कर रहे हैं कि शमशान भी घेरा जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आप बोलिये। माननीय सदस्य आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सवेरे जो निर्देश दिया वह सब बेकार है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सनातन धर्म का उपहास होने जा रहा है। यह हमारे ऋषि मुनि, देवी देवताओं वेद पुराण को समाप्त करने का कुचक्र चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके रहते यह कैसे संभव हो सकता है। या तो हमारा वेद बेकार है हम वेद को नहीं मानते, जला दीजिये वेद को अगर हम वेद को नहीं मानते। पुराण हमारा बेकार है। हमारे साधु संत ऋषि मुनि यह सब भगवान हमारे नहीं हैं। आप यही करने जा रहे हैं ना। अखाड़ा परिषद् शाही स्नान करता है श्रीमन्, ग्रह नक्षत्रों के योग से कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ बनता है। और उसमें उसका फल मिलता है। यह क्या हो रहा है श्रीमन ? सही में कलियुग आ गया है जो कह रहे हैं। इनका माथा भ्रष्ट हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह जायेंगें आपके साथ स्नान करने।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जायेंगें नहीं, इनका विनाश लिखा हुआ है। इसी से इनका नाश लिखा हुआ है श्रीमन। जो कहीं नहीं हुआ वह अब होने जा रहा है श्रीमन् जो कभी नहीं हुआ वह अब होने जा रहा है। श्रीमन् आप निर्देश दें आप महा विद्वान हैं। आपकी वेद पुराण में रुचि है इसलिए ऐसा अनर्थ न हो, राम की भी उत्तर प्रदेश भूमि है, कृष्ण की भी उत्तर प्रदेश भूमि है, कैलाश हमसे सटा हुआ है। देवी देवताओं का प्रवेश इसी प्रदेश में है। इसी प्रदेश में इलाहाबाद है हर जगह अर्धकुंभ नहीं होता है श्रीमन्, इसी पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, क्या वहां कुंभ या अर्धकुंभ कर देंगे। वहां की सरकार करेगी, उत्तराखंड में इनकी सरकार है क्या कुंभ को वहां कोई बदलेगा ? श्रीमन् यह ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। धर्म का विनाश किया जा रहा है। धर्म, सनातन धर्म के अरमानों को, आशा को, आस्था को कुचलने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे मॉग है कि हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के अनुयायियों के मन को रखते हुए, हमारे साधू-संत, ऋषि मुनि, वेद पुराण, श्रुतियां, हम लोग राम को नहीं देखे हैं,

कृष्ण को नहीं देखे हैं सब आस्था की चीजें हैं, आस्था है तो राम हैं, आस्था है तो कृष्ण हैं, आस्था है तो भगवान हैं, आप हिन्दू सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ न करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ऋषि-मुनियों के अरमानों को चकनाचूर न करें। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है आप निर्देश दें सरकार को, वेद पुराण को नष्ट न किया जाए, हमारी श्रुतियों को नष्ट न किया जाए। जो कभी नहीं हुआ इस धरती पर उसको पार्टी न करें जिसकी पुराण में व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

अब इनको बुलवाने जा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने न तो आस्था के साथ छेड़-छाड़ की है न हमने स्नान की किसी प्रक्रिया के साथ छेड़-छाड़ की, न हमने स्नान के किसी दिन को बदलने की बात की, न हमने यह कहा किसी भी प्रकार की परम्परा, नाम बदलने से कोई उसका सारा का सारा उद्देश्य नहीं बदल जाता है यह समझ लेना चाहिए।

(शोर)

न आस्था बदल जाती है, न उसका फल बदल जाता है एक बात को बार-बार कहना यह उचित नहीं है, न यह सदन की परम्परा है, मैं एक जो यह प्रस्ताव रखा है इस पर बल देता हूँ। साथ ही मैं एक प्रस्ताव यह भी कर देता हूँ कि जहां-जहां यह आया है अध्यक्षा, उपाध्यक्षा उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा जाए। यह मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है जहां-जहां अध्यक्षा, उपाध्यक्षा आया है उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पढ़ा जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सनातन धर्म से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, हिन्दू धर्म से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने न तो आस्था बदली है न हमने प्रक्रिया बदली है।

(स0पा0 और कांग्रेस के अनेकानेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगाने लगे सनातन विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी,नहीं चलेगी, हिन्दू धर्म विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा हिन्दू विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी धर्म विरोधी यह सरकार नहीं, चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाए जाते रहे)

खण्ड-2 से खण्ड-24 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक, 2017

इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर माघ और फाल्गुन (जनवरी एवं फरवरी) माह में आयोजित किये जाने वाले और क्रमशः प्रत्येक छः वर्ष और बारह वर्ष के अन्तरालों पर कुम्भ तथा महाकुम्भ के प्रबन्धन के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद नामक प्राधिकरण की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार इलाहाबाद स्थित संगम क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के लिए होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किया जाय।

परिभाषायें

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) 'अपर मेला अधिकारी' का तात्पर्य मेला अधिकारी की सहायता करने और उसकी अनुपस्थिति में मेला अधिकारी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को निष्पादन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्ति किसी अधिकारी से है;

(ख) 'कुम्भ मेला' का तात्पर्य संगम में प्रत्येक छः वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जाने धार्मिक मेला से है;

(ग) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण से है;

(घ) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेला अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ङ) 'आयुक्त' का तात्पर्य इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त या ऐसे अधिकारी से है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय;

(च) 'जिला मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट से है;

(छ) 'निधि' का तात्पर्य धारा 17 के अधीन किसी निधि से है;

(ज) 'हरित परिक्षेत्र' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो पोलीथीन, कूड़ा-कचरा और ऐसे किसी क्रिया-कलाप से मुक्त हो जिससे पर्यावरण प्रदूषित होना सम्भावित हो और जो केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिकूल हो;

(झ) 'कुम्भ मेला' का तात्पर्य संगम में प्रत्येक बारह वर्षों के अन्तराल पर आयोजित किये जाने वाले धार्मिक मेला से है;

(ञ) 'माघ मेला' का तात्पर्य गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर विक्रम संवत के माघ माह की पूर्णिमा और फाल्गुन माह में पड़ने वाले महाशिवरात्रि दिवस के मध्य आयोजित किये जाने वाले धार्मिक मेला से है;

(ट) 'मेला अधिकारी' का तात्पर्य प्राधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन मेला सम्बन्धी मामलों का निष्पादन तथा प्रबन्धन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ठ) 'मेला क्षेत्र' का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा नियमावली के अनुसार मेला क्षेत्र की सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए सरकारी गजट में यथा अधिसूचित संगम के आस-पास के क्षेत्र से है;

(ड) 'धार्मिक जनसमूह' का तात्पर्य गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में और उसके आस-पास धार्मिक अनुष्ठान सम्पादित करने हेतु पुरुषों, महिलाओं और बालकों के लघु और विशाल समूह से है;

(ढ) 'संगम' का तात्पर्य गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम और उसके आस-पास के स्थल से है।

प्राधिकरण की स्थापना

3-(एक) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करने हेतु उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद नामक प्राधिकरण स्थापित करेगी;

(दो) उक्त प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा;

(तीन) प्राधिकरण का मुख्यालय, इलाहाबाद में होगा।

प्राधिकरण की संरचना

4-प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(एक) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल	अध्यक्ष/अध्यक्षा
(दो) पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र	उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षा
(तीन) जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षा
(चार) अपर मेला अधिकारी/अपर मेला मजिस्ट्रेट	कुम्भ मेला या अर्द्ध कुम्भ मेला के समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव
(पांच) अपर मेला अधिकारी/अपर मेला मजिस्ट्रेट	राज्य सरकार द्वारा कुम्भ मेला, अर्द्ध कुम्भ मेला के समय नियुक्त सदस्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति स्थापनीय मेला अधिकारी सदस्य सचिव होगा
(छः) उपाध्यक्ष/इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद	सदस्य
(सात) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद	सदस्य
(आठ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अर्द्धकुम्भ मेला/कुम्भ मेला, इलाहाबाद)	सदस्य
(नौ) नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद	सदस्य
(दस) संयुक्त निदेशक, कोषागार, इलाहाबाद	सदस्य
(ग्यारह) प्रबन्ध निदेशक, नगर परिवहन सेवायें	सदस्य
(बारह) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद	सदस्य
(तेरह) अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद	सदस्य
(चौदह) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद	सदस्य
(पन्द्रह) अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, इलाहाबाद	सदस्य
(सोलह) अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, इलाहाबाद	सदस्य
(सत्रह) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद्, इलाहाबाद	सदस्य
(अट्ठारह) प्रभारी अधिकारी, गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इकाई, इलाहाबाद	सदस्य
(उन्नीस) सेना का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(बीस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले तीन सदस्य, जो प्रख्यात व्यक्ति होंगे।	सदस्य

प्राधिकरण का कर्मचारी वर्ग

5-(1) प्राधिकरण में कार्यालय और दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए स्थायी और अस्थायी कर्मचारी वर्ग होंगे;

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का पद सृजन कर सकता है;

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारी वर्ग का वेतन और भत्तों सहित सेवा की निबन्धन एवं शर्तों को, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा;

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अधियाचित कर सकता है;

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी वर्ग ऐसे अध्यक्ष/अध्यक्षा जो उनका नियुक्ति प्राधिकारी होगा/होगी, के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण में होंगे किन्तु वे मेला अधिकारी/सचिव के सीधे नियंत्रण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

6-प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :-

(क) वर्ष पर्यन्त मेला के उत्तम प्रबन्ध एवं प्रशासन के लिए ऐसे अवसंरचना, जैसाकि प्राधिकरण विनिश्चित करें, की व्यवस्था तथा उसका सृजन करने हेतु मेला क्षेत्र स्थित छावनी/ अन्य भूमि की दीर्घकालिक पट्टा के लिए करार करना;

(ख) लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मेला क्षेत्र में ऐसी नागरिक सुख- सुविधाओं की व्यवस्था करना और ऐसे मार्गदर्शनों और नियमों के अनुसार प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था करना;

(ग) मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की और मेला क्षेत्र को वर्ष पर्यन्त रोग, कीड़ा-मकौड़ा और नाशकजीव से मुक्त बनाने के क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना और मेला क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल तथा प्राथमिक उपचार सुविधाओं की भी व्यवस्था करना;

(घ) गंगा एव यमुना नदी तटों के विस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए यथा अनुमन्य एवं अपेक्षित अस्थायी या स्थायी संरचना द्वारा संगम और मेला क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था करना;

(ङ) समस्त अवसंरचना से सुसज्जित स्थायी पुलिस थाना की व्यवस्था करना जिससे कि मेला क्षेत्र में धार्मिक जन समूह को नियंत्रित एवं प्रशासित किया जा सके और उक्त क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखा जा सके;

(च) मेला और संगम क्षेत्र में उनके चारों ओर हरित परिक्षेत्र विकसित और अनुरक्षित करना।

पथकर अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति

7-प्राधिकरण उपविधि द्वारा मेला क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित को अधिरोपित करेगा :-

(क) मेला क्षेत्र में यान के पार्किंग पर या विक्रय या प्रदर्शनी/विज्ञापन हेतु माल लाने वाले किसी यान या किसी व्यक्ति के प्रवेश पर पथकर;

(ख) कारबार, व्यापार या व्यवसाय सम्बन्धी क्रियाकलाप के रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क;

(ग) सेवा प्रभार के रूप में व्यक्तियों को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं पर शुल्क;

(घ) मेला क्षेत्र में अन्य प्रभार और शुल्क जैसाकि प्राधिकरण मेला के हित में उचित और आवश्यक समझे।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्राधिकरण की शक्ति

8-प्राधिकरण उपविधियों द्वारा ऐसा शुल्क विहित कर सकता है जिसके संदाय पर और शर्तों के अध्यधीन मेला क्षेत्र में कोई व्यवसाय, व्यापार या धंधा करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकता है।

बैठने का स्थान

9-प्राधिकरण के पास इलाहाबाद में समय-समय पर अपनी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समस्त अवसंरचनाओं सहित किसी भवन में एक स्थायी कार्यालय होगा।

प्राधिकरण की बैठकें

10-(1) प्राधिकरण प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा;

(2) इलाहाबाद के अन्तर्गत बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष/अध्यक्षा द्वारा नियत किया जायेगा;

(3) प्राधिकरण उपविधियों द्वारा बैठकों की प्रक्रिया विहित कर सकता है।

बैठक के लिए गणपूर्ति

11-(1) जहां कोई कारबार किया जाना अपेक्षित हो वहां गणपूर्ति प्राधिकरण के न्यूनतम आधे सदस्यों से होगी;

(2) जहां कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में न आयोजित की जा सके वहां अथवा गणपूर्ति के वहां अध्यक्ष/अध्यक्षा यह निर्देश देगा/देगी कि उक्त बैठक का कारबार संव्यवहृत करने हेतु बैठक, इलाहाबाद में ऐसे स्थान और समय पर आयोजित की जायेगी, जैसाकि वह उचित समझे और तदोपरान्त सचिव, प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को सूचित करेगा।

नियमावली बनाने की शक्ति

12-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकते हैं।

नियमावली बनाने की शक्ति

13-प्राधिकरण अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों सहित सेवा की निबन्धन एवं शर्तों का उपबन्ध करने हेतु विनियमावली बना सकता है।

उपविधियां बनाने की शक्ति

14-प्राधिकरण अपने कार्यप्रणाली की प्रक्रिया को विहित करने हेतु उपविधियां बना सकता है।

उपविधियां कैसे बनायी जायं

15-प्राधिकरण की उपविधियां निम्नलिखित रीति से बनायी जायेंगी :-

(एक) उपविधि का प्रारूप तैयार किया जाना :

सचिव अध्यक्ष/अध्यक्षा की सहमति से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तावित प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण उपविधियों के प्रारूप में संशोधन के साथ या उसके बिना उसे अनुमोदित कर सकता है।

(दो) प्रस्तावित उपविधियों के प्रारूप में आपत्ति या सुझाव के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा सुनवाई :

प्राधिकरण द्वारा तब तक कोई उपविधि नहीं बनायी जायेगी जब तक कि-

(क) नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसी उपविधियों पर विचार करने के प्राधिकरण के आशय की नोटिस उक्त दिनांक के पूर्व दो समाचार-पत्रों में न दे दी जाय;

(ख) उपविधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि सचिव के कार्यालय में न रख दी जाय और उपखण्ड (क) के अधीन दी गयी नोटिस के दिनांक से युक्तियुक्त समय पर उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करने के इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध न करा दी जाय;

(ग) ऐसी उपविधियों की मुद्रित प्रतियां, प्रत्येक प्रति हेतु सचिव द्वारा यथानियत शुल्क के संदाय पर उक्त प्रतियों की अपेक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध न करा दी जायं;

(घ) खण्ड (क) के अधीन दी गयी नोटिस के दिनांक के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गयी समस्त आपत्तियों और सुझावों पर प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विचार न कर लिया जाय;

(तीन) प्रकाशित की जाने वाली उपविधियां : खण्ड (1) के अधीन बनायी गयी उपविधियां गजट में प्रकाशित की जायेंगी।

(चार) विक्रय की जाने वाली उपविधियों की प्रतियां : सचिव उपविधियां मुद्रित करायेगा और प्रत्येक प्रति हेतु ऐसे शुल्क, जैसाकि उसके नियत किया जाय, के संदाय पर उन प्रतियों की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करायेगा।

(पांच) तत्समय प्रवृत्त उपविधियों की प्रतियां, प्राधिकरण के कार्यालय के किसी भाग, जिसमें सामान्य जनता पहुंच सके, में और ऐसे अन्य स्थानों, यदि कोई हो, पर जैसाकि सचिव उचित समझे, सार्वजनिक रूप से अवलोकन के लिए रखी जायेगी।

(छः) उपधारा (1) उपबन्ध उपविधियों का उपान्तरण करने में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

उपविधियों में उपान्तरण करने या उन्हें निरस्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

16-(1) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि में पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधन या निरसन किया जाना चाहिए तो उसे प्राधिकरण को अपनी ऐसी राय होने के कारण को संसूचित करना होगा और ऐसे युक्तियुक्त अवधि विहित करनी होगी जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण तत्सम्बन्ध में ऐसा प्रत्यावेदन, जिसे वह उचित समझे कर सके;

(2) ऐसे किसी प्रत्यावेदन को प्राप्त करने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि इस बीच में विहित अवधि की समाप्ति से सम्बन्धित कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार किसी भी समय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी उपविधियों में पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधन या निरसन कर सकती है;

(3) उपधारा (1) के अधीन उपविधियों का संशोधन या निरसन, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

निधि

17-(1) प्राधिकरण के पास माघ मेला क्षेत्र के अन्तर्गत कुम्भ मेला या महा कुम्भ मेला या कोई अन्य मेला आयोजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा उपबन्धित निधि और वित्त व्यवस्था सम्बन्धी उपविधियों के अधीन ऐसी राजस्व स्रोतों, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय, से ग्रहण की जाने वाली अपनी स्वयं की निधियां होंगी;

(2) निधि का संचालन प्राधिकरण के अध्यक्ष/अध्यक्षा के अनुमोदन से मेला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

18-इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित धार्मिक जनसमूह से भिन्न किसी प्रकार के सार्वजनिक जनसमूह की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19-संगम क्षेत्र में किसी प्रकार के क्रियाकलाप और पुरुषों, महिलाओं या बालकों के ऐसे किसी लघु या वृहत जनसमूह की अनुमति नहीं दी जायेगी जो पर्यावरण, लोक शांति और प्रशांति के लिए परिसंकटमय हो।

20-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की किसी भी शक्ति को प्रदत्त कर सकती है और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर इन धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्र हेतु लागू हो जायेंगे, मानों मेला क्षेत्र नगर निगम का भाग हो और प्राधिकरण का प्रभारी अधिकारी उक्त अधिनियम में परिभाषित नगर आयुक्त हो और मानों प्रभारी अधिकारी के किन्हीं आदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाना उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया जाना समझा जायेगा।

शक्तियां

21-ऐसा कोई व्यक्ति, जो

(क) कोई अनधिकृत निर्माण करता है, या

(ख) किसी अनधिकृत स्थान का शौचालय, मूत्रालय, कूड़ा-करकट स्थल के रूप में, प्रयोग करता है, या

(ग) धारा 8 के उपबन्धों के अधीन प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति के बिना कोई व्यवसाय, व्यापार या धन्धा करता है अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली/उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन विधि सम्मत रूप से जारी किसी लिखित आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है,

वह दोष सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जहां अपराध निरन्तर जारी हो या बार-बार घटित होता है वहां वह ऐसे प्रथम अपराध जिसके दौरान अपराधी द्वारा ऐसा अपराध किया जाना प्रमाणित हो जाये, के दिनांक के पश्चात् ऐसे अग्रतर जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिदिन एक सौ रुपये तक हो सकता है।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938 का संशोधन

22-संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम 1938 में;

(क) धारा 3 निकाल दी जायेगी;

(ख) धारा 4, में प्रथम परन्तुक शब्द इलाहाबाद में और निकाल दिये जायेंगे;

(ग) 'द्वितीय परन्तुक' निकाल दिया जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

23-(1) यदि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अपेक्षित कारण से आदेश या यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात् ऐसी अवधि, जो बारह माह से अधिक न हो, के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होगा;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

24-(1) उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2017

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

खण्ड-2 से खण्ड-24 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-24 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक संशोधन सहित इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक, 2017 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रयाग राज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक, 2017 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद विधेयक, 2017

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ-2 1-विधेयक के खण्ड 2 में,-

(क) उप खण्ड (ख) की द्वितीय पंक्ति में,-

''किये जाने'' के स्थान पर ''किये जाने वाले'' पढ़ा जाये।

(ख) उप खण्ड (ग) की प्रथम पंक्ति में,-

''उत्तर प्रदेश प्रयागराज'' के स्थान पर ''प्रयागराज'' पढ़ा जाये।

(ग) उप खण्ड (झ) की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में,-

''कुम्भ मेला'' के स्थान पर ''महाकुम्भ मेला'' पढ़ा जाये।

(घ) उप खण्ड (ड) की द्वितीय पंक्ति में,-

''पुरुषो'' के स्थान पर ''पुरुषों'' पढ़ा जाये।

2-विधेयक के खण्ड 3 की तृतीय पंक्ति में,-

''उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला'' के स्थान पर ''प्रयागराज मेला'' पढ़ा जाये।

पृष्ठ-3 3-विधेयक के खण्ड 4 में,-

(क) प्रथम पंक्ति में,-

(एक) ''अपर मेला अधिकारी/अपर मेला मजिस्ट्रेट'' के स्थान पर ''मेला अधिकारी/मेला मजिस्ट्रेट'' पढ़ा जाये।

(दो) ''कुम्भ मेला या अर्द्धकुम्भ मेला'' के स्थान पर ''महाकुम्भ मेला या कुम्भ मेला'' पढ़ा जाये।

(ख) तृतीय पंक्ति के प्रारम्भ में ''नियुक्त'' के स्थान पर ''नियुक्ति'' पढ़ा जाये।

(ग) उपखण्ड ''पांच'' की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में,-

(एक) ''कुम्भ मेला अर्द्धकुम्भ मेला'' के स्थान पर ''महाकुम्भ मेला या कुम्भ मेला'' पढ़ा जाये।

(दो) तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में,-

''सदस्य सचिव/जिला मजिस्ट्रेट'' के स्थान पर ''सदस्य सचिव या जिला मजिस्ट्रेट'' पढ़ा जाये।

(तीन) पांचवीं पंक्ति में,-

''नियुक्ति स्थापनीय'' के स्थान पर ''नियुक्त स्थानापन्न'' पढ़ा जाये।

(घ) उपखण्ड ''आठ'' की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में,-

''अर्द्धकुम्भ मेला/कुम्भ मेला'' के स्थान पर '' कुम्भ मेला/महाकुम्भ मेला'' पढ़ा जाये।

पृष्ठ-4 4-विधेयक के खण्ड 6 के उपखण्ड 'ख' की द्वितीय पंक्ति में,-

''ऐसे-ऐसे'' के स्थान पर ''ऐसे'' पढ़ा जाये।

5-विधेयक के खण्ड 11 के उपखण्ड 2 के प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में,-

''अथवा गणमूर्ति के वहां अध्यक्ष/अध्यक्षा यह निर्देश'' के स्थान पर ''अध्यक्ष/अध्यक्षा यह निदेश'' पढ़ा जाये।

पृष्ठ-5 6-विधेयक के खण्ड 15 में,-

(क) उपखण्ड 'एक' में,-

''उपविधि'' के स्थान पर ''उपविधियों'' पढ़ा जाये।

(ख) उपखण्ड 'दो' की मद 'ख' की चतुर्थ पंक्ति में,-

''सार्वजनिक निरीक्षण'' के स्थान पर ''सार्वजनिक रूप से अवलोकन किये जाने'' पढ़ा जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी सीट पर चलें। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा नहीं लग रहा है अभी सबको विदा होना है।

(वेल में उपस्थित सदस्य हिन्दू विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी धर्म विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, धर्म का नाश हो रहा है इससे हिन्दुस्तान का नाश हो जाएगा। वेद को नकारा जा रहा है। यह हिन्दू विरोधी सनातन विरोधी सरकार है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जितनी गलत जानकारियाँ हैं वह सब आपके पास हैं। उत्तर प्रदेश की सारी गलत जानकारियाँ आपके पास हैं। जानकारियों का भण्डार आपके पास है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(घोर व्यवधान के कारण किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

श्री अध्यक्ष-

चूँकि कोई सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 में अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अढ़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 5 का बढ़ाया जाना

(2) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

केन्द्रीयित सेवाओं का सृजन

''5-क (1) धारा 5 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे पदों के लिए, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, एक या उससे अधिक ''औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवाऐं'' सृजित कर सकती है जो समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए सामान्य हों और ऐसी सेवा में भर्ती की रीति और शर्तें और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की निबन्धन और शर्तें विहित कर सकती है।

(2) कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सृजित किये जाने पर, ऐसे सृजन के ठीक पूर्व, ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों पर सेवारत अधिकारी या कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 द्वारा शासित या, प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति न हो, जब तक कि वह अन्यथा विकल्प न दे, ऐसी सेवा में,-

(क) अन्तिम रूप से, यदि वह पहले से ही अपने पद पर स्थायी हो, और

(ख) अनन्तिम रूप से, यदि वह अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्ति धारण किया हो, आमेलित किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सृजन से तीन मास के भीतर सरकार को औद्योगिक विकास विभाग में ऐसी केन्द्रीयित सेवा में आमेलन न किये जाने का अपना विकल्प संसूचित करेगा, जिसमें विफल होने पर यह समझा जायेगा कि उसने ऐसी केन्द्रीयित सेवा में, यथास्थिति, अन्तिम या अनन्तिम रूप से आमेलन के लिए लिया है।

(4) अधिकारी या कर्मचारी, जो अनन्तिम रूप से आमेलित हो, औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन के लिए उपयुक्तता की परीक्षा विहित रीति से ली जायेगी और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे अन्तिम रूप से आमेलित कर लिया जायेगा।

(5) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी, जो आमेलन के विरुद्ध विकल्प देता है या जिसे अन्तिम रूप से आमेलन के लिए उपयुक्त न पाया जाय, की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसकी किसी ऐसी छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि या उपदान के, जिसे वह पाने का हकदार होता, दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित के बराबर धनराशि पाने का हकदार होगा-

(क) तीन मास का वेतन, यदि वह स्थायी कर्मचारी था;

(ख) एक मास का वेतन, यदि वह अस्थायी कर्मचारी था।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'वेतन' में महंगाई भत्ता, वैयक्तिक वेतन और विशेष वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

(6) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एक से दूसरे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित करना विधिपूर्ण होगा।

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:45 बजे]

उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अमनमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी ख्वाहिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

यह सरकार धर्म को नष्ट करने वेद पुराण को बदलने पर तुली है सरकार की इस नीति के विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल एवं नेता राष्ट्रीय कांग्रेस अपने दल के सदस्यों के सहित सदन त्याग कर चले गये)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह 22 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह कि इस उप धारा के प्राविधान दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 से पूर्व मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 2 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ङङ) 'जूनियर हाईस्कूल' का तात्पर्य हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है, जिसमें छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक लड़कों या लड़कियों या दोनों को शिक्षा दी जाती है।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2017

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध भी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

[03:07]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी, आप प्रस्ताव रखें।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, मेरा एक छोटा-सा अनुरोध सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल, आप बोलिये।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ जो मैनेजमेण्ट के स्कूल होते हैं। एक स्कूल भगवानपुर में है और एक स्कूल मुरली में हैं। इन दोनों स्कूलों के पास बेसिक शिक्षा हेतु लाईसेंस है, उसके बाद भी उनके पास अपनी भूमि नहीं है जिससे राजस्व का अच्छा-खासा नुकसान हो रहा है। मान्यवर, गलत भर्तियाँ, फर्जी भर्तियाँ करके बेसिक शिक्षा को पूरी तरह लूट-खसोट कर यह लोग इकठ्ठा होकर के फर्जी तनख्वाह निकालते हैं, फर्जी भर्ती करते हैं। इसलिये राजस्व के

नुकसान को रोकने के लिये ऐसे जितने भी मैनेजमेण्ट के स्कूल हैं उनकी जॉच कराकर राजस्व अर्जित किया जा सके और जो वाकई अध्यापक हैं उनको उनका वेतन भुगतान बेहतर तरीके से हो सके और राजस्व का नुकसान न हो सके। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के भगवानपुर और मुरली में यह दो ऐसे मैनेजमेण्ट के स्कूल हैं जहॉ स्कूल के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, फर्जी भर्ती हुयी है। मान्यवर, मेरा इतना निवेदन है कि ऐसे सभी मैनेजमेण्ट के स्कूलों की जॉच कराकर के राजस्व की हानि रोकी जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगी ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे देंगे, इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अमन मणि जी, आपने जो बाते कहीं वह विधेयक के बारे में कम कहीं, लेकिन आपने जो समस्याएं उठाईं तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम उसका समाधान करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह कि इस उप धारा के प्राविधान दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 से पूर्व मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(घ-1) ''जूनियर बेसिक स्कूल'' का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें कक्षा पांच तक की शिक्षा दी जाती है।

''(घ-2) ''जूनियर हाई स्कूल'' का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक लड़कों या लड़कियों या दोनों को शिक्षा दी जाती है।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2017

3-(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस विधेयक में जो पुराने कानून हैं जिनका कोई उपयोग नहीं रह गया है उनका निरसन किया जाना है। 13 ऐसे कानून हैं जो राष्ट्रपति शासन के समय उपयोग में लाये जाते थे और अब उनका कोई उपयोग नहीं रह गया है। उनको हम समाप्त कर रहे हैं। दो कानून ऐसे भी हैं जिनके बाद हम नये कानून बना चुके हैं। राष्ट्रीय विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है

उसके परिप्रेक्ष्य में हम इन्हें निरसित कर रहे हैं। इसकी पूरी सूचना पटल कार्यालय पर उपलब्ध करा दी गई है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यहां पर विधेयक निरसन कर रहे हैं, कौन-कौन सा कानून हम निरसन कर रहे हैं उसकी पूरी सूचना यहां पर होनी चाहिये थी।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, पटल कार्यालय में उपलब्ध है और सभी को सूचना जा चुकी है। हम कोई नया विधेयक नहीं ला रहे हैं, बल्कि विधेयक का निरसन कर रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिसमें संशोधन विधेयक ला रहे हैं उसमें पुराने कानून एग्जिस्ट कर रहे हैं अथवा नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से उन विधेयको के नाम जानना चाहता हूँ।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मूल विधेयक पटल कार्यालय में उपलब्ध करा दिये गये हैं और आपके साहित्य के डिब्बे में भी रखवा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, यह नये विधेयक नहीं ला रहे हैं, बल्कि जो विधेयक उपयोग में नहीं आ रहे हैं उनको निरसित करने का विधेयक लाये हैं। अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ।)

कतिपय अधिनियमितिओं का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसा कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू किया गया हो, सम्मिलित किया गया हो या निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जाने वाले अधिनियम

1-पुलिस आगरा अधिनियम, 1854 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1854)।

2-दी मिर्जापुर स्टोन महाल ऐक्ट, 1886 (ऐक्ट संख्या 5 सन् 1886)।

3-उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 33 सन् 1980)।

4-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1980)।

5-उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1993)।

6-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1993)।

7-उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1993)।

8-उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1996)।

9-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1996)।

10-उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 2) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 32 सन् 1996)।

11-उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1996)।

12-उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1997)।

13-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 13 सन् 1997)।

14-उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 11 सन् 2002)।

15-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2002)।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उ0 प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कई माननीय सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया गया है। कोई एक माननीय सदस्य अपनी बात रख दें।

श्री बृजेश पाठक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उ0प्र दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, इसमें जिन धाराओं पर उसको निस्तारित करने के लिए कहा गया है उसमें मिनिमम वेजेस ऐक्ट 1948 के कुछ केसस होते हैं। मान्यवर, मिनिमम वेजेस जो हैं इसमें गरीब श्रमिकों से सम्बंधित मामले होते हैं और इसमें तमाम गरीब लोग अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं। अगर इतने पुराने-पुराने मामलों को खत्म कर दिया जाएगा तो वह गरीब इंसाफ कैसे पाएंगे? मान्यवर, इसमें गरीबों के साथ अन्याय होने जा रहा है। मेरा आदरणी मंत्री जी से यह निवेदन है कि इसमें से मिनिमम वेजेस ऐक्ट 1948 के अंतर्ग उनके केसस चलवाने का काम करें ताकि उन गरीबों को इंसाफ मिलने का काम हो सके और उनके जो केस हैं वह सुने जाएं।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मा0 सदस्य को शायद इस बात की जानकारी नहीं है या उन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया है। मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि उ0प्र0 में जो भी राजनीतिक लोग हैं जिन पर अकारण मुकदमें दर्ज हुए हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उन 20 हजार मुकदमों को वापस लिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी निर्दोष व्यक्ति को न फसाने का है और न ही गरीबों के साथ हम कहीं अन्याय करने जा रहे हैं। अगर मा0 सदस्य के पास विशेष रूप से ऐसा कोई केस है जो इस सूची में शामिल है उसको हम अलग करेंगे और गरीबों पर इस सरकार में शोषण और अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, इसमें जो दिया हुआ है कि उ0प्र क्रिमिनल लॉ (कम्पोजिशन ऑफ ऑफेंसेज एंड एबेटमेंट ऑफ ट्रायल्स) (एमेंडमेंट) एंक्ट-1979 इसी के अंतर्गत मोटर व्हेकिल एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट इन सबमें जो गरीब व्यक्ति है उन्होंने जिनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है अगर उसको वापस ले लिया जाएगा तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा ?

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो प्रवर समिति को दिये जाने का हमने बल दिया था उसको हम वापस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मत माना जाए।

श्री उमाशंकर सिंह-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन ओर विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक ''1 जनवरी, 2013'' के स्थान पर शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2015'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

मान्यवर यह विधेयक अत्यंत आवश्यक और संविधान के अनुसार है। साथ ही साथ एक्ट की मंशा के अनुसार है। इसका कारण है कि कोई भी समिति हो उस समिति में यह व्यवस्था रहती है कि यदि किसी कारण से प्रबंध समिति का समय समाप्त हो जाए अथवा प्रबंध समिति इस्तीफा दे दे अथवा प्रबंध समिति समाप्त कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? मान्यवर, हमेशा शून्य की स्थिति नहीं रहती है। मान्यवर, एक्ट में हमेशा यह व्यवस्था रहती है कि यदि शून्य की स्थिति बनी तो उसमें अपने आप व्यवस्था रहती है और इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि जब यह स्थिति उत्पन्न हो तो प्रबंध समिति अपने आप इस्तीफा दे दे या प्रबंध समिति समाप्त कर दी जाए या प्रबंध समिति का चुनाव समय से न हो इन तीनों परिस्थितियों में जो शून्य का वातावरण होगा उस शून्य के वातावरण को भरने के लिए ही यह व्यवस्था है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस समय इस एक्ट की स्थापना हुई थी। एक्ट बनाने वालों की मंशा बहुत स्पष्ट थी और उस समय विधिवत इसकी व्यवस्था की गयी थी। यदि यह स्थिति उत्पन्न होती है, प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है अथवा प्रबंध समिति समाप्त कर दी जाती है अथवा उसका समय से चुनाव नहीं होता तो क्या होगा ? इसके लिए एक्ट में व्यवस्था थी ऐसे समय में निबंधक एक कमेटी बनायेगा उस कमेटी का एक कार्यकाल होगा एक कार्यपद्धिति होगी और उसी व्यवस्था में यह चल रहा था। किंतु दुर्भाग्य से 2013 में यह व्यवस्था की गयी जब इसको समाप्त कर दिया गया और उसको समाप्त करने के बाद अपने आप एक जंगलराज का दृश्य बन जायेगा जब एक्ट में यह व्यवस्था नहीं होगी कि कोई प्रबंध समिति न रहे तो क्या होगा। मूल एक्ट के निर्माताओं की मंशा के अनुरूप इस संशोधन को लाकर हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाये। प्रबंध समिति पूरी-पूरी इस्तीफा दे दे या प्रबंध समिति को समाप्त कर दिया जाये। ऐसी स्थिति में क्या होगा। वही जो मूल एक्ट को बनाने वाले लोगों की मंशा थी उसी मंशा के अनुकूल हमने यह व्यवस्था की है कि उस समय जो निबंधक होगा। वह एक कमेटी का गठन करेगा और कमेटी गठन के बाद वह कमेटी तब तक काम करेगी, 06 महीने समय दिया है। जब तक कि 06 महीने तक अथवा उसके बीच में प्रबंध समिति का गठन कर लेगी। 2013 में संशोधन कर इसे समाप्त कर दिया गया। यह व्यवस्था 2013 में की गयी। इसके पहले इसमें तमाम संशोधन किये गये। बसपा के कार्यकाल में 2007 में संशोधन हुआ किन्तु इसको नहीं छुआ गया। इसलिए नहीं छुआ गया क्योंकि यह माना गया कि यह इसके लिए अतिआवश्यक है। लेकिन जंगलराज कायम करने के लिए 2013 में यह व्यवस्था की गयी। साथ ही साथ एक व्यवस्था और है कि जो हमारी प्रबंध समिति है उसका जो सचिव है वह सचिव जो मूल समिति है उसका सचिव बिलकुल शून्य की स्थिति में न रहे। कभी यह स्थिति आती है कि पूरी प्रबंध समिति नहीं बैठ सकती तो उसको भी अधिकार रहे, उसको यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे समय में जब उनके सारे अधिकारों को बरकरार रखते हुए उस सचिव को भी यह अधिकार होगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का परीक्षण करे, यदि आवश्यकता पड़े तो उनको स्थानान्तरण करे। यदि आवश्यकता पड़े तो उनका निलम्बन करे। इतनी कार्रवाई और जोड़ी गयी है। यह नितांत आवश्यक, एक्ट की मंशानुसार, लोकतांत्रिक और उपयोगी है। धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 सहकारिता मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है और सहकारिता के विपरीत है। चुने हुये प्रतिनिधियों का काम अधिकारी करे इस तरह का यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। मान्यवर, ऐसे लोग जो जनता से कोआपरेटिव से चुने हुये हैं उनकी जगह पर ऐसे लोग जिनको सहकारिता के बारे में कुछ भी अनुभव न हो। उनको नामिनेट करने का यह प्रस्ताव है। मान्यवर, हम सब रोज चिंता करते हैं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा करेंगे। मान्यवर, अगर हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है तो निश्चित रूप से पांच साल के लिए अगर समिति है तो उसके पहले चुनाव होना चाहिए। हम ऐसी स्थिति क्यों आने दें कि हमें इस तरह की आपातकालीन व्यवस्था की आवश्यकता पड़े। तो निश्चित रूप से मान्यवर, यह एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने वाला विधेयक है और जल्दबाजी में लाया गया है। मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सत्र बुला लिया गया और सत्र बुला लेने के बाद अध्यादेश लाया गया। क्या इतनी इमरजेंसी थी, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में यह भी बताने का काम करें, जब 29 तारीख को सत्र बुला लिया गया था और हम लोग बैठने वाले थे यहाँ पर 14 तारीख से, उसी समय यह विधेयक लाते और उस पर विस्तृत चर्चा भी होती। लेकिन मान्यवर, जानबूझ कर अध्यादेश लाकर उसको पूरा करने का प्रयास किया गया और आज यह विधेयक लाकर अगर यह कानून की शक्ल में बनेगा तो उससे पूरी तरह से सहकारिता समाप्त हो जायेगी। फिर हम उसको सहकारिता क्यों कहेंगे, उसको सरकारी विभाग बना दें, पूरी तरह से वह सरकारी हो जाए, सहकारिता का नाम खत्म कर दें और अगर उसको सहकारिता के आधार पर उसको संचालित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह विधेयक उसकी मूल भावनाओं के विपरीत है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और माननीय मंत्री जी स्वयं इससे सहमत हो जायें, उसमें विस्तार से चर्चा होगी और जो बिन्दु हैं, उस पर चर्चा होकर और उसके आधार पर निश्चित रूप से एक संशोधित रूप से उस आपातकालीन परिस्थिति के लिए अगर केवल लाना है तो निश्चित रूप से उस पर एक विस्तृत चर्चा करके ऐसी कोई व्यवस्था करने का काम किया जा सकता है, लेकिन हम पूरे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार अगर हम अधिकारियों को दे देंगे तो मान्यवर, निश्चित रूप से उसकी भावनाओं के विपरीत है। इसलिए मैं इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने के माननीय उमा शंकर सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा है, यह जिस समय ऐक्ट बना था, हर ऐक्ट में अपने आप यह व्यवस्था रहती है कि यदि कोई ऐसा समय आ जाए, जैसे माननीय अध्यक्ष जी की कुर्सी है, यदि माननीय अध्यक्ष जी यहाँ से हटेंगे तो दूसरा आकर इस पर बैठेगा, खाली नहीं रहेगी। ठीक

इसी प्रकार से ऐक्ट में भी यह व्यवस्था है कि प्रबन्ध समिति यदि किसी कारण से हट जाए वहाँ से, शून्य की स्थिति नहीं रहेगी, ऐक्ट बनाने वाले लोगों की भी मंशा साफ थी, इसलिए यह व्यवस्था की थी। आपने अपने कार्यकाल में उसको स्थिर रखा, 2013 में स्पेशली एक जंगलराज कायम करने के लिए उसको हटाया गया और हम उसको स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम तो उसी विधा में आ रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष जी, जो अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी बना रहा है, आपका ए0आर0, उसमें कौन-कौन से लोग सदस्य होंगे, उसके मेम्बर कौन-कौन से होंगे ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, उनके साथ जो सरकारी काम रहे हैं, तीन लोगों की सरकारी, उसकी ही कमेटी होगी, एक ए0आर0 होगा, एक सचिव होगा, एक सम्बन्धित ए0सी0ओ0 या ए0डी0ओ0 जो वहाँ उपलब्ध होगा, उन्हीं सरकारी कर्मचारियों की होगी और केवल आपके समय में 18 महीना उसका समय था कि ऐसी कमेटी आपके समय में बनी है और वह कमेटी 18 महीने की समयावधि की थी, हमने समय घटाकर 6 महीने कर दिया है। हमने तो उसको और लोकतांत्रिक बनाने के लिए किया है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। 2007 में आप लाए थे, 18 महीने उसको कह रहे थे, हमने घटाकर 6 महीना किया, हम तो आपके ही प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। 2013 में आपकी सरकार नहीं थी, आपने जो दिया था, वह अधिकार छीने गए थे, जंगलराज कायम करने के लिए किया गया था और जंगलराज कायम किया गया 2016 में। 2016 में तीन शीर्ष संस्थायें तथा 16 डी0सी0बी0 ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने फिर से कह दिया कि चुनाव हो जायें, कौन चुनाव करेगा, हम ही चुनाव करेंगे और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए 5 साल के लिए, उस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए इसको कर रहे हैं, इसका समर्थन करिए।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह 7 दिसम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी,

''(4-क) यदि प्रबन्ध समिति के सदस्य, चाहें जिस किसी भी कारण से कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचित नहीं किये जाते हैं या निर्वाचित नहीं किये जा सके तो इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् प्रबन्ध समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

(4-ख) उपधारा (4-क) के अधीन प्रबन्ध समिति का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात् सहकारी समिति के प्रबन्धन के लिए निबन्धक द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समिति के नियमों और उपविधियों में यथा शक्य शीघ्र एक अन्तरिम प्रबन्ध समिति नियुक्त की जायेगी। अन्तरिम प्रबन्ध समिति के सदस्यों को बदलने या उसके स्थान में एक नयी अन्तरिम प्रबन्ध समिति को नियुक्त करने की शक्ति निबन्धक को होगी।

(4-ग) उपधारा (4-ख) के अधीन नियुक्त अन्तरिम प्रबन्ध समिति समय-समय पर निबन्धक द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगी और कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(4-घ) उपधारा (4-ख) के अधीन नियुक्त अन्तरिम समिति, अपने नियुक्त होने के दिनांक से छः माह के अवसान के पश्चात् या प्रबन्ध समिति के निर्वाचन के पश्चात् उसके पुनर्गठन पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।''

धारा 31 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) में खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ज) समिति के कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्वों, जिसमें स्थानान्तरण, निलम्बन और अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किया जाना भी सम्मिलित है, को अवधारित करना :

परन्तु इस खण्ड के उपबन्ध केवल केन्द्रीय समिति के सचिव पर लागू होंगे।''

धारा 31-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 31-क में,

(क) उपधारा (4) में शब्द ''जैसा नियमों और समिति की उपविधियों में उपबन्धित किया जाय'' के स्थान पर शब्द, ''जैसा नियमों में उपबन्धित किया जाय'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों तथा समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रबन्ध निदेशक को समिति के कर्मचारियों का स्थानान्तरण, निलम्बन और अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने की शक्ति होगी।''

निरसन और व्यावृत्ति

5-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या-38 और 39 पहले हो चुके हैं, इसलिए अब मद संख्या 40 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें राजस्व की हानि हो रही है। पड़ोस के राज्यों से अवैध शराब की तस्करी जोरों पर हो रही है, जहरीली शराब के लगातार बनने के बाद और उससे जो मृत्यु उत्पन्न होती है, इसको देखते हुए 1910 का जो पुराना कानून था, दण्डक धाराओं को कठोर करना, उनको मजबूत करना और उसी के अधार पर इसको एक नए प्रारूप में लाकर इस विधेयक को हम लोग पेश कर रहे हैं। सितम्बर में ही अध्यादेश के रूप में महामहिम राज्यपाल से इसका अनुमोदन लिया गया था, आज आपके सामने विधेयक के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे मा0 सदस्य इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मांग कर रहे हैं, वह इसका समर्थन करें, क्योंकि आबकारी का यह एक ऐसा मर्ज है, इसमें आप सबका समर्थन मिलेगा तो इसकों हम सुदृढ़ कर पायेंगे, इसको सही कर पायेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर बहुत विस्तृत रूप से नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मा0 मंत्री जी की चिन्ता है, वह सही है, चूँकि हम बलिया के हैं और बलिया जनपद से सटा हुआ बिहार है और इस समय बिहार मे शराबबंदी पूरी तरह से प्रभावित है। माननीय अध्यक्ष जी हो क्या रहा है कि मुझे लगता है कि इधर विगत छः महीनों में पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी अवैध शराब नहीं पकड़ी गयी होगी, उससे कहीं अधिक शराब हमारे बलिया जनपद मे पकड़ी गयी है, कारण क्या है इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग लिप्त हैं, वहां पर अब स्थिति यह है कि नौजवानों को लोग उसमें धकेल रहे हैं, वह नौजवान क्या करते हैं कि सारा काम धन्धा छोड़कर के, चूँकि उनके दिमाग में है कि हम अगर इतनी बोतल शराब मोटर साइकिल से एक सिपाही को पीछे बैठा कर के किसी तरह पार कर देंगे बिहार में तो 5 हजार, 10 हजार, 50 हजार का हमारा काम हो जायेगा। मा0 मंत्री जी हालांकि अभी इस पर कण्ट्रोल नहीं हो पा रहा है, आपकी इच्छाशक्ति में हालांकि कहीं कोई कमी नहीं है और आप निरन्तर इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, अभी इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तो अलग बात है

मैं आपसे बलिया के लिए विशेष निवेदन करूँगा कि इसमें अंकुश लगायें और इसमें गिने-चुने लोग हैं, आप अगर कोशिश करेंगे अपने अधिकारियों से भी आप प्रयास करेंगे तो वह लोग चिन्हित हो जायेंगे। इसमें कौन सफेदपोश लोग हैं, कौन इस धन्धा को करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि इसको मा0 मंत्री जी जरूर दिखवा लेंगे।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी की मंशा को समझता हूँ और इसमें धराओं को और कठोर किया गया है, इसको मैं समर्थन भी देता हूँ, लेकिन एक धारा जो नशीली शराब के कारोबारियों के खिलाफ मृत्युदण्ड का प्राविधान कर दिया गया है मा0 अध्यक्ष जी, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं होती है और अनपढ़ होते हैं, उतनी शिक्षा नहीं होती है, उन लोगों के खिलाफ इतनी कठोर कार्यवाही जिसमें मृत्युदण्ड भी हो, वह थोड़ा सा अन्याय लगता है। तो मेरा यही निवेदन है कि जहां पूरी दुनिया के संगठन फांसी की मृत्यु की सजा का विरोध कर रहे हैं, वहीं हम ऐसे नादान लोगों के ऊपर नकली शराब बनाने के लिए इतनी ज्यादा कठोर कार्रवाई करने के बारे में न सोंचे, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें।

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्य को बताना चाहूँगा कि यह सही है कि एक धारा 60(क) इसमें हम लोगों ने जोड़ा है, जो जहरीली शराब बनती है, जिससे मृत्यु होती है, जिसके विषय में इस सदन में भी और इसके पिछले सदन में भी और पिछली सरकारों में भी यह देखा गया है कहीं भारी संख्या में मृत्यु हुई है और उसका मिलावट मिथाइल, एल्कोहल और रैक्टीफाइड स्प्रिट के द्वारा जो बनाया जा रहा है यह एक बहुत बड़ा गैंग बनाता है और जो वहां से पड़ोसी राज्यों से लाता हैं इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए इस धारा का उपयोग किया है और इसमें आजीवन कारावास भी है, पांच लाख का जुर्माना भी है और बहुत ही आवश्यक हो गया अगर बहुत गम्भीर घटना होती है तो मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता है इसका प्राविधान है। जहां तक उमाशंकर जी की बात है यह पिछली 7-8 महीने के अन्दर अध्यक्ष जी हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है अवैध तस्करी को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया है। यहां तक की हरियाणा के मंत्री जी से बात करके वहां की नीति में भी परिवर्तन करने की बात हो रही है और हमारी नीति भी परिवर्तित होकर आने वाली है, इसमें जो सारी दिक्कतें आ रही हैं इस पर पूरी तरह से रोक लगेगा।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो इतनी धारायें लगती हैं उनका क्रियान्वयन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन को मजबूत करना पड़ेगा तभी बहुत आसानी से यह कन्ट्रोल हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-29 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह 27 सितम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 3 का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के खण्ड (12) में,-

(क) उपखण्ड (1) में, शब्द ''सिद्धि या गांजा'' के स्थान पर शब्द ''या सिद्धि'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपखण्ड (2) निकाल दिया जायेगा;

(ग) खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(4) कोई अन्य मादक पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे।''

धारा 28 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 28 में उपधारायें (3) एवं (4) दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से निकाली गयी समझी जायेगी।

धारा 28 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 30 में उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

''प्रतिबन्ध यह है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक उदग्रहीत प्रतिफल शुल्क, धारा 28 के अधीन उत्पाद शुल्क समझा जायेगा।''

धारा 50 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

(क) शब्द ''अपराध करता हुआ'' के स्थान पर शब्द ''अपराध करता हुआ या उसको लिए दुष्प्रेरित करता हुआ'' रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द तथा अंक ''धारा 60'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''धारा 60, धारा 60क'' रख दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 51 में शब्द ''कोई अपराध किया है'' के स्थान पर शब्द ''कोई अपराध किया है अथवा उसके लिए दुष्प्रेरित किया है'' तथा शब्द एवं अंक ''धारा 60'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 60, धारा 60क'' रख दिये जायेंगे।

धारा 52 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 52 में शब्द एवं अंक ''धारा 60'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 60, धारा 60क'' रख दिये जायेंगे।

धारा 53 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 53 में शब्द एवं अंक ''धारा 60'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 60, धारा 60क'' रख दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 54 में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :

''प्रतिबन्ध यह है कि धारा धारा 60, धारा 60क, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65, धारा 66 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जा सकता है और यह कि धारा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारण्ट का निष्पादन, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे कलेक्टर द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाय।''

धारा 55 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 55 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :

''55 धारा 60 की उपधारा (2), धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क और उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दण्डनीय कोई अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होगा।''

धारा 60 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :

''60 (1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके-

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है; अथवा

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है; अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नहीं है) का संग्रह या विक्रय करता है; अथवा

(घ) कोई आसवनी ''यवासवनी, विनिर्माणशाला'' या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, ''यवासवनी, विनिर्माणशाला'' द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी शराब को बोतल में बन्द करता है; अथवा

(ज) धारा 61 द्वारा उपबन्धित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है; अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुआता है, या निकालता है;

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दो हजार रुपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी।

(2) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(3) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।''

नई धारा 60क का बढ़ाया जाना

12-मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :

अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु में मिश्रित करने के लिए तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के लिए शास्ति

''60क-जो कोई किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे अपायकर करने हेतु मिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसे अपायकर मादक वस्तु या किसी अन्य अपायकर पदार्थ का किसी मादक वस्तु की ओट में उपभोग हेतु विक्रय करता है, उसे प्रदान करता है या विक्रय करवाता है या करने देता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे मानव को विकलांगता या उपहित या घोर उपहति या मृत्यु या कोई अन्य परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, को दण्डित किया जायेगा,-

(क) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु जो पांच लाख रुपये से कम न होगा, के लिए भी दायी होगा;

(ख) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप विकलांगता या घोर उपहति होती है, तो आजीवन कारावास अथवा कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक हो सकता है किन्तु छः वर्ष से कम न होगा और जुर्माना से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रुपये से कम न होगा;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई उपहति या कोई अन्य परिणामी क्षति पहुंचती है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकता है, किन्तु एक वर्ष से कम न होगा और जुर्माना से, जो दो लाख पचास हजार रुपये तक हो सकता है किन्तु एक लाख पच्चीस हजार रुपये से कम न होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनार्थ पद ''उपहति'' या ''घोर उपहति'' के अर्थ वही होंगे जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की क्रमशः धारा 319 एवं 320 में है।''

धारा 62 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 62 में शब्द ''जुर्माना से भी जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा'' के स्थान पर शब्द ''जुर्माना से जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा'' रख दिये जायेंगे।

धारा 63 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :

मादक वस्तु के अवैध आयात के लिए शास्ति

''63-जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो पांच वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।''

धारा 64 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 64 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दी जायेगा, अर्थात्-

''(ग) ऐसे मामले, जिसके लिए धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 एवं 41 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जान-बूझ कर उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माना, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।''

धारा 64क का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 64क मे,-

(क) उपधारा (1) निकाल दी जायेगी;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' तथा ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 65 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा 65 मे,-

(क) उपधारा (1) शब्द ''छः माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' तथा शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

धारा 66 का संशोधन

18-मूल अधिनियम की धारा 66 मे शब्द ''तीन माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' तथा शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-29 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 का साधारण संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में शब्द ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा'' जहां कहीं अनुसूची सहित आये हों, के स्थान पर शब्द ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह जानकारी पूरे सदन को हो जाये और एक बहुत छोटी सी भूल सुधार के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अभी तक जो हमारे संविधान निर्माता हैं, आदरणीय बाबा श्री भीमराव अम्बेडकर जी, उनका नाम हम लोग बोल-चाल की भाषा में और विभिन्न स्थानों पर लिखते थे वह उसमें अम्बेडकर लिखते थे लेकिन वास्तव में उनका नाम है डा0 भीमराव आम्बेडकर। यानी 'अ' में बड़े 'आ' की पाई है और केवल इतने ही संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में यह संशोधन हो जाए तो उनके नाम की स्पेलिंग सही हो जाएगी और हमारे श्री राज्यपाल महोदय जी ने इस तथ्य को उजागर किया था। भारत के संविधान में जो उसकी मूल प्रति है उसमें पृष्ठ 254 पर जो हिन्दी में उल्लिखित है। उसमें डा0 साहब ने स्वयं अपने नाम के हस्ताक्षर किए हैं, पूरे नाम के हस्ताक्षर किए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें और किसी उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन सदन को कम से कम जानकारी हो जाए कि हम क्या पास कर रहे हैं और जहॉ कहीं पर भी लिखा जाए तो उनका पूरा सही नाम यह है डा0 भीमराव आम्बेडकर, 'अ' में बड़े 'आ' की पाई है। अभी तक जो प्रक्रिया रही है वह छोटा 'अ' बस खाली 'अ' लिखा जाता था। मान्यवर, बस केवल इतना ही संशोधन है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको पास किया जाए। मैं समझता हूँ कि यह सर्वसम्मति से पास हो।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[03:42 बजे]

जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नितिन अग्रवाल जी हैं नहीं।

[03:42 बजे]

जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

मा0 विनय शंकर तिवारी जी। आपका नियम 103 के अन्तर्गत है, इसे प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाए।''

मा0 अध्यक्ष जी, गोला तहसील मुख्यालय है और वहॉ से जिला मुख्यालय लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहॉ पर आवागमन का कोई साधन नहीं है। जो गोला बाजार है वह सरयू नदी के पवित्र तट पर स्थित है। साथ ही साथ राम जानकी मार्ग से जुड़ा हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसी मार्ग से जनकपुर गए थे इसलिए उसको राम जानकी मार्ग कहा जाता है। वहीं पर ही भगवान राम की चरण पादुका है जिसमें लोगों की आस्था है। गोला तहसील सरयू नदी, राप्ती नदी से घिरा हुआ दोआबा है और वहॉ पर आने-जाने वाले लोगों की आवागमन की समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बस स्टेशन की मांग कर रहे हैं न। आपका मूल विषय आ गया है, आगे यह चर्चा जारी रहेगी। आगे अब जब कभी हम लोग बैठेंगे तो यह चर्चा जारी रहेगी।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, बस स्टेशन की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।

[03:44 बजे]

वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

इसमें मा0 सुखदेव राजभर जी और श्री अजय कुमार 'लल्लू' सदस्यण, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिया गया है। आप भी इसी प्रकार आज शुरु कर दीजिए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए।''

मान्यवर, जब आप इसको कॉण्टीन्यू कर ही रहे हैं तो मेरा बस इतना कहना है कि आज पूरे देश और उत्तर प्रदेश में दो तरह की व्यवस्थाएँ हैं। एक तरफ संविधान में जहाँ समता मूलक व्यवस्था है वहीं उत्तर प्रदेश में और देश में दो तरह के कर्मचारी हो गए हैं। एक वर्ष 2004 के पहले वाले और दूसरे उसके बाद वाले। दोनों की भिन्न-भिन्न पेंशन व्यवस्था हो गई है। यह पता चला है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही इस समय लगभग 2 लाख कर्मचारी आन्दोलित हैं और कह रहे हैं कि साहब, हम लोगों को तो एक तरह से सजा ही दे दी गई है जब से यह नई पेंशन योजना बनी है। अध्यक्ष जी, अगर इसको कॉण्टीन्यू करें तो करें, नहीं तो इस पर चर्चा कर ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, इसमें मेरा भी है इसलिए दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आगे मद संख्या 45 भी तो आप ही की है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, इसी पर चर्चा जारी कराने के लिए एक मिनट में बोल लूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो चर्चा जारी हो ही गई है। आप अगले वाले में बोल लेना।

[03:45 बजे]

जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, चोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

महोदय आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज तक ये तमाम गॉव ऐसे हैं जिन गॉवों में आज भी लोग कचरे के पुल से इस पार से उस पार जाते हैं। चिकित्सकीय सुविधा हो या उनको पढ़ाई लिखाई के लिए आना-जाना हो तो सबको कचरे के पुल से आना-जाना पड़ता है। महोदय, इसकी चर्चा आगे जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर अब आगे चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 120 सूचनायें प्राप्त हुई। सभी सूचनायें स्वीकृत हुई-

पहली सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के विकास खण्ड नौतनवां एवं लक्ष्मीपुर में अड्डा बाजार को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली में ट्रामा सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 अवधेश सिंह की जनपद वाराणसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा के अन्तर्गत सिन्धोरा बाजार एवं मंगारी बाजार में सी0सी रोड व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राम प्रताप वर्मा की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत पिपराघाट पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री संत प्रसाद की जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र खजनी के कम्हरिया घाट पर अपूर्ण पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कमल मलिक सिंह की जनपद हापुड़ के विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत भोपा अड्डा के सामने पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के मोहल्ला रामनगर में जल भराव के कारण जानमाल की हानि के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के गड़ौरा चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर में गन्ना क्रय केन्द्रों पर बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय ग्राम टिकवामऊ की प्रधान शिक्षिका द्वारा विद्यालय समय से न पहुंचने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा के ग्राम कामेत और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा (एडवोकेट) की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में कल कारखाना के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा में ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे रौनाही में नदी पर बने बन्धे की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डा0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली में डी0सी0एम0 चीनी मिल द्वारा ओवरलोडिंग किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 946/2015 में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजमरा के कतिपय

ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज कैथौला के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की प्रदेश के आवासीय कालोनियों में बाजारों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा में एक संयुक्त चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत पिलखनी में तैनात लेखपाल द्वारा गरीबों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत अशरफपुर वरवां में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत घटकना से ताराखुर्द तक के जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ की तहसील सदर के भूमि संख्या 1995/698, 1998/121 पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 2194/2017 में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री आजाद अरमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की आदर्श नगर पालिका परिषद्, रसड़ा, बलिया में व्याप्त जल निकासी की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के वि0 स0 क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय ग्राम सभाओं के अवरुद्ध विकास कार्यों की पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में अनियमित रूप से राशन कार्डों का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के विशिष्ट मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के वि0 स0 क्षेत्र गरौठा में नलकूपों के संचालन हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकर नगर में उल्लिखित मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड के ग्राम भरा पचपेड़ा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की प्रदेश के राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत बेसिक शिक्षकों की अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के माध्यमिक विद्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्री अवतार सिंह भड़ाना की जनपद मुजफ्फरनगर की मोरना सहकारी शुगर मिल की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद लखनऊ के शिवानी बिहार कल्याणपुर, लखनऊ के शिवानी बिहार कल्याण समिति पर दबंग व्यक्तियों का अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, तेतालिसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद लखनऊ निवासी श्री अरूण कुमार को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी

लाल की जनपद बरेली के कतिपय सड़कों/पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना डा0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के मोहान आम फल पट्टी क्षेत्र में मण्डी विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री शरद कुमार अवस्थी की जनपद बाराबंकी के रामनगर में सी0 ओ0 की अनुचित कार्यशैली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी में डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा अन्तर्गत चकनवाला व शीशेवाली के बीच बाहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में अण्डरपास न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर की जनपद आगरा क्षेत्र के विकास खण्ड विचपुरी अन्तर्गत 3 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री सतीश चन्द्र शर्मा की जनपद बाराबंकी के कतिपय ग्रामों के किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा की ईसान नदी को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ में अवैधानिक रूप से सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के रेलवे स्टेशन पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा राहत मद में धनराशि का आवंटन किये जाने के उपरान्त भी धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री कपिलदेव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में मठसेना/जलालपुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा में मोहारी से मझवार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट में कतिपय दबंगों द्वारा जल निकासी रोके जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त कतिपय समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री विनोद सरोज की प्रदेश के आयुर्वेद निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री कमलेश सैनी की जनपद बिजनौर अन्तर्गत चांदपुर-फीना- धनौरा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद जौनपुर में राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण धन के अभाव के कारण रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर ब्लाक छानबे में रामपुर घाट और गोपीगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना डा0 सोमेन्द्र तोमर की जनपद मेरठ के ग्राम फफूंडा में राजकीय बालिका इण्टर

कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चौरासी कोसी परिक्रमा प्रथम एवं द्वितीय पड़ाव का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री उदयभान चौधरी की जनपद आगरा की तहसील किरावली में नवसृजित आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री विनय शंकर द्विवेदी की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन में कुआनों नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना पं0 राधा कृष्ण शर्मा की जनपद बरेली के कोतवाली बारादरी में दर्ज पेट्रोलियम अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के ब्लाक गभाना में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड गौरा में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री अविनाश त्रिवेदी की जनपद लखनऊ में बख्शी के तालाब से बाबागंज मार्ग पर स्थित राजा दिग्विजय सिंह के स्मारक का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री दल बहादुर कोरी की जनपद लखनऊ के सूर्यनगर में नाली एवं आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज एवं एटा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की सचिवालय प्रशासन द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा के सम्बन्ध में सदन को भ्रामक सूचना उपलब्ध कराये जाने एवं प्रक्रिया को रोके जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना श्री श्याम धनी राही की जनपद सिद्धार्थनगर के अशोक मार्ग तिराहे से होर्डिंग हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के मेडिकल कालेज के भवन निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री प्रभु नारायण यादव की जनपद फर्रुखाबाद के राजकीय पुरुष चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश में धान की खरीद के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु समुचित कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री आर0 के0 वर्मा की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद मिर्जापुर के ग्राम व पोस्ट गुरूसण्डी से लापता नाबालिक लड़की को बरामद किये जाने के सम्बन्ध में है, पचासीवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत पुश्तैनी जमीन व मालिकाना अधिकार न मिलने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री ब्रज भूषण राजपूत की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के कतिपय ग्रामों में हो रहे पानी की समस्या को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में कृष्णाकुंज की पेठे वाली सड़क व नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की श्रीमती दीपा गुप्ता द्वारा फर्जी

मुकदमा दाखिल कर अपने पति का प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना महेन्द्र पाल सिंह की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में रोहिन नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना राम पाल वर्मा की जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के समीप शारदा नहर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानवेवीं सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद हाथरस स्थित मास कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट द्वारा लम्बित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में संचालित चीनी मिल में अधिकारियों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना डा0 लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहू में महिला थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में कोटा घाट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छानबेवीं सूचना डा0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के थाना गौरीगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0545/2017 में प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में बनाये जा रहे सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री कल्पनाथ की जनपद मुजफ्फरनगर में खण्डीय कार्यालय के अधीन कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की मण्डल फैजाबाद में सहकारिता विभाग में संग्रह योजना के अन्तर्गत कार्यरत लिपिक, चालक, कार्यालय सहयोगी के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल की लखनऊ-सण्डीला फोरलेन व सण्डीला-हरदोई थ्री लेन एवं हरदोई-शाहजहांपुर फोरलेन सड़क का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर में काली नदी पर बने घाट एवं दर्रों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार किले में लाईट एण्ड साउण्ड शो का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर में सिंचाई विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छठीं सूचना श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत काकड़ा में स्वामी कल्याण देव इण्टर कालेज को राजकीय कालेज किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्रामों में शवदाह गृह की जमीन पर चारदीवारी व टीनशेड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ के कस्बा कटरा मेदनीगंज टाउन एरिया में निर्मित कांशीराम आवासीय कालोनी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री श्रीराम चौहान की जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत सड़क निर्माण में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव

की जनपद गोण्डा में श्री मुन्नालाल एवं उनके पूरे परिवार को पुलिस सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्या की जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालय, अतरौलिया प्रथम में कार्यरत जितेन्द्र कुमार को निलम्बन अवधि का वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद कासगंज के बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाबुओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना कुं0 अजय प्रताप सिंह की जनपद महाराजगंज के समाज कल्याण अधिकारियों एवं भ्रष्ट बाबुओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री अबरार अहमद की सहारनपुर में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, निर्माण खण्ड में वरिष्ठ लिपिक व अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती वन्दना सिंह की उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ब्लाक बछरावां, महराजगंज एवं शिवगढ़ में महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन के निर्माण में नियमों की अनदेखी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री पवन कुमार की जनपद कुशीनगर के हाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त बदहाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ बीसवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली की ग्राम श्यामगढ़ी, थाना कान्धला के अन्तर्गत वंचित समुदाय की बेटी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद भदोही के विकास खण्ड अमौली में राजस्व कर्मियों तथा भूमाफिया द्वारा सरकारी भूमि के उपयोग में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि प्रदेश सरकार की नीति है कि सार्वजनिक .....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उपयोग की ग्राम सभा की भूमि का न तो अधिग्रहण किया जायेगा और न ही इसका भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा, इसके बावजूद जनपद भदोही की तहसील भदोही के विकास खण्ड अभोली के राजस्व ग्राम भानीपुर का गाटा संख्या 64 जो राजस्व अभिलेखों में

सार्वजनिक उपयोग की खलिहान की भूमि दर्ज है, उस पर भू-माफियाओं तथा राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से चिकित्सालय का निर्माण कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, भदोही द्वारा राजस्व ग्राम भानीपुर की ऊसर एवं बंजर भूमि गाटा संख्या 65 मि0 का पुर्नग्रहण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानीपुर के लिए दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा किया गया था। उक्त अधिग्रहीत भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से प्रश्नगत भूमि की बजाय खलिहान की भूमि संख्या 64 पर चिकित्सालय का निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निर्माण नहीं किया जा सकता है और यदि जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया होगा उसी भूमि का उस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जायेगा। अधिनियम की व्यवस्था को दरकिनार करके कतिपय राजस्वकर्मियों द्वारा चिकित्सालय के निर्माण के लिए गाटा संख्या 64 जो खलिहान की भूमि है उसको गाटा संख्या 65 मि0 के रूप में दर्शाते हुए कार्यदायी संस्था को दे दिया गया है। जनहित में खलिहान की भूमि गाटा संख्या 64 का सीमांकन कराकर उसे सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित किया जाना चाहिए और चिकित्सालय का निर्माण वास्तविक अधिग्रहीत भूमि पर ही होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण की जांच शासन के किसी उच्च अधिकारी से करवाकर प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त राजस्वकर्मियों तथा भू-माफियाओं के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

मैं जनहित के इस विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

आख्या-

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, संत रविदासनगर (भदोही) से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम भानीपुर, परगना व तहसील भदोही की आराजी संख्या 63 रकबा 0.328 हे0 व 66 रकबा 0.0228 राजस्व अभिलेख में ऊसर तथा आराजी संख्या 65 रकबा 0.0434 हे0 राजस्व अभिलेख की बंजर के रूप में अंकित है। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 22 जून, 2017 के द्वारा गाटा संख्या 63 रकबा 0.328 हे0 में से 0.139 हे0 व गाटा संख्या 65 रकबा 0.0434 हे0 में से 0.189 हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.228 हे0 में से 0.202 हे0 का पुर्नग्रहण प्रस्ताव स्वीकृत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र, भानीपुर के नाम अंकित किया गया। उक्त पुर्नग्रहीत भूखण्ड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानीपुर निर्माणाधीन है। आराजी संख्या 63, 65, 66 से सटा हुआ आराजी संख्या 64 के आंशिक भाग 0.019 हे0 पर हरिकेश पुत्र सन्त बहादुर, निवासी भानीपुर व 0.019 हे0 पर राकेश पुत्र नरायन, निवासी भानीपुर व 0.025 हे0 पर भोलानाथ पुत्र रामस्वरूप, निवासी भानीपुर का कच्चा मकान बना हुआ है जिस पर राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत बेदखली वाद विचाराधीन है, शेष भाग 0.228 हे0 पर उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों का सांकेतिक कब्जा है। अवैध कब्जाधारक हरिकेश पुत्र सन्त बहादुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-32834/2017 हरिकेश सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य योजित किया गया है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 जुलाई, 2017 को आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन में याची हरिकेश सिंह के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जा चुका है तथा याची को भी सूचित किया जा चुका है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या 64 रकबा 0.291 हे0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है, अपितु जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 22 जून, 2017 के

क्रम में गाटा संख्या 63 रकबा 0.328 हे0 में से 0.139 हे0 व गाटा संख्या 65 रकबा 0.434 हे0 में से 0.189 हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.228 हे0 में से 0.202 हे0 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानीपुर निर्माणाधीन है।]

प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री का वक्तव्य

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य विधायी मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री ब्रजेश पाठक-

[है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2014 एवं उ0 प्र0 रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति, 2014 के प्राविधानों के अनुपालन में भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में एक नया प्रस्तर 3.11.9 के रूप में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस उपप्रस्तर में यह प्राविधान है कि ''सरकारी संस्थान/अर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान, 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्पलेक्स तथा अन्य भवनों में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटॉप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।''

2-उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने आदेश में यह निर्णय लिया गया था कि यूपीनेडा की मांग पर एवं रूफटॉप सोलर संयंत्र को उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान दर रु0 0.50 प्रति यूनिट से बढ़ाते हुए रु0 2.00 प्रति यूनिट किया जाता है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में मण्डी परिषद् द्वारा सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री का वक्तव्य

कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मण्डी परिषद् के मा0....

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य कृषि विपणन एवं विदेश मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती स्वाती सिंह-

[संचालक मण्डल की 153वीं बैठक दिनांक 13 जून, 2017 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित आय-व्ययक में नवीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्राविधान न होने के कारण उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।]

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी अपर निजी सचिव परीक्षा की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम आदेशों तक रोके जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं, सचिवालय प्रशासन विभाग का स्पष्ट मत इस बिन्दु.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पर चाहता हूं कि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय का यथास्थिति बनाये रखने सम्बन्धी आदेश प्रभावी है अथवा नहीं है और यदि यह आदेश वर्तमान में प्रभावी है तो फिर आखिर किन परिस्थितियों में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के स्पष्ट अवमानना करके अभ्यर्थियों के पुलिस वेरिफिकेशन (पी0वी0आर0) तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराने सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। चूंकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेशों के बाद मामला मा0 उच्च न्यायालय में अन्तिम सुनवाई हेतु लम्बित है, जिस कारण से नैसर्गिक न्याय का पालन करने हेतु ''मैं यह भी मांग करता हूं कि सरकार द्वारा नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरतने की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक प्रश्नगत नियुक्ति प्रक्रिया की अग्रिम कार्यवाहियों को किसी स्तर पर पूरी तरह से रोकने के सम्बन्ध में सदन में घोषणा की जाये।''

मैं सरकार से जनहित एवं लोकमात्र के उपरोक्त विषय पर वक्तव्य की मांग करता हूं]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में दिया गया निर्देश-

मा0 अध्यक्ष जी द्वारा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को वक्तव्य के लिए सरकार को निर्देश दिये गये हैं।

वक्तव्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन वर्ष 2002-2003 से 2008-2009 के सापेक्ष 250 रिक्तियों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को दिनांक 16 जून, 2010 को अधियाचन प्रेषित किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा आयोजित कराने के उपरान्त अन्तिम परीक्षा परिणाम दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को घोषित किया गया एवं अपर निजी सचिव सामान्य तथा विशेष चयन से सम्बन्धित चयन परीक्षा, 2010 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा सचिवालय प्रशासन अनुभाग-2 (अधि0) में प्राप्त हुई है।

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा, 2010 के आयोजन एवं अन्तिम परिणाम घोषित किये जाने के मध्य की गयी तथाकथित अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में एवं लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी अन्तिम चयन सूची दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को अभिखण्डित करने एवं कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-49800/2017 आलोक कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम स्टेट एवं अन्य दायर रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को 28 नवम्बर, 2017 तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, तदोपरान्त दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को ''सीसीसी'' सर्टीफिकेट को कटआफ डेट तक जमा करने की सूचना प्रतिशपथ-पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सेवा आयोग को निर्देशित करते हुए दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी थी। दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को सुनवाई के उपरान्त निर्णय सुरक्षित है। लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।

मदरसा/मकतब में तैनात शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान एवं मानदेय बढ़ोत्तरी एवं विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मदरसा/मकतब में तैनात शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[किये जाने, उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी करने तथा उनकी नियमित तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 8584 आच्छादित मदरसों में कार्यरत लगभग 60 से 70 हजार मदरसा शिक्षक वर्तमान में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनकी कोई सेवा नियमावली प्रख्यापित न होने के कारण यहां पर ज्यादातर संविदा/मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों को महंगाई एवं अन्य प्रकार के भत्तों से वंचित होना पड़ रहा है। उनको वर्तमान में मिलने वाला वेतन, वर्तमान महंगाई के सापेक्ष बहुत कम है। उनका वेतन भी केन्द्रांश एवं राज्यांश मद को मिलाकर मिलता है। कभी-कभी राज्यांश मद की धनराशि कई महीने जारी न होने से उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है। विगत एक साल का उनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार द्वारा राज्यांश की दरों को बढ़ाया जाना तथा केन्द्रांश में भी अपेक्षित बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से संविदा पर नियुक्त लगभग 40,000 मदरसा शिक्षकों की योग्यता का परीक्षण कराते हुए सरकार द्वारा उनकी नियमित तैनाती की जानी आवश्यक है। मानदेय मदरसा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति न किये जाने तथा उनके मानदेय में अपेक्षित बढ़ोत्तरी न होने से उनमें सरकार के प्रति व्यापक आक्रोश व्याप्त है। अपनी मांगों के संदर्भ में वह कई बार शासन, प्रशासन से पत्राचार कर चुके हैं तथा लखनऊ में धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। किन्तु सरकार उनकी बार-बार जांच कराकर मदरसा प्रबन्धकों तथा शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। सरकार की अनदेखी के कारण यह लोग मुख्य धारा से कट गये हैं। ऐसे में सरकार द्वारा मानदेय पर नियुक्त मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने, उनकी नियमित तैनाती करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी किया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदेश के मदरसा/मकतब में तैनात शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने, उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी किये जाने तथा उनकी नियमित तैनाती किये जाने की मांग करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मदरसा पूर्णतः निजी संस्थान होने के नाते उक्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति पूर्णतः गैर सरकारी है। इनमें शिक्षकों की नियुक्ति मदरसा प्रबन्धतंत्र द्वारा की जाती है, न कि राज्य सरकार द्वारा। इसलिए मदरसे प्राइवेट होने के कारण इनमें नियुक्त शिक्षकों का नियमित करने का औचित्य नहीं बनता है।

मदरसा शिक्षकों के मानदेय भुगतान एवं बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आधुनिकीकरण योजना मूलतः केन्द्र सरकार की योजना है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मदरसों को योजना में लेते हुए धनराशि स्वीकृत करने के पश्चात् मानदेय का भुगतान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत लाट सं0 2108, 1446, 1891, 849, 456, 273, 672 एवं

1506 में आच्छादित मदरसों का यू-डायस कोड शासन द्वारा भारत सरकार को दिनांक 03 अगस्त, 2017 को प्रेषित किये जाने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा मदरसावार विवरण मांगा गया है, सम्बन्धित मदरसों/जिलों से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

मदरसा/मकतब में तैनात शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा स्नातक शिक्षकों को रु0 6,000/- प्रतिमाह तथा परास्नातक/बी0एड0 शिक्षकों को रु0 12,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से इन्हें क्रमशः रु0 2,000/- तथा रु0 3,000/- प्रतिमाह का भुगतान भी किया जाता है। मानदेय में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मदरसा शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान वर्ष में बजट में प्राविधानित राज्यांश शासन द्वारा निदेशालय को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को राज्यांश मद से किये जाने वाले वेतन भुगतान हेतु धनराशि शासनादेश सं0 1157/52-3-2017-बजट(17)/2017, दिनांक 08 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश सं0 1451/52-3-2017-बजट(17)/2017, दिनांक 08 सितम्बर, 2017 निर्गत करते हुए निदेशक, अल्संख्यक कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जा चुकी है।

अतः उत्तर प्रदेश के मदरसा/मकतब में तैनात शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने, उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी किये जाने एवं नियमित तैनाती के सम्बन्ध में ''वक्तव्य'' हेतु टिप्पणी अवलोकनीय है।]

जनपद रामपुर में रामपुर डिस्टलरी के नाम से चल रही अवैध शराब फैक्ट्री द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में श्रीमती राजबाला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का वक्तव्य

कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

उक्त सूचना के सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग से प्राप्त.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य कृषि मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती स्वाती सिंह-

[सूचना के अनुसार मै0 रेडिको खेतान लि0, बरेली रोड, तहसील सदर, जनपद रामपुर (पुराना नाम रामपुर डिस्टलरी एण्ड केमिकल्स कम्पनी लि0, रामपुर) वर्ष 1943 से स्थापित है। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मोलासिस, माल्ट एवं ग्रेन का प्रयोग कर अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 586.6 लाख बल्क लीटर/वर्ष

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेय अल्कोहल तथा 438 लाख बल्क लीटर/वर्ष औद्योगिक अल्कोहल है। उद्योग की मोलासिस आधारित उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषणकारी उत्प्रवाह स्पेन्टवाश के शुद्धिकरण हेतु मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर तथा रिवर्स ओसमोसिस प्लान्ट स्थापित है जिसके द्वारा सान्द्रित स्पेन्टवाश को 52 एकड़ भूमि पर विकसित बायो कम्पोस्ट प्लान्ट में चीनी मिल की प्रेस मड के साथ मिश्रित कर बायो कम्पोस्ट निर्माण हेतु प्रयुक्त कर लिया जाता है। उद्योग की ग्रेन आधारित उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर द्वारा सान्द्रित कर पशु चारे के रूप में बेच दिया जाता है। उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण प्रक्रिया पर संचालित है तथा उद्योग में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्थायें स्थापित है। उद्योग परिसर से उत्प्रवाह का निस्तारण सरिता अथवा भूमि पर किया जाना अनुमन्य नहीं है। उद्योग का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को बोर्ड के मुरादाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उद्योग परिसर से किसी प्रकार का औद्योगिक/रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित होता नहीं पाया गया तथा उद्योग शून्य उत्प्रवाह पद्धति पर संचालित पाया गया। उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2017 तक सहमति प्रदान की गई है।

2-उक्त के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारी, रामपुर से प्राप्त आख्या के आधार पर अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा जांच कमेटी गठित की गयी थी। गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई, समिति ने आसवनी से निकलने वाले जल तथा क्षेत्रीय हैण्डपम्पों के पानी को विश्लेषित कराया और यह जल मानक के अन्तर्गत पाया गया। उनके द्वारा कोई प्रदूषित पानी नाला अथवा नदी में नहीं छोड़ा जाता है बल्कि इस पानी का प्रयोग जैविक खाद बनाने में किया जाता है। प्रदूषित पानी के कारण हैण्डपम्पों का पानी प्रदूषित होने के सम्बन्ध में उक्त समिति की जांच आख्या में वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा ग्राम अजीतपुर, नई बस्ती, शादी की मडैया, रहटगंज, पटवाई आदि गांवों के हैण्डपम्पों के जल के नमूनों का परीक्षण कराया गया है और वह मानक के अन्तर्गत पाया गया है। आबकारी आयुक्त ने अपनी आख्या में यह भी स्पष्ट किया है कि आसवनी का जल नदी में नहीं डाला जाता है। अतः नदी के जल प्रदूषण का कारण आसवनी नहीं है। आसवनी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई0टी0पी0 प्लान्ट इवोपोरेटर आदि संयंत्र मानक के अनुरूप स्थापित किये गये हैं तथा आसवनी से निकलने वाले उत्प्रवाह की जांच समय-समय पर केन्द्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती रहती हैं। जांच में सही पाये जाने पर ही आसवनी के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। यह आसवनी आजादी से पूर्व सन् 1943 से संचालित है और लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है तथा अगल-बगल अन्य उद्योग/फैक्ट्रियां अवस्थित हैं। आसवनी में सुरक्षा से सम्बन्धित मानक के अनुरूप पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। आसवनी से राज्य को लगभग रुपया 3000 करोड़ वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है तथा लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिला है। आसवनी द्वारा जनहित के बहुत सारे कार्यक्रम लगातार किये जाते हैं।]

जनपद लखनऊ में गिरते जलस्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य कृषि मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्रीमती स्वाती सिंह-

[कि वर्तमान आंकलन के अनुसार लखनऊ शहर में भूजल स्तर में लगभग औसतन 0.55 मी0/प्रतिवर्ष की गिरावट परिलक्षित हुई है।

- शासनादेश संख्या-3982/आठ-1-08-17 विविध/03-टी0सी0-1, दिनांक 01 जुलाई, 2008 द्वारा 300 वर्गमी0 से अधिक के क्षेत्रफल वाले भवनों एवं सभी शासकीय भवनों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है।
- वर्तमान में प्रदेश में भूजल स्तर रोकने हेतु कोई अधिनियम लागू नहीं है।
- 271 समस्याग्रस्त विकास खण्डों के बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के रूप में नवीन महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की गयी है। ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकास खण्डों एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कर भूजल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है। ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के अन्तर्गत लखनऊ शहर को भी चयनित किया गया है।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश रावत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में विद्युत....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[आपूर्ति एस0एल0डी0सी0, लखनऊ के निर्देशानुसार 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों को समय-समय पर प्राप्त रोस्टर के अनुसार की जाती है। वर्तमान में बछरावां में विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 से 23 दिसम्बर, 2017 तक 14:15 से 06:30 बजे तक एवं 09:31 से 11:15 बजे तक (कुल 18:00 घण्टे) है।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद में एस0टी0पी0 के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त संबंध में अवगत कराया जाना है कि.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत फिरोजाबाद नगर की सीवरेज योजना लागत रु0 8691.664 लाख की स्वीकृति भारत सरकार के आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

2-योजना का कार्य वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुआ। निर्माण सामग्री व मजदूरी की दरों में वृद्धि होने, योजना के जोन तृतीय एवं चतुर्थ में सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के कार्य स्थलों में परिवर्तन होने, जोन-4 में राइजिंग मेन में वृद्धि, सीवरेज कार्यों की रि-डिजाइन तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के टेक्नोलाजी परिवर्तन, रेलवे को वे-लीव चार्ज, सड़कों की पुनर्निमाण आदि के दृष्टिगत इस परियोजना का प्रथम पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा रु0 11084.07 लाख पर किया गया। परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत रु0 16774.79 लाख के सापेक्ष अब तक रु0 13929.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3-उक्त परियोजना का पुनः रु0 204.89 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना का यह तृतीय पुनरीक्षण है, जिसका शासन में परीक्षण किया जा रहा है। शासन ने पुनः अधिकारियों की एक टीम मौके पर भेज कर स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता सहित रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने तथा इस परियोजना के तृतीय पुनरीक्षण लागत के औचित्य के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद जौनपुर के थाना मुगराबादशाहपुर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर की बालिका के अपहरण के उपरान्त पुलिस द्वारा पीड़ितों को ही परेशान किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा पटेल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आख्या में अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.10.2017 को.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[वादी श्री अवधेश कुमार पुत्र हृदयनारायण, निवासी रामपुर भोड़ी, थाना मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर की सूचना के आधार पर थाना मुंगराबादशाहपुर पर मु0अ0सं0 794/2017, धारा 363/366 भादंवि व 7/8 पाक्सो ऐक्ट व 3(1)11 एससी/एसटी ऐक्ट बनाम 1-टिंकू उर्फ अविनाश गौड़ पुत्र रामधनी गौड़, निवासी पुरे जोरावर निभापुर, थाना मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर, 2-संजय शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, निवासी रामपुर भोड़ी, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना सुश्री सौम्या पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी, मछलीशहर, जौनपुर द्वारा की गयी तथा विवेचना के मध्य दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को रेलवे स्टेशन मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर से अपहृता कु0 कात्ययानी की बरामदगी एवं अभियुक्त टिंकू उर्फ अविनाश की गिरफ्तारी की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना में अभियुक्त संजय शर्मा की नामजदगी गलत करते हुए दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को आरोप-पत्र संख्या 205 प्रेषित किया गया।

प्रकरण में विवेचक द्वारा गवाहों को धमकी/मारने-पीटने आदि आरोपों के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।]

श्री उमा शंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्या श्रीमती सुषमा पटेल की इस वक्तव्य के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहती है।

श्रीमती सुष्मा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 51 में लगाया है जो कि जौनपुर का मामला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। हमको भी जानकारी हो जाएगी।

(मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा आगे वक्तव्य पढ़े जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, हम कह रहे हैं कि उनका प्रश्न सुन लीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय मंत्री जी, आप इसमें जवाब दे देंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सूचना यह आयी है इसके बारे में माननीय सदस्या अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि यह जो सूचना आयी है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कार्यवाही चाहती हैं, वह संसदीय कार्यमंत्री जी करवा देंगे।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस यह कहना चाहती हूं कि यह जो सूचना हमारे पास दी गयी है वह सूचना बिल्कुल गलत दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप इस सूचना के आधार पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री के लिए एक पत्र बनाइए।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले वह लोग हमारे पास लखनऊ तक आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, वहां पुलिस अधीक्षक के पास गए थे। वहां के जो सी0ओ0 हैं उन्होंने गवाहों को प्रताड़ित किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप पूरी बात लिखकर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को भेज दीजिए और एक कॉपी हमें भेज दीजिए।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है कि लिख कर दे दें लेकिन इस रवैए को भी देख लें, तथ्य कुछ है और वक्तव्य कुछ आ रहा है। यही पर मैंने भी एक बार दिया था उसमें पुरानी सूचना दर्ज कर दी थी यही पर संसदीय कार्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूँगा। माननीय सदस्य कार्यवाही होना न होना वह तो आप सरकार से करायेंगे, लिख कर दें लेकिन जो वक्तव्य आया है यही इनका ग्रिवांश है कि सच्चाई कुछ है, जवाब कुछ आ रहा है। ज्यादा होगा तो पैड पर हम लिख देंगे संसदीय कार्यमंत्री कार्यवाही की बात लिख देंगे। सदन में जो इन्होंने गलत सूचना दी है उस पर माननीय सदस्या दुखी हैं।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वहां के अधिकारियों द्वारा अपने सी0ओ0 को बचाया जा रहा है बस उनकी जांच कराकर नियमानुसार उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करायी जाये। 12 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया था और उसको नशीला पदार्थ खिलाकर दिल्ली ले जाया गया था। जो गवाह हैं उनको धमकाया जा रहा है कि फर्जी मुकदमें में फंसा देंगे और तुम्हारी जिंदगी चौपट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी, सूचना की सत्यता की भी जांच करवा लें।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा स्थित निर्माणाधीन विद्युत सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा में ग्राम....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[डींगरा में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, डींगरा के निर्माण कार्य पर बोर्ड आफ रेवेन्यू, इलाहाबाद के वाद सं0 45/2009 श्री अब्दुल हमीद बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 वाद विचाराधीन है। वाद में विद्युत विभाग पक्षकार नहीं है, उक्त भूमि उपजिलाधिकारी, धनौरा के द्वारा आवंटित की गयी थी तथा उसी समय ग्राम के कुछ लोगों द्वारा मा0 बोर्ड आफ रेवेन्यू, इलाहाबाद में वाद दर्ज किया कि उपरोक्त भूमि कब्रिस्तान की है तथा इस भूमि पर बिजलीघर का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस पर बोर्ड आफ रेवेन्यू, इलाहाबाद द्वारा स्टे लगा दिया गया जोकि वर्तमान में भी लागू है। उक्त स्थगन आदेश को समाप्त कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, धनौरा, जनपद अमरोहा की ओर से पैरवी/कार्यवाही की जानी है।

2-उपरोक्त के अतिरिक्त डींगरा में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, डींगरा पर मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली में भी वाद संख्या 35894/2012 लम्बित है, न्यायालय में वाद निस्तारण होने के उपरान्त उक्त उपकेन्द्र को चालू किया जा सकता है।]

प्रदेश के क्षय रोग चिकित्सालय विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, डा0 मुकेश वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19.12.2017....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि राज्य में क्षय रोग जैसी जानलेवा बीमारी के उन्मूलन एवं रोकथाम हेतु विभिन्न जनपदों में टी0 बी0 क्लीनिकों (जिला क्षय रोग रूजालयों) की स्थापना उ0 प्र0 सरकार द्वारा की गयी है। पूर्व में स्थापित की गयी टी0 बी0 क्लीनिकों में बी0सी0जी0 टेक्नीशियन तथा बी0सी0जी0 टीम लीडर के नियमित पद भी सृजित किये गये हैं, जो वर्षों से राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। संज्ञान में आया है कि राज्य के नवसृजित जनपदों सहित कुछ

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्य ऐसे जनपद भी हैं जिनमें बी0सी0जी0 टेक्नीशियन तथा बी0सी0जी0 टीम लीडर के नियमित पदों का सृजन कर कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गयी है, जिसके कारण ऐसे समस्त जनपदों में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्य की गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन प्रभावित हो रहा है जिसमें जनपद फिरोजाबाद की टी0 बी0 क्लीनिक भी है। जिससे राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है तथा राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम पिछड़ रहा है। टी0 बी0 के उन्मूलन एवं रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में टी0 बी0 क्लीनिकों (जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र) में प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार बी0सी0जी0 टेक्नीशियन तथा बी0सी0जी0 टीम लीडर के नियमित पदों का सृजन कर तत्काल कर्मचारियों की तैनाती किया जाना प्रदेश की जनता एवं क्षय रोगियों के हित में अत्यन्त आवश्यक है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने तथा सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के आर्थिक सहयोग एवं दिशा-निर्देश में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2006 से पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर0एन0टी0सी0पी0) चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत समस्त क्षय रोगियों का निदान एवं उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर0एन0टी0सी0पी0) प्रारम्भ होने से पूर्व प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0पी0) चलाया जा रहा था, जिसके अन्तर्गत बी0सी0जी0 टेक्नीशियन एवं बी0सी0जी0 टीम लीडर के पद सृजित किये गये थे। पूर्व में बी0सी0जी0 टीकाकरण का कार्य बी0सी0जी0 टेक्नीशियन/बी0सी0जी0 टीम लीडर द्वारा किया जाता था। वर्तमान में बी0सी0जी टीकाकरण का कार्य ए0एन0एम0 द्वारा किया जाता है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्ट्रल टी0 बी0 डिवीजन, भारत सरकार द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन एवं बी0सी0जी0 टीम लीडर को कोई कार्य आवंटित नहीं है।]

जनपद फिरोजाबाद में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर टी0बी0 के उन्मूलन एवं रोकथाम के लिए तैनात संविदा कर्मियों द्वारा काम किया जा रहा है। सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनरूप प्रदेश के समस्त जनपदों जिसमें जनपद फिरोजाबाद भी सम्मिलित है, में पुनरीक्षित राष्ट्रीयक्षय नियंत्रण कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित हो रहा है।

महामाया राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में मेडिकल आफिसर की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन)-

मान्यवर, महामाया राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में एम0ओ0....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री आशुतोष टण्डन-

[मेडिकल आफिसर की नियुक्ति न होने के कारण दुर्घटना ग्रस्त मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ समय से ईलाज न हो पाने के कारण दुर्घटना ग्रस्त मरीज की जान का खतरा बना रहता है। अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में रिक्त एम0ओ0 (मेडिकल आफिसर) की नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में अभी तक सेवानियमावली में कोई प्राविधान नहीं है। वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेज में रिक्त/सृजित आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तैनात/इच्छुक चिकित्साधिकारियों को सेवास्थानान्तरण के आधार पर राजकीय मेडिकल कालेजों में तैनात किया जाता है। महामाया राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में रिक्त आकस्मिक चिकित्साधिकारी के 01 पद के विरुद्ध पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0 कमलेश प्रसाद गुप्ता, चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल, जौनपुर को सेवास्थानान्तरण के आधार पर तैनात किये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में रिक्त आकस्मिक चिकित्साधिकारी के 32 पदों पर पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2017 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है।

3-राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के आकस्मिक विभाग में जूनियर रेजीडेन्ट डाक्टर 24 घण्टे उपलब्ध रहते हैं, जिनके द्वारा दुर्घटना ग्रस्त मरीजों को नियमानुसार भर्ती कर उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षकों के सहयोग से उपचार किया जा रहा है।]

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मद संख्या 59 का उत्तर दिया है, अगर आप इसको पढ़ लें, चार एम0ओ0 का पद स्वीकृत है और माननीय मंत्री जी कृपा नहीं कर रहे हैं कि चार

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एम0ओ0 की पोस्टिंग कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर सुचारू रूप से संचालित है। मेडिको लीगल करने का अधिकार जो जे0आर0 को नहीं है। चूंकि एम0ओ0 की पोस्टिंग नहीं है इसलिए इन पर मेडिको लीगल की आवश्यकता होती है, ऐसे मरीजों की भर्ती नहीं की जाती। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आपका विभाग है इसको लोक सेवा आयोग को या इसकी नियमावली बना लें कि कैसे भर्ती करेंगे। एम0ओ0 के पद पर आप कैसे भर्ती करेंगे। जब तक आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तब तक स्वास्थ्य विभाग से लेकर चार एम0ओ0 की वहां पोस्टिंग कर दें। मान्यवर, छोटा-सा मामला है और इसमें पांच साल से ज्यादा 7 साल लगभग उस मेडिकल कॉलेज को हो गया है और चार एम0ओ0 की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक इस पर विचार करके इसको करा दें। मान्यवर, पता नहीं इनकी कृपा अम्बेडकरनगर की तरफ नहीं है। माननीय टण्डन जी की कृपा तो हमारे ऊपर बहुत रहती थी। हम जो चाहते थे वह करा लेते थे लेकिन पता नहीं इनकी कृपा क्यों नहीं है। उस मेडिकल कालेज को एकदम ऐसे छोड़ दिया जैसे वह मेरा मेडिकल कालेज हो, वह तो राजकीय मेडिकल कालेज है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आप माननीय सदस्य के साथ बैठ लें और इनकी बात सुनकर कार्यवाही करें।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं और इसमें केवल वक्तव्य के लिये था, खैर इसमें यह सूचना है कि चिकित्साधिकारी डा0 कमलेश प्रसाद गुप्ता, जिला जौनपुर को स्थानान्तरण के आधार पर तैनात किये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है, जल्दी हो जायेगा और जो भी आप और सुझाव देंगें वह सब तुरन्त होगा।

जनपद खीरी के विकास खण्ड ईसानगर, धौरहरा एवं रमियाबेहड़ में राशन कार्ड बनाये जाने में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको तो स्थगित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कनहर सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र की दुद्धी तहसील के सूखाग्रस्त एवं अति पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु अमवार ग्राम के पास कनहर नदी पर बॉध बनाकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध ...

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कराने हेतु कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान था, जिसे परियोजना पर माह जुलाई, 2017 तक उपभोग कर लिया गया है। वर्ष 2017-18 के अनुपूरक बजट में भी रु0 80.00 करोड़ की व्यवस्था है। इससे परियोजना का कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ेगा। बांध के निर्माण के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के 11 ग्राम आंशिक, झारखण्ड राज्य के 04 ग्राम आंशिक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के 06 ग्राम आंशिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं। पुर्नवास पैकेज में पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य के 1810 परिवारों को चिन्हित किया गया था। बाद में समग्र सर्वेक्षण के उपरान्त कुल 3719 परिवारों को चिन्हित किया गया, इसमें से 2060 परिवारों को रु0 112.00 करोड़ का धन वितरित किया जा चुका है। उपलब्ध धन से प्राथमिकता के आधार पर पुर्नवास कार्य किया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद सन्त कबीर नगर, थाना बखिरा में दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को दर्ज मुकदमा अपराध सं0 1465/17 में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि दिनॉक 11.10.2017 की घटना के संबधं में वादिनी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, सा0-शनिचरा, थाना बखिरा, जनपद संतकबीर नगर द्वारा 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ...

श्री बावन सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, लेकिन मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।)

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मु0अ0सं0 1465/2017, धारा-376, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 व 3/4 पास्को ऐक्ट के अन्तर्गत नवीन शुक्ला पुत्र ईश्वरचन्द्र शुक्ला, सा0 शनिचरा, थाना बखिरा, जनपद संतकबीर नगर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष, बखिरा श्री रामसमुझ प्रभाकर द्वारा की जा रही है। उपरोक्त मुकदमें में सम्बन्धित पीड़िता का धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का बयान अंकित कराया जा चुका है। अब तक की विवेचना से अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं। अभियुक्त फरार चल रहा है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। विवेचना में अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के कारण दबाव बनाकर सुलह कराना सम्भव नहीं है। अतः स्थानीय पुलिस एवं अभियुक्त द्वारा पीड़िता तथा उसके परिवार को धमका कर सुलह करने का दबाव बनाये जाने आदि के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप निराधार हैं।]

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और दो महीना हो गया है। इसमें दिया गया है कि लगातार दबिश दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्थान पर, कौन सी तारीख में दबिश दी गयी, जो अभी तक अभियुक्त फरार है। तो मान्यवर, उस बच्ची के परिवार को धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लों, नहीं तो मार दिया जायेगा। मान्यवर, यह बड़ा गंभीर प्रकरण है। वक्तव्य तो माननीय नगर विकास मंत्री जी ने दे दिया है लेकिन कार्यवाही के नाम पर जीरो है। दो महीने से उस परिवार को धमकी मिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें गिरफ्तारी हो।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी सूचना को सही मानकर सरकार को कार्यवाही का निर्देश दे रहे हैं।

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रख दें।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत स्वीकृत हुआ।)

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

अब हम लोग राष्ट्रगान के लिये उठते हैं ।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 ई0।

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-97 विधान सभा (182)-13-09-2018-631 प्रतियां ।